

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त 2021—भाद्र 5, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2021

क्र. ई-1-140-2021-5-एक.—श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे (2000), आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के दिनांक 31 जुलाई 2021 को अपरान्ह से सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे (2009) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य वभाग

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2021

फा. क्र. 17(ई)44-2013-इक्कीस-ब(एक)-3056-2021.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008(2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 4, 6, 7, 8, 11, 13, 20, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 39, 44, 47 तथा 49 तथा उनसे संबंधित प्रतिविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रतिविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात् :—

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
4	भिण्ड	श्री मोहम्मद अनीस खान, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
6	छतरपुर	श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
7	छिंदवाड़ा	श्रीमती कुमुदिनी पटेल, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
8	दमोह	श्री संजय कुमार चतुर्वेदी, विशेष न्यायाधीश
11	धार	श्री अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
13	गुना	श्री प्रदीप कुमार दुबे, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
20	कटनी	श्री आशुतोष मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
25	जावद नीमच	श्री अनुज कुमार मित्तल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
27	रायसेन	श्री सुशांत हद्वार, विशेष न्यायाधीश
29	रतलाम	श्री अरुण कुमार खराड़ी, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
31	सागर	श्री संजय अग्रवाल, नौवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
32	सतना	श्री योगीराज पांडे, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
33	सीहोर	श्री सुरेश सिंह, विशेष न्यायाधीश
39	सीधी	श्री अजीत सिंह, विशेष न्यायाधीश
44	मण्डलेश्वर	श्री संजीव गुप्ता, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
47	अशोकनगर	श्री शैलेंद्र नगोत्रा, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
49	डिंडोरी	श्रीमती कविता इनवती, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17(E)-44-2013-XXI-B(One) 3056-2021.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F-No. B(1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 4, 6, 7, 8, 11, 13, 20, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 39, 44, 47 and 49 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	District	Proposed name of Session Judge/Special Judge/ ASJ to be designated as Special Judge, u/s 22 of NIA Act.
(1)	(2)	(3)
4	Bhind	Shri Mohd Anis Khan, IV/ASJ
6	Chhatarpur	Shri Akhilesh Kumar Mishra, II nd ASJ
7	Chhindwara	Smt. Kumudini Patel, IV ASJ
8	Damoh	Shri Sanjay Kumar Chaturvedi Special Judge
11	Dhar	Shri Ashok Kumar Sharma, ASJ
13	Guna	Shri Pradeep Kumar Dubey, ASJ
20	Katni	Shri Ashutosh Mishra, II ASJ
25	Jawad Neemuch	Shri Anuj Kumar Mittal, ASJ
27	Raisen	Shri Sushant Huddar, Spl Judge
29	Ratlam	Shri Arun Kumar Khardi, II ASJ
31	Sagar	Shri Sanjay Agrawal, IX ASJ
32	Satna	Shri Yogiraj Pandey, ASJ
33	Sehore	Shri Suresh Singh, Spl Judge
39	Sidhi	Shri Ajit Singh, Spl Judge
44	Mandleshwar	Shri Sanjeev Gupta, ASJ
47	Ashoknagar	Shri Shailendra Nogotra, II ASJ
49	Dindori	Smt. Kavita Invati, ASJ

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2021

फा. क्र. 3064-2021-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है :-

क्र. (1)	नाम तथा पद (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्रीमती विनिता गुप्ता, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, देवास	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देवास
2	श्री प्रशांत पाण्डेय, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, सीधी	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सीधी
3	कुमारी स्वाति बजाज, पांचवें व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, सागर	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सागर
4	श्री पार्थ शंकर मिश्रा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, सतना	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सतना
5	श्री तथागत यागनिक, पांचवें व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, रीवा	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रीवा
6	श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी, आठवें व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, ग्वालियर	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय नं. 1 ग्वालियर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2021

क्र. 1445-बीस-3.—मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 13 सन 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से कक्षा 7, 10 एवं 12 की निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकें विहित करती है, अर्थात् :-

अनु. क्र. (1)	कक्षा (2)	विषय (3)	पुस्तक का शीर्षक (4)	माध्यम (5)	प्रकाशक (6)
1	7	सामाजिक विज्ञान	हमारे अतीत-2 (इतिहास)	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी	
2	7	सामाजिक विज्ञान	हमारा पर्यावरण-2 (भूगोल)	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी	
3	7	सामाजिक विज्ञान	सामाजिक और राजनीतिक जीवन-2	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी	मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम भोपाल
4	10	हिन्दी	क्षितिज भाग-2	हिन्दी,	(समस्त पाठ्यपुस्तकों के लिए)
5	10	हिन्दी	कृतिका भाग-2	हिन्दी	
6	10	अंग्रेजी	फर्स्ट फ्लाइट (First Flight)	अंग्रेजी,	
7	10	अंग्रेजी	फुट प्रिंटस एण्ड विडाउट फीट (Foot print & without Feet)	अंग्रेजी	
8	10	संस्कृत	शैमुषी द्वितीयो भागः	संस्कृत	
9	10	उर्दू	नवा-ए-उर्दू	उर्दू	
10	10	सामाजिक विज्ञान	भारत और समकालीन विश्व-2 (इतिहास)	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
11	10	सामाजिक विज्ञान	समकालीन भारत-2 (भूगोल).	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
12	10	सामाजिक विज्ञान	आर्थिक विकास की समझ	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
13	10	सामाजिक विज्ञान	लोकतांत्रिक राजनीति-2	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
14	12	हिन्दी	आरोह भाग 2	हिन्दी	
15	12	हिन्दी	वितान भाग 2	हिन्दी	
16	12	अंग्रेजी	फ्लेमिंगो (Flamingo)	अंग्रेजी	
17	12	अंग्रेजी	विस्टाज (Vistas)	अंग्रेजी	
18	12	संस्कृत	भाषवती द्वितीयो भाग	संस्कृत	
19	12	उर्दू	गुलिस्तान-ए-अदब	उर्दू	
20	12	इनफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस	इनफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस (Informatics Practices)	हिन्दी, अंग्रेजी	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार सिंह, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2021

क्र. एफ-3-83-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र. 5223-वि.यो.-496-नगानि-2020, भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2020 द्वारा प्रकाशित देवास विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार देवास निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, उज्जैन, संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय देवास, मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, नगरपालिका निगम, देवास, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	देवास विकास योजना 2031.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक. कृषि	4 4	4-सा-15 4-सा-15	4 7	गैर प्रदूषणकारी उद्योग** सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीपः—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र. एफ-3-82-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्र. 8281-08-उपां-टी सी-इंदौर-2016 भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे. में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीराम तलावली	62/3/1 एवं 62/2/4/2	1.800	कृषि आवासीय एवं मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक व्यपवर्जन (बोहरा मस्जिद क्लीनिक कम्युनिटी हॉल नर्सरी स्कूल एवं अन्य) एवं मार्ग.

योग : 1.800

(2) यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15(3) (क) के अंतर्गत देय राशि रु. 2,61,000/- (दो लाख इकसठ हजार रुपये मात्र) दिनांक 19 जुलाई 2021 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जिला इंदौर के चालान क्रमांक 0217638 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है.

(3) उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 को एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-11-2018-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) दिनांक 10 जून 1966 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्र. 3085-267-10-66 दिनांक 18 मार्च 1966 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया गया था.

और चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.

अतएव भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है. यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जावेगी. यह वनखण्ड 23°04'05" से 23°05'16" उत्तर अक्षांश तथा 74°28'14" से 74°30'19" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—झाबुआ, तहसील—थांदला, वनमण्डल—झाबुआ, वन परिक्षेत्र—थांदला

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्र./संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना का क्र. और दि. तथा राजपत्र प्रकाशन का दि.	क्षेत्रफल (हे. में)	वन खण्ड की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	दौलतपुरा	5	दौलतपुरा	1	वनभूमि	मध्य भारत शासन गजट दिनांक 3-3-1955 में प्रकाशित फारेस्ट एण्ड ट्राइवल वेलफेयर डिपार्टमेंट ग्वालियर में अधिसूचना क्रमांक 1101/एक्स/ए/फ/203/ (54), दिनांक 1-3-1955.	40.17	उत्तर—राजस्थान राज्यकी सीमा एवं आरक्षित वन खण्ड बैडावा की सीमा का मुनारा क्रमांक 1.
				2			16.18	
				4/1			26.44	
				5			36.40	पूर्व—आरक्षित वन खण्ड वैडावा की सीमा का मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक एवं वन खण्ड दौलतपुरा की सीमा के क्रमांक 69 से 68 तक.
				6/1			38.50	
				7			29.24	
				8			40.80	
				9			17.60	दक्षिण—वन खण्ड दौलतपुरा की सीमा के मुनारा क्रमांक 68 से मुनारा क्रमांक 1 तक,
				10/1			49.18	
				10/2-11/1			0.82	
				11/2			24.24	पश्चिम—आरक्षित वन खण्ड रोजा जोहा कोकिन्दा की सीमा के मुनारा क्रमांक 202 से 203 तक.
				12/606/1			1.38	
				12/605/1			1.36	
				37			39.00	
				38			47.00	
				39			35.63	
				40			39.40	
				41			50.20	
				42			59.75	
				43			40.00	
				46/1			19.50	
				57			13.36	
				178			25.02	
				179			22.28	
				180/1			13.87	
				181/1			10.04	
				182			2.42	
				184/1			27.80	
				योग . . .	29 खसरे		767.18	
							एकड़/	
							310.46	
							हेक्टर.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-11-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-11-2018-दस-3, दिनांक 19 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 19th August 2021

No. F-25-11-2018-X-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 3085 & 267 & 10 & dated 18th March 1966 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 10th June 1966 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

AND WHEREAS, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 23°04'05" to 23°05'16" North Latitude and 74°28'14" to 74°30'19" East Longitude.

SCHEDULE

District—Jhabua, Forest Division—Jhabua, Tahsil-Thandla, Forest Range—Thandla

S. No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./PF Compartment	If Revenue Land then Head of the land	If Protected Forest then its Notification No. and date with gazette publication date	Area (in hectare)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Doltpura	5	Doltpura	1	Forest Land	Madhya Bharat Government Gazette Date 3-3-1955 in published Forest and Triwal wail fair Department Gwalior notification No. 1101/X/F/203 (54) Date 1-3-1955	40.17 16.18 26.44 36.40 38.50 29.24 40.80 17.60 49.18 0.82 24.24 1.38 1.36 39.00 47.00 35.63 39.40	North—Boundary of Rajasthan State. East—Boundary of Reserve Forest Block Bedawa's Pillar No. 1 to 2 and Forest Block Doulatpur's Pillar No. 69 to 68, South—Boundary of Forest Block Doulatpura's Pillar No. 68 to 1. West—Boundary of Reserve Forest Block Roja Joha Kokinda's Pillar No. 202 to 203.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				41			50.20	
				42			59.75	
				43			40.00	
				46/1			19.50	
				57			13.36	
				178			25.02	
				179			22.28	
				180/1			13.87	
				181/1			10.04	
				182			2.42	
				184/1			27.80	
				<u>29 Khasra</u>			767.18	
				Total			ACRE/	
							310.46	
							Hect.	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-24-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वनखण्ड N-22°6'29.3" से N-22°6'52.6" उत्तर अक्षांश तथा E-80°21'41.4" से E-80°22'5.3" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—बालाघाट, तहसील—परसवाड़ा, वनमण्डल—उत्तर (सामान्य) वनमण्डल बालाघाट,
वनपरिक्षेत्र—पश्चिम बैहर सा. परिक्षेत्र

अ. क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	वनखण्ड की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	फतेहपुर	फतेहपुर	चरनोई सरकार	30/1 में से	5.496	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारे क्रमांक 01 से मुनारा क्र. 7 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				30/3	4.168	
				30/4	4.249	
				30/5	5.261	पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारे क्रमांक 7 से मुनारा क्र. 10 तक की कृत्रिम वन सीमा तथा पूर्व दिशा में सिंधीटोला से जागरपुरटोला तक सड़क मार्ग एवं आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 1478 की पश्चिमी वन सीमा।
				30/6	3.277	
				30/7	4.549	दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारे क्रमांक 10 से मुनारा क्र. 12 तक कृत्रिम वन सीमा।
						पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारे क्र. 12 से मुनारा क्र. 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।

योग . . . 27.000

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6-MPC 012-2015-BHO-435, दिनांक 4 मई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री की स्वीकृत परियोजना पद्दीनाला जलाशय सिंचाई परियोजना बैहर में प्रभावित 10.115 हेक्टेयर वनभूमि एवं कुदरई जलाशय परियोजना बैहर में प्रभावित 12.655 हेक्टेयर वनभूमि (भारत सरकार द्वारा प्रकरण निरस्त) के एवज में इस वनमण्डल के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शित प्राप्त कुल 27.000 हे. गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, बालाघाट, जिला बालाघाट के आदेश क्र. 26 रा.प्र.क्र. अ-59 वर्ष 2013-14, दिनांक 28 जनवरी 2014 को हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.
2. अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार परसवाडा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- (1) व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- (2) सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-24-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-24-2019-दस-3, दिनांक 18 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 18th August 2021

No. F-25-24-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between N-22°6'29.3" to N-22°6'52.6" North Latitud and E-80°21'41.4" to E-80°22'5.3" East Longitude:—

SCHEDULE

**District—Balaghat, Tehsil—Paraswara, Forest Division—North (T) Forest Division Balaghat
Forest Range—West Baihar**

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Fatehpur	Fatehpur	Charnoi Sarkar	30/1 में से 30/3 30/4 30/5 30/6 30/7	5.496 4.168 4.249 5.261 3.277 4.549	North —Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to Pillar Number 7 of Protected Forest Block. East —Artificial Forest boundary from Pillar No. 7 to Pillar No. 10 Protected Forest Block and Sindhitola to Jagpur Road Forest Compartment No. 1478 of wester boundary. South —Artificial Forest boundary Pillar No. to 10 to Pillar No. 12 of Protected Forest Block. West —Artificial boundary Pillar No. 12 to Pillar No. 01 of Protected Forest Block.
				Total . .	27.000	

(A) Reason for Publication of Notification: —

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. 6-MPC 012-12015-BHO-435 dated 4th May 2016 and in lieu of 10.115 Paddinala Tank and 12.655 Kudri Tank (This Proposal was Rejected by govt.) total hectare of affected forest land under the sanctioned project of Paddinala Tank of Executive engineer, of Banjar River Project, Division Baihar District Balaghat Madhya Pradesh the above mentioned Non Forest Land of 27.000 ha. mentioned in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by letter of Balaghat Collector order No. 26/A year 2013-14 for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per certificate of Tahsildar Paraswara (Designation of competent revenue officer are as under:—

- Individual Rights** —No individual Right on the Land mentioned in schedule.
- Community Rights**—No Communities Right on the Land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-30-2019-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड 22°58'05.2" से 22°58'06.2" उत्तर अक्षांश तथा 76°01'39.8" से 76°01'40.5" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—देवास, तहसील—देवास, वनमण्डल—देवास, वनपरिक्षेत्र—देवास

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मेढ़की चक	मेढ़की चक	चरनोई	434	0.060	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.
योग . .					0.060	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6-MPB 160-2011-BHO-555, दिनांक 23 अगस्त 2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार वनखण्ड माता टेकरी अंतर्गत वन भूमि रोपवे अपर टर्मिनल निर्माण में प्रभावित 0.060 हेक्टर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 0.060 हेक्टर गैर वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, देवास का आदेश क्रमांक 42-अ-19-2011-12, दिनांक 5 अक्टूबर 2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

(ख) अनुसूची में दर्शित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, तहसील देवास द्वारा जारी (संलग्न) प्रमाण-पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में दर्शित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
- सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में दर्शित भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-30-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-30-2019-दस-3, दिनांक 19 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 19th August 2021

No. F-25-30-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between 22°58'05.2" to 22°58'06.2" North Latitude 76°01'39.8" to 76°01'40.5" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Dewas, Tehsil—Dewas, Forest Division—Dewas, Forest Range—Dewas

S. No.	Details of land included				Forest Block Boundaries	
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (in Hectare)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Medkichak	Medkichak	Charnoi	434	0.060	<p>North—Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to 02 of Protected Forest Block.</p> <p>East— Artificial Forest boundary from Pillar No. 02 to 03 of Protected Forest Block.</p> <p>South—Artificial Forest boundary from Pillar No. 03 to 04 of Protected Forest Block.</p> <p>West—Artificial Forest boundary from Pillar No. 04 to 01 of Protected Forest Block.</p>
<u>Total . .</u>					<u>0.060</u>	

(A) Reason for Publication of Notification: —

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No.6-MPB 160-2011-BHO-555, dated 23rd August 2017 and in lieu of 0.060 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Mata Tekri Ropway upper terminal construction the above mentioned Non Foerst Land of 0.060 hectare mentioned in schedule transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order No. 42-A-19-2011-2012, dated 5th October 2013 of Collector Dewas (Revenue Department) for the purpose of Compensatory afforestation.

(B) Details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per Certificate of Competent revenue officer Tehsildar Tehsil Dewas are as under.

1. **Individuals Rights** —No individuals Rights on Above Land mentioned in schedule.
2. **Community Rights**—No Community Rights on Above Land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-35-2019-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड मौहरी-ए N-22°57'23.315" से N-22°57'38.901" उत्तर अक्षांश तथा E-81°29'11.805" से E-81°29'34.516" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—अनूपपुर, तहसील—पुष्पराजगढ़, वनमण्डल—अनूपपुर, वनपरिक्षेत्र—राजेन्द्रग्राम

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मौहरी-ए	मौहरी	राजस्व भूमि	56 46/3 46/4 47/2ख 47/4	0.805 1.619 5.443 1.620 6.475	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारे क्र. 01 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारे क्र. 10 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारे क्र. 12 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारे क्र. 20 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग . .					15.962	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-24-2016-एफ.सी., दिनांक 20 मार्च 2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल की स्वीकृत परियोजना मिथेन गैस प्रोजेक्ट शहडोल में प्रभावित 77.05 हे. भूमि के एवज में प्राप्त कुल 18.583 हे. गैर वन भूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 15.962 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, अनूपपुर के आदेश क्रमांक 27-अ-74-2016-17, दिनांक 16 जून 2017 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी—निरंक (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—कोई नहीं.
- सामुदायिक अधिकार.—कोई नहीं.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-35-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-35-2019-दस-3, दिनांक 19 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 19th August 2021

No. F-25-35-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies Mauhari-A between N-22°57'23.315" to N-22°57'38.901", North Latitude and E-81°29'11.805" to E-81°29'34.516" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Anuppur Tehsil—Pushprajgarh, Forest Division—Anuppur, Forest Range—Rajendragram

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries (7)
	Name of Forest Block (2)	Name of Village (3)	Head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area (in Hectare) (6)	
1	Mauhari-A	Mauhari	Revenue land	56 46/3 46/4 47/2Kha 47/4	0.805 1.619 5.443 1.620 6.475	North —Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to 10 of Protected Forest Block. East —Artificial Forest boundary from Pillar No. 10 to 12 of Protected Forest Block. South —Artificial Forest boundary from Pillar No. 12 to 20 of Protected Forest Block. West —Artificial Forest boundary from Pillar No. 20 to 01 of Protected Forest Block.
Total . .					15.962	

(A) Reason for Publication of Notification: —

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No.8-24-2016-FC, dated 20th March 2017 and in lieu of 77.05 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Methane Gas Exploration Project in Shahdol of M/s. Reliance Industries Ltd. the above mentioned Non Forest Land of 15.962 ha. mentioned in schedule transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order No. Collector Anuppur order No. 27-A-74-2016-17, dated 16th June 2017 for the purpose of Compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report No. Nil dated Nil are as under.

1. Individual Rights—Nil

2. Community Rights—Nil

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-64-2019-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N-22°2'27.563" से N-22°2'38.500", उत्तर अक्षांश तथा E-74°22'32.648" से E-74°22'50.166" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—अलीराजपुर, तहसील—सोण्डवा, वनमण्डल—अलीराजपुर, वनपरिक्षेत्र—सोण्डवा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					संरक्षित वनखण्ड की सीमाएं (7)
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	खाम्बा	खाम्बा	पहाड़	50	1.50	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 6 कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				51	0.17	
				52	1.36	
				53	1.26	
				59	4.71	
				योग . . .	9.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F. No. 6-MPCO33-2011-BHO-44, दिनांक 25 जनवरी 2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-2 अलीराजपुर की स्वीकृत परियोजना बखतगढ़-साकड़ी से बोरवाला रोड निर्माण में प्रभावित 6.63 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में अनुसूची में दर्शित प्राप्त कुल 09.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला अलीराजपुर के आदेश क्रमांक 1226-रीडर-2-2010, दिनांक 4 दिसम्बर 2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) अनुसूची में दर्शित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, सोण्डवा के प्रतिवेदन क्रमांक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-64-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-64-2019-दस-3, दिनांक 19 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 19th August 2021

No. F-25-64-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between N-22°2'27.563" to N-22°2'38.500", North Latitude and E-74°22'32.648" to E-74°22'50.166" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Alirajpur Tehsil—Sondwa, Forest Division—Alirajpur, Forest Range—Sondwa

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries (7)
	Name of Forest Block (2)	Name of Village (3)	Head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area (in Hectare) (6)	
1	Khamba	Khamba	hill	50 51 52 53 59	1.50 0.17 1.36 1.26 4.71	North —Artificial Forest boundary from Piller No. 01 to 06 to Protected Forest Block. East —Artificial Forest boundary from Piller No. 06 to 08 to Protected Forest Block. South —Artificial Forest boundary from Piller No. 08 to 11 to Protected Forest Block. West —Artificial Forest boundary from Piller No. 11 to 01 to Protected Forest Block.
Total . .					09.00	

(A) Reason for Publication of Notification:—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter F. No. 6-MPCO33-2011-BHO-44 dated 25-01-2017 and in lieu of 108 hectare of affected forest land under the sanctioned project of GENERAL MANAGER M.P. RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY, PROJECT IMPLEMENTATION UNIT No.2 IN ALIRAJPUR DISTRICT OF BAKHATGHAR-SAKRI TO BORWALA the above mentioned Non Forest Land of 9.00 hectare mentioned in schedule transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. 1226, dated 4th February 2010 of Collector ALIRAJPUR for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No.8, dated 8th January 2016 of Sub Divisional Magistrate, Sondwa (Designation of Competent Revenue Officer) are as under.

1. Rights of Individuals —Nil

2. Rights of Communities—Nil

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-65-2019-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड मौहरी-बी N-22°57'5.803" से N-22°57'14.316" उत्तर अक्षांश तथा E-81°29'52.238" से E-81°29'58.495" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—अनूपपुर, तहसील—पुष्पराजगढ़, वनमण्डल—अनूपपुर, वनपरिक्षेत्र—राजेन्द्रग्राम

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मौहरी-बी	मौहरी	राजस्व भूमि	81 83	1.969 0.652	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारे क्र. 01 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारे क्र. 10 से 27 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारे क्र. 27 से 31 की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारे क्र. 31 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
					योग . . .	2.621

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-24-2016-एफ.सी., दिनांक 20 मार्च 2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल की स्वीकृत परियोजना मिथेन गैस प्रोजेक्ट शहडोल में प्रभावित 77.05 हे. भूमि के एवज में प्राप्त कुल 18.583 हे. गैर वन भूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 2.621 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, अनूपपुर के आदेश क्रमांक 27-अ-74-2016-17, दिनांक 16 जून 2017 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी—निरंक (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—कोई नहीं.
- सामुदायिक अधिकार.—कोई नहीं.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-65-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-65-2019-दस-3, दिनांक 19 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 19th August 2021

No. F-25-65-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block Mauhari-B lies between N-22°57'5.803", to N-22°57'14.316", North Latitude and E-81°29'52.238" to E-81°29'58.495" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Anuppur Tehsil—Pushprajgarh, Forest Division—Anuppur, Forest Range—Rajendragram

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries (7)
	Name of Forest Block (2)	Name of Village (3)	Head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area (Hectare) (6)	
1	Mauhari-B	Mauhari	Revenue land	81 83	1.969 0.652	North —Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to 10 of Protected Forest Block. East — Artificial Forest boundary from Pillar No. 10 to 27 of Protected Forest Block. South —Artificial Forest boundary from Pillar No. 27 to 31 of Protected Forest Block. West —Artificial Forest boundary from Pillar No. 31 to 01 of Protected Forest Block.
Total . . .					2.621	

(A) Reason for Publication of Notification: —

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No.8-24-2016-FC, dated 20th March 2017 and in lieu of 77.05 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Methane Gas Exploration Project in Shahdol of M/s. Reliance Industries Ltd. the above mentioned Non Forest Land of 2.621 ha. mentioned in schedule transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order No. Collector Anuppur 27-A-74-2016-17, dated 16th June 2017 for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons-Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report No. Nil dated Nil are as under.

- Individual Rights —Nil
- Community Rights—Nil

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-68-2021-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड 23°05'3.4" से 23°05'11.2" उत्तर अक्षांश तथा 79°46'16.6" से 79°46'25.3" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—जबलपुर, तहसील—शहपुरा, वनमण्डल—जबलपुर, वनपरिक्षेत्र—शहपुरा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मिरगा	मिरगा (प.ह.नं. 77).	वन (पूर्व घास मद).	74/1/2	2.12	उत्तर—आरक्षित वन खण्ड क्रमांक 112 धरमपुरा के मुनारा क्रमांक 28/1 से मुनारा क्रमांक 28 तक की आरक्षित की वन सीमा. पूर्व—आरक्षित वन खण्ड क्रमांक 112 धरमपुरा के मुनारा क्रमांक 28 से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 04 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 04 से 05 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से आरक्षित वन खण्ड क्रमांक 112 धरमपुरा के मुनारा क्रमांक 28/1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग . . .					2.12	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6-MPBO 59-2015-BHO-186, दिनांक 21 मार्च 2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग जबलपुर की स्वीकृत परियोजना हीरापुर जलाशय (घुघरा नाला) में प्रभावित 2.12 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त अनुसूची में वर्णित भूमि 2.12 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय, अपर कलेक्टर (ग्रामीण) जबलपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 43-अ-19-2014-15, आदेश पारित दिनांक 1 अगस्त 2015 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में दर्शित भूमि पर तहसीलदार शहपुरा भिटौनी के प्रतिवेदन क्रमांक 138-प्रवा.तह.-2016, दिनांक 15 फरवरी 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में दर्शित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(ब) सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में दर्शित भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-68--2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-68-2021-दस-3, दिनांक 18 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 18th August 2021

No. F-25-68-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between 23°05'3.4" to 23°05'11.2" North Latitude and 79°46'16.6" to 79°46'25.3" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Jabalpur, Tehsil—Shahpura, Forest Division—Jabalpur, Forest Range—Shahpura

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (in Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mirga	Mirga (P.H.N. 77)	Forest (Old grass land)	74/1/2	2.12	<p>North—Reserve Forest boundary from Pillar No. 28/1 to Piller Number 28 of Reserved Forest block Number 112 Dharampura.</p> <p>East— Artificial Forest boundary from Reserve Forest block number 112 Dharampura Piller No. 28 to Pillar No. 1 of to Piller Number. 4 of Protected Forest Block.</p> <p>South—Artificial Forest boundary from Pillar No. 4 to Pillar Number 5 of Protected Forest Block.</p> <p>West—Artificial Forest boundary from Pillar No. 5 of Protected Forest Block to Pillar Number 28/1 of reserved forest block Number 112 Dharampura.</p>
Total . .					2.12	

(A) Reason for Publication of Notification: —

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No.6-MPB 059-2015-BHO-186, dated 21st March 2017 and in lieu of 2.12 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Heerapur tank (Ghughra Nala) of water resources department Jabalpur, the above mentioned Non Foerst land of 2.12 hectare mentioned in schedule transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order No. 43-अ-19-2014-15, dated 1st August 2015 of Additional Collector Court (Rural) Jabalpur for the purpose of Compensatory afforestation.
- Details of other Reasons- Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. 138-प्रवा.तह.-2016 dated of 15th February 2016 Tehsildar Shahpura Bhitoni are as under.

- Individual Rights** —No individuals Rights are on Above Land mentioned in schedule.
- Community Rights**—No Communities Rights are on Above Land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-69-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड रामनगर से N-25°00'13.25" से N-25°00'23.80" उत्तर अक्षांश तथा E-80°46'37.42" से E-80°46'24.36" दक्षिण देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सतना, तहसील—मझगवां, वनमण्डल—सतना, वनपरिक्षेत्र—चित्रकूट

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र. (5)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रामनगर	रामनगर	राजस्व	83/1क	8.000	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11, 12 एवं 1 की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 07 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वन क्रमांक पी-55 के मुनारा क्रमांक 92 से 94 तक की वन सीमा.
योग . . .					8.000	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 863, दिनांक 17 नवम्बर 2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नाबार्ड की स्वीकृत परियोजना सड़क निर्माण में प्रभावित 16.20 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, सतना के आदेश क्रमांक 18-अ-19-(III) 2016-17 आदेश दिनांक 22 मार्च 2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में दर्शित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर, सतना (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक अ-19 (III) 2016-17 आदेश दिनांक 22 मार्च 2017 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- (अ) व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में दर्शित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- (ब) सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में दर्शित भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-69--2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-69-2021-दस-3, दिनांक 18 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 18th August 2021

No. F-25-69-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block Ramnagar lies between N-25°00'13.25" to N-25°00'23.80" & North Latitude and E-80°46'37.42" to E-80°46'24.36" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Satna, Tehsil—Majhgawan Forest Division—Satna, Forest Range—Chitrakoot

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
(1)	Name of Forest Block (2)	Name of Village (3)	Head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area (in Hectare) (6)	(7)
1	Ramnagar	Ramnagar	Revenue land	83/1क	8.00	<p>North—Artificial Forest boundary from Piller No. 11, 12 to 1 of Protected Forest Block.</p> <p>East— Artificial Forest boundary from Piller No. 1 to 5 of Protected Forest Block.</p> <p>South—Artificial Forest boundary from Piller No. 5 to 7 of Protected Forest Block.</p> <p>West—Artificial Forest boundary from Piller No. 92 to 94 of a compartment No. P-55.</p>
<u>Total . .</u>					<u>8.00</u>	

(A) Reason for Publication of Notification: —

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No.863, dated 17th November 2017 and in lieu of 16.20 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sadak Nirman NABARD the above mentioned Non Foerst land of 8.000 hectare mentioned in schedule transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order No. 18A19(III) 2016-17 dated 22nd March 2017 for the purpose of Compensatory afforestation. order No. 18-A19(III) 2016-17, dated 22nd March 2017 for the purpose of Compensatory afforestation.
- Details of other Reasons-Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. 18-A-19(III) 2016-17, dated of 22nd March 2017 of Collector, Satna (Designation of Competment Revenue Officer) are as under.

1. **Individual Rights** —Nil

2. **Community Rights**—Nil

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-71-2021-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) दिनांक 6 सितम्बर 1968 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्र. 6032-3092-10, दिनांक 1 जुलाई 1968 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था. और चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं. अतएव भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है. यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी. यह वनखण्ड N-21°20'07.0" से N-21°20'18.0" उत्तर अक्षांश तथा E-76°34'35.0" से E-76°35'04.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—बुरहानपुर, तहसील—खकनार, वनमण्डल—सामान्य बुरहानपुर, वन परिक्षेत्र—खकनार

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्र/संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसका सूचना का क्र. और दि. तथा राजपत्र प्रकाशन का दि.	क्षेत्रफल (हे. में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सांवली	24/करदली	सांवली (P/37)	84 95 85 83	गोचर पहाड पहाड नाला	3057/2422-11 दि. 4-6-1955/ 26-09-1955.	4.10 1.69 47.15 0.89	उत्तर—कटी हुई रेखा मुनारा क्र. 07 से 13 तक ग्राम सांवली की सीमा. पूर्व—कटी हुई मुनारा क्र. 13 से 19 तक ग्राम सांवली एवं आरक्षित वन. दक्षिण—आरक्षित वन एवं उतावली. पश्चिम—नाला सरहद आरक्षित वन से मुनारा क्र. 01 से 07 तक ग्राम सांवली.

योग . . 53.83

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-71-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-71-2021-दस-3, दिनांक 19 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 19th August 2021

No. F-25-71-2021-X-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 6032-3092-10, dated 1st July 1968 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 6th September 1968 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;

AND WHEREAS, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N-21°20'07.0" to N-21°20'18.0" North Latitude and E-76°34'35.0" to E-76°35'04.0" East Longitude.

SCHEDULE

District—Burhanpur, Forest Division—Burhanpur (T) Tahsil-Khaknar Forest Range-Khaknar

S. No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./PF Compartment	If Revenue Land then Head of the land	If Protected Forest then its Notification No. and date with gazette publication date	Area (hectare)	Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sanwali	24/ Kardali	Sanwali (P/347)	84	Gochar	3057/2422-11 dt. 4-6-1955/ 26-9-1955.	4.10	North—Cut line from S.P. No. 07 to 13 of Village Sanwali.
				95	Pahad		1.69	East—Cut line from S.P. No. 13 to 19 of Village Sanwali. & R. F.
				85	Pahad		47.15	
				83	Nala		0.89	South—R. F. Utawali. West—R. F. & Cut line from S.P. No. 01 to 07 of Village Sanwali & Nala.
Total (Block Area)							53.83	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-72-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N-22°54'22.659" से N-22°55'14.240" उत्तर अक्षांश तथा E-74°57'14'.722" से E-74°58'2.255" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—झाबुआ, तहसील—पेटलावद, वनमण्डल—झाबुआ (सामान्य), वनपरिक्षेत्र—पेटलावद						
अ.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बैकल्दा	बैकल्दा	ना काबिल कास्त	1477	50.00	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा 40 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा 14 से 16 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 40 तक की कृत्रिम वन सीमा.
					योग . .	50.00

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक F. No. 8-77-2007, FC, दिनांक 12 अक्टूबर 2009 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत इंदिरा सागर परियोजना में प्रभावित 119.305 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 50.00 हे. गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला झाबुआ के आदेश क्रमांक 4-अ-19(3)-1996-97-100, दिनांक 19 जनवरी 1997 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार पेटलावद के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- (1) व्यक्तिगत अधिकार.—निरंक.
- (2) सामुदायिक अधिकार.—निरंक.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-72-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-72-2019-दस-3, दिनांक 19 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 19th August 2021

No. F-25-72-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between N-22°54'22.659" to N-22°55'14.240" North Latitude and E-74°57'41'.722" to E-74°58'2.255" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Jhabua Tehsil—Petlawad, Forest Division—Jhabua, Forest Range—Petlawad

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (in Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Beklda	Beklda	NA Kabil Kasth	1477	50.00	<p>North—Artificial Forest boundary from Pillar No. 40 to 02 of Protected Forest Block.</p> <p>East— Artificial Forest boundary from Pillar No. 2 to 14 Protected Forest Block.</p> <p>South—Artificial Forest boundary from Pillar No. 14 to 16 of Protected Forest Block.</p> <p>West—Artificial Forest boundary from Pillar No. 16 to to 40 of Protected Forest Block.</p>
Total . .					50.00	

(A) Reason for Publication of Notification:—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter F. No. 8-77-2007-FC, dated 12th October 2009 and in lieu of 119.305 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Narmda valley Development Authority, Indira Sagar Pariyojna the above mentioned Non Forest land of 50.00 ha. mentioned in schedule has been transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order No. 4-A-19(3) 1996-97-100, dated 19th January 1997 of Collector Jhabua for the purpose of Compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report- dated of Tehasildar Petlawad are as under.

- Individual Rights** —There are No individual Rights on the said land mention in schedule.
- Community Rights**—There are No Communities Rights on the said land mention in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-73-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N-21°53'29.511" से N-21°54'1.998" उत्तर अक्षांश तथा E-74°15'56.481" से E-74°16'31.468" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—बडवानी, तहसील—राजपुर, वनमण्डल—बडवानी (सामान्य), वनपरिक्षेत्र—राजपुर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पाडला	पाडला पटवारी हल्का नम्बर-20	शासकीय पहाडी	110/1/ड 110/8	10.046 29.954	उत्तर—संरक्षित खण्ड मुनारा 01 से 22 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक 22 से 26 कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक 26 से 55 कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित खण्ड के मुनारा क्रमांक 55 से 01 कृत्रिम वन सीमा.
योग . .					40.000	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक No. 3-07-80-IA, दिनांक 24 जून 1987 एवं No.J-11016-5-84-IA-I दिनांक 13 अक्टूबर 1993 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत इंदिरा सागर परियोजना में प्रभावित वनभूमि के एवज में प्राप्त 40.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बडवानी के आदेश क्रमांक 738-739-रीडर-2006, बडवानी (प्र. क्र. 03-अ-74-05-06), दिनांक 24 अप्रैल 2006 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.
- अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार राजपुर द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र. एफ-25-73-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-73-2019-दस-3, दिनांक 18 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 18th August 2021

No. F-25-73-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between N-21°53'29.511" to N-21°54'1.998" North Latitude and E-74°15'56'.481" to E-74°16'31.468" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Barwani Tehsil—Rajpur Forest Division—Barwani (T), Forest Range—Rajpur

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (in Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Padala	Revenue Village Padala (P.H.No. 20).	Government hill	110/1/1D 110/8	10.046 29.954	North —Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to 22 of Protected Forest Block. East — Artificial Forest boundary from Pillar No. 22 to 26 of Protected Forest Block. South —Artificial Forest boundary from Pillar No. 26 to 55 of Protected Forest Block. West —Artificial Forest boundary from Pillar No. 55 to 01 of Protected Forest Block.
Total . .					40.000	

(A) Reason for Publication of Notification:—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. 3-07-80-IA, dated 24th June 1987 & No. J-11016-5-84-Ia-I, Dated 13th October, 1993 and in lieu of 40.000 hectare affected forest land under the sanctioned project of Narmada valley Development Authority, Narmada Bhawan, Bhopal of Indira Sagar Project the above mentioned Non Forest land of 40.000 ha. mentioned in schedule has been transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order No. 738-739-Ridar-2006 Barwani (RC No. 03-A-74-2005-06) dated 24th May 2006 of Collector District Barwani for the purpose of Compensatory afforestation is to be declared as protected Forest.

- Details of other Reasons- Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report of Tahasildar Rajpur are as under.

- Individual Rights** — No individual Rights on the land mention in schedule.
- Community Rights**—No Communities Rights on the land mention in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2021

क्र. एफ 1-5-19-रा.स.-यू.ए.-1-764.—डॉ. टी. एन. दुबे, कुलपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2021 को कुलपति पद से प्रस्तुत किया गया त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है। डॉ. दुबे दिनांक 14 अगस्त 2021 को अपराह्न से कार्यमुक्त होंगे।

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ 1-1-2021-रा.स.-यू.ए.-1-790.—महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 28 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन एतद्वारा प्रो. विजय कुमार सी.जी., प्रोफेसर, वेद एवं व्याकरण विभाग, कविकुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक जिला नागपुर (महाराष्ट्र) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष कालावधि के लिए महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी।

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ 1-5-21-रा.स.-यू.ए.-1-802.—यतः मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2011) की धारा 51 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-2-33-2019-55-1, दिनांक 17 अगस्त 2021 जारी की है, जो कि तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गई है।

2. अतः मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की अनुसूची की यथाउपांतरित धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन से परामर्श करने के उपरान्त मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर एतद्वारा श्री बी. चन्द्रशेखर, आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर (म. प्र.) को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

पत्र क्र -भू-अर्जन-2021

दमोह, दिनांक 3 मार्च 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :- जिला - दमोह, तहसील - पथरिया, ग्राम - सेमरा बुजुर्ग, पुरापायरा
क्षेत्रफल - 1.575 हेक्टर.

ग्राम सेमरा बुजुर्ग

क्र	भू-धारक का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे0) में
1.	श्री गनपत पिता रेवाराम सा. सेमरा	81/2	0.01
2.	श्रीमति दुर्गेश नंदनी पति राधिकाप्रसाद सा0देह	93	0.13
3.	श्री देव पार्श्वनाथ जी मंदिर मुह. राधिका प्रसाद पिता प्रेमनारायण प्रबंधक कलेक्टर दमोह	94	0.24
4.	श्री रामकिशुन पिता मनमोहन सा. सेमरा बुजुर्ग	96/1	0.14
5.	श्रीमति जानकीरानी पति हरेराम कुर्मी सा. सेमरा बुजुर्ग	96/6 106/7	0.04 0.04
6.	श्री हरिश्चंद्र पिता हरेराम सा. सेमरा बुजुर्ग	106/1/1	0.02
7.	श्री नरेन्द्र पिता जुगल सा. सेमरा बुजुर्ग	106/1/2	0.02
8.	श्री करी पिता मन्नूलाल सा. सेमरा बुजुर्ग	106/3	0.04
9.	श्रीमति अंजोरानी पति कैलाश कुर्मी सा. सेमरा बुजुर्ग	106/4 106/5	0.02 0.04
10.	श्रीमति विनीता पति दिनेश कुर्मी सा. सेमरा बुजुर्ग	106/8	0.02
11.	श्री राधिका प्रसाद पिता प्रेमनारायण 1/3 भाग, विष्णु प्रसाद पिता प्रेमनारायण 1/3 भाग, बंसत पिता राधिकाप्रसाद 1/3 भाग	109 136	0.04 0.02
12.	श्री सीताराम पिता भगवानदास कुर्मी सा. सेमरा बुजुर्ग	110 111	0.08 0.03
13.	श्री बंसत पिता राधिकाप्रसाद	140	0.28
14.	श्री रामकरण पिता गोविंद सा. सेमरा बुजुर्ग	96/2	0.02
15.	श्री रामेश्वर, दमोदर पिता पूरन सा. खोजाखेड़ी	104/1	0.09
16.	श्री गोपाल पिता खरगराम उर्फ बालमुकुद सा. सेमरा बुजुर्ग	104/2	0.07

ग्राम पुरापायरा

क्र	भू-धारक का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे0) में
1.	श्री कलु पिता रामचरन	222/2	0.08
2.	श्री बाबूलाल पिता मिहीलाल	375/3	0.01
3.	श्री शिवराम पिता लक्ष्मीप्रसाद	392/2	0.02

4.	श्री अशोक पिता शिवप्रसाद	393/1	0.03
5.	रामभरोसे पिता भोला	463/1/1	0.005
6.	श्री खरगराम पिता भोला	463/1/2	0.005
7.	श्री नंदराम पिता भोला	463/1/3	0.005
8.	श्री रामचरन, शिवप्रसाद, दीपू, कालूराम पिता बालचंद	465	0.010
9.	श्री इमरत पिता गोले	341/1/2	0.020
		341/1/1/2	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है सेमरा तिगड्डा से जोरतला पुरा मार्ग निर्माण बाबत ।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भ/स दमोह संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरुण राठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र 07-भू-अर्जन-2021-22-3002

दमोह, दिनांक 10 अगस्त 2021

प्रकरण क्रमांक 002 अ/82 वर्ष 2021-22 :- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि अधिसूचना अनुसूची के कॉलम क्रमांक (01) से (04) में वर्णित भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन				धारा-11 की	सार्वजनिक
जिला	तहसील का नाम	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल (हे. में)	उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
दमोह	पटेरा	पटेरिया	0.85 हे. निजी, 0.50 हे. शास. कुल 1.35 हे.	उप मुख्य अभियंता /नि. पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल	बीना-कटनी तृतीय रेललाईन परियोजना

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का नक्शा(प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं उप मुख्य अभियंता/नि. पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

प्र क्र. 20-अ-82-2020-21

राजगढ़, दिनांक 23 जून 2021

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम समेली के लिए डूब क्षेत्र में वर्णित आबादी के अन्तर्गत छोटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 167/4 रकबा 1.341 हे. पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम समेली

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4	5	6
1	167/4	1.341	लक्ष्मीनारायण पिता श्री गंगाधर जाति साहू	30	116.59
2			कुमेरसिंह पिता शिवसिंह निवासी टाड़ी जाति सौधिया	31	39.65
कुल योग :-					156.240
				या (हे.में)	0.016

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 07-अ-82-19-20-भू-अर्जन-21-6559

सागर, दिनांक 25 जून 2021

मौजा पहरगुवां पट.ह.नं.-60 तहसील मालथौन
(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभावित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य
(2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
2. तहसील : मालथौन
3. ग्राम : पहरगुवां
4. पट.ह.नं.- : 60
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 256.990 हेक्ट.

:: अनुसूची -01 ::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में.)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मंगलसिंह जबाहरसिंह किशोरसिंह पिता धोकल सिंह बड़ीबहू वेवा धोकलसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	234	0.480	0.480	0.000	0.000	-
			242	1.010	0.700	0.000	0.000	गुरार-2 खेर-1 बास-120 बेरी-1
			303	0.650	0.640	0.000	0.010	अमरुद-25 अनार-1 आम-1 जामुन-1 नीबू-4 गुरार-2 बास-80 सीसम-1 छेवला-1 सेजा-1 कुआपवका-1

			355	0.630	0.620	0.000	0.010	कसई-1 गुरार-1 कुआपक्का-1
			477	0.480	0.480	0.000	0.000	-
			721	0.690	0.690	0.000	0.000	सेमर-1 बबूल-1
			735	0.740	0.740	0.000	0.000	-
2	भोले ना.बा. पिता लटकन शंकर ना.बा. पिता लटकन भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	79/1	0.580	0.400	0.180	0.000	बहेडा-1
3	नारान पिता गजराज सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	79/2	1.120	0.000	0.050	0.000	-
4	दुर्गाबाई बेवा इमरत टीरमसींग देवसींग बृजकिशोर पिता इमरत सुदामाबाई पिता इमरत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	641	0.060	0.060	0.000	0.000	-
			761	1.300	0.000	1.300	0.000	-
			762	0.200	0.200	0.000	0.000	-
			765	0.590	0.590	0.000	0.000	-
			769	0.550	0.550	0.000	0.000	-
			770	0.830	0.000	0.830	0.000	बहेडा-1 रेजा-1 गुन्जा-1 कोहा-2 उमर-1 रुसल्ला-1 छेवला-1
			771	0.590	0.590	0.000	0.000	-
			772	0.100	0.100	0.000	0.000	-
			774	0.760	0.760	0.000	0.000	-
			818	0.180	0.000	0.180	0.000	-
5	तखतसिंहपिता साधुगिरवर बडीबिन्ना हल्कीबिन्ना पिता गोपाल पौथीबाई पति जोधानसींग वीरसिंह पिता भज्जू दरयावसींग गुलाबसींग पिता हरीसींग सियाबाई बेवा प्रेमसींग मीराबाई पुत्री प्रेमसींग पता मालथौन सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	78/1	0.600	0.000	0.600	0.000	अमरुद-1 कुआकच्चा-1
			783	1.000	0.100	0.000	0.000	-
			661/1	0.090	0.090	0.000	0.000	-
			661/3	0.090	0.090	0.000	0.000	-
			659/3	0.240	0.240	0.000	0.000	-
			76/2	0.500	0.000	0.380	0.000	छेवला-1 किरवारा-1
			77	0.190	0.180	0.000	0.000	-
			78/2	0.400	0.000	0.400	0.000	-
			722	0.200	0.000	0.200	0.000	-
			723	0.340	0.340	0.000	0.000	-
			753/2	0.240	0.240	0.000	0.000	-
			659/1	0.590	0.590	0.000	0.000	-
659/2	0.240	0.240	0.000	0.000	-			

			752	0.730	0.730	0.000	0.000	-
			661/2	0.090	0.090	0.000	0.000	-
			659/3	0.240	0.240	0.000	0.000	-
			661/4	0.080	0.080	0.000	0.000	-
			76/1	0.500	0.000	0.100	0.000	-
6	तखतसिंहपिता साधुगिरवर श्रीबाईरतिबाईपिता गोपाल दरयावसिंह पिता हरीसिंह सियाबाई बेवा प्रानसींग मीराबाई पुत्री प्रेमसिंह जयसिंह सहोद्रात्रिवेणी पिता रतनसिंह हरदेवसींग जगदेवसींग पिता कीरतसींग नत्थीबाई बेवा कीरतसींग पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	353/1	0.370	0.360	0.000	0.010	कुआपक्का-1
			353/2	0.370	0.360	0.000	0.010	बेरी-1 जामुन-4 आवला-4 अमरुद-5 नीबू-3 बेल-1 कंधा-1 मुनगा-1 आम-2 नीम-5 कुआपक्का-1
			354/1	0.210	0.210	0.000	0.000	-
			354/2	0.200	0.200	0.000	0.000	-
			354/3	0.210	0.210	0.000	0.000	-
7	तखतसिंहपिता साधुगिरवर पिता गोपाल बडीबिन्ना हल्की बिन्ना पिता गोपाल पौथी बाई पति जोधनसिंह वीरसिंह पिता गज्जू सियाबाई बेवा प्रेमसिंह पिता मीराबाई पुत्री प्रेमसिंह मंगल पिता ओतारसिंह हरीबाई प्यारीबाई पुत्री धोकलसिंह जमनाबाई बेवा धोकलसिंह पता पहरगुवां मालथौन सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	298	0.050	0.000	0.050	0.000	कसई-1
			619	0.290	0.290	0.000	0.000	-
			662	0.670	0.670	0.000	0.000	रेजा-1
			807	0.280	0.280	0.000	0.000	-
			806/1	0.180	0.180	0.000	0.000	-
			806/2	0.170	0.170	0.000	0.000	-
			806/3	0.170	0.170	0.000	0.000	-
			663	0.520	0.400	0.120	0.000	आस्ती-1
8	बहादुर पिता रल्ली देवकाबाई पिता रल्ली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	733	0.490	0.490	0.000	0.000	-
9	महादेव मुन्नी पि. चितरसिंह नीमाबाई हलकी पिता चितरसिंह व अमनीबाई बेवा चितरसिंह जमनाबाई गिरजाबाई चिन्जाबाई पिता लालसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	239	0.120	0.000	0.120	0.000	-
			533	1.000	1.000	0.000	0.000	छेवला-1 बरगद-1
			544	1.090	0.000	1.090	0.000	-
			652	1.140	1.140	0.000	0.000	बेरी-1 बबूल-1 सूलबबूल-2
10	मुन्नीबाई बेवा वीरसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी शीला पुत्री वीरसिंह पता सागर मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी भागबाई पुत्री वीरसिंह पता सागर मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी विनीता पुत्री वीरसिंह पता सागर मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	306	0.140	0.130	0.000	0.010	बेरी-1 कुआपक्का-1

11	तेजसिंह पिता वीरसिंह पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	516/1	0.600	0.590	0.000	0.010	बेरी-2, कंधा1 मुनगा-1 अमरुद-1 छेवला-2 बास-90नीम-1 चिरोल-1 कुआपक्का-1
			575/1	0.090	0.000	0.090	0.000	
12	उजयार पिता वीरसिंह पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	516/2	0.020	0.000	0.020	0.000	-
			562	0.900	0.900	0.000	0.000	-
13	धर्मद्व पिता वीरसिंग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	570	0.860	0.860	0.000	0.000	
14	ऊजवल पिता वीरसिंग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग	भूमिस्वामी	575/2	0.090	0.000	0.090	0.000	-
			620	0.610	0.610	0.000	0.000	-
15	रघुराज पिता वीरसिंग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	611	0.790	0.790	0.000	0.000	छेवला-1
16	हीरत सींग पिता मानसींग सा. इमलिया खुर्द भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	71	0.540	0.040	0.000	0.000	-
			75/2	0.400	0.380	0.000	0.000	कुआपक्का-1
17	लाल सिंह राजपाल शिवराज सिंह रामपालसिंह पिता घूमन सिंह सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	72	0.340	0.190	0.000	0.000	कुआपक्का-1
			730	0.350	0.350	0.000	0.000	-
			731/2	0.250	0.250	0.000	0.000	-
18	अमोल सींग निजामसींग खूवसींग राधा लीला रामवती पिता अनंतसींग पानबाई बेबा अनंतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	73	0.340	0.160	0.000	0.000	-
			841	1.340	1.340	0.000	0.000	छेवला-2 कोहा-1 पीपल-1
19	विशाल ना. वा. पिता भगवानसींग खेतसींग ना.वा. पिता जगदीश सींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	140	1.710	1.700	0.000	0.010	बेल-1 बास-14 बहेडा-2 कोहा-5 पीपल-1 सूलबबूल-1 साज-1 महुआ-1 कुआपक्का-1
20	गोलराम पिता परम नन्हीवाई पति गोलराम शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	141	0.860	0.860	0.000	0.000	रुसल्ला-1
21	कल्याणसिंह हल्केसींग पिता मंगल बड़ीबहू बेबा मंगलमंगल भगवानदास पिता लक्ष्मन पिता प्रतापसिंह मेघराज नाबा पिता चन्द्रभान परताप बेबा चन्द्रभान पता पहरगुवा मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी गिरजाबाई बेबा खुमान नन्हीवाई बेबा पगसींग पिता निरननसींग देवीसींग चरन विश्राम उधमसींग पिता मल्हूसींग सुमन्त्रा बेबा मल्हूसींग पता पहरगुवा मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	144	0.460	0.450	0.000	0.010	बेरी-1 कुआपक्का-1
			217	0.050	0.050	0.000	0.000	-
			218	0.050	0.000	0.000	0.050	-
			545	0.270	0.270	0.000	0.000	-
			681	0.130	0.090	0.000	0.000	-
			683	0.040	0.040	0.000	0.000	-
			702	0.210	0.210	0.000	0.000	-
			749	0.400	0.400	0.000	0.000	-
757	0.240	0.240	0.000	0.000	बबूल-1			

22	धरमसींग पिता किसोर सींग जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	151	0.360	0.360	0.000	0.000	-
			582/2	0.600	0.600	0.000	0.000	-
23	खलकसींग मेघराज अमोलसींग चैनसींग पिता तुलसीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	155	0.500	0.500	0.000	0.000	-
			162	0.650	0.650	0.000	0.000	-
			163/2	0.130	0.130	0.000	0.000	-
24	रूपसींग पिता जनकसींग लोधी पता पहरगुवां सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	164/1	0.080	0.080	0.000	0.000	
			173/1	0.140	0.140	0.000	0.000	बास-30 पीपल-1 बेरी-1
			199/1	0.040	0.000	0.040	0.000	
			200/1	0.050	0.000	0.050	0.000	
			613/1	0.230	0.230	0.000	0.000	-
25	उदयसिंह अमरसिंह पिता दयाराम पूनाबाई रतिबाई पुत्री दयाराम पता मालथौन सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	164/2	0.090	0.090	0.000	0.000	
			173/2	0.140	0.140	0.000	0.000	
			174/1/ 1/1	0.330	0.330	0.000	0.000	बेरी-3 आवला-1 बास-50 पीपल-1 सागोन-4 केम-1
			199/2	0.030	0.000	0.030	0.000	
			200/2	0.040	0.000	0.040	0.000	
			613/2	0.240	0.240	0.000	0.000	
26	धर्माबाई बेवा हल्कूसिंह रामसिंह पिता इमरत सिंह वीरसिंह भरत पिता इमरतसिंह हम्मीरसिंह रनवीरसिंह रामकली पिता इमरत सिंह पानबाई बेवा इमरतसिंह महादेव हल्काई जयहिन्द पिता इदलसिंह तेजकुवर पता पहरगुवां सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग स्वामी	भूमिस्वामी	164/3	0.170	0.170	0.000	0.000	-
			173/3	0.260	0.260	0.000	0.000	
			174/1/ 1/2	0.650	0.650	0.000	0.000	
			199/3	0.080	0.080	0.000	0.000	
			200/3	0.090	0.090	0.000	0.000	
			613/3	0.460	0.460	0.000	0.000	
27	गुड्डीबाई बेवा नत्थू पता मालथौन मालथौन सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	174/1/ 2	0.320	0.320	0.000	0.000	
28	कल्याननत्थूबाबूसींगशांतिबाई पिता मलखानसींग पता पहरगुवां मालथौन सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	166/1	0.080	0.000	0.080	0.000	-
			169/3	0.100	0.000	0.100	0.000	-
			624	0.210	0.210	0.000	0.000	-
			755	0.490	0.490	0.000	0.000	सागोन-1 बबूल-1 बास-30 कुआपक्का-1
			738	0.470	0.470	0.000	0.000	-

29	कडोरीनन्नेभाईपंचमनावपिताबापालक भगवानसीग खलक पिता तुलसीराम पता पहरगुवां मालथौन सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	166/2	0.160	0.000	0.160	0.000	
			169/2	0.100	0.000	0.100	0.000	
			708/1	0.160	0.160	0.000	0.000	
			739	0.470	0.470	0.000	0.000	-
30	तखतसिंह पिता मुडे उम्मेद सिंह पिता हरी सिंग मीरा बाई कलाबाई भानवती भूरी पुत्री हीरा सिंग पता सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी राजेन्द्र पिता हरीसीग दशोदा बेबा हरीसीग कुंवर बाई माखन सिंग परमसिंग हम्मीरसिंग भुट्टो बाई कमला बाई पिता दौलत सिंग पता सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	169/1	0.100	0.000	0.100	0.000	
			670	0.120	0.110	0.000	0.010	कुआपक्का-1
			685	0.390	0.000	0.390	0.000	
31	सरजूबाई उर्फ बड़ीबहू बेवा परबूसिंह स्यानी बेवा परबूसिंह रामसीग कलूचंदाबाई पुत्री परबूसिंह भूमि स्वामी रामसीग कलू अवयस्क व वल्द व वली दलूसीग सूरत पिता पुसक अनंतसिंह पिता रतनसिंह नाथूराम साबूलाल भूमि पिता नंदलाल शंकरलाल पिता परवत अर्जनसिंह पिता तेज सिंह मोटीबाई बेवा भगवानसिंह धीरजसिंह पिता तेजसिंह भूमि स्वामी धन्नाबाई पुत्री तेजसिंह दुरगसीग भगतसीग पहारसीग पिता अनरथसिंह सुगंधीबाई सीतीबाई पुत्री अनरथसिंह भूमि स्वामी रामकली बाई बेवा अनरथसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	167	0.280	0.280	0.000	0.000	-
			168	0.390	0.390	0.000	0.000	-
			183	0.320	0.320	0.000	0.000	-
			184	0.230	0.230	0.000	0.000	-
32	जोधनसिंह पिता गोपी सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	170	0.650	0.650	0.000	0.000	-
			171	0.900	0.900	0.000	0.000	कोहा-3 छेवला-1
			185	0.280	0.280	0.000	0.000	-
			220	0.330	0.330	0.000	0.000	-
			756	0.540	0.540	0.000	0.000	बबूल-1
33	हाकमसीग पिता हिम्मतसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	175	0.600	0.000	0.600	0.000	-
34	करनसीग पिता अनंतसीग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	176	0.270	0.270	0.000	0.000	-
			797	0.770	0.770	0.000	0.000	-
			798	0.170	0.170	0.000	0.000	-
35	जगभान विन्द्रावन पिताकडोरी दशोदाबाई बेवा कडोरी गुलाबाई बेवा हल्केसीग राघवेन्द्र अव. भूमि स्वामी वल्द हल्केसीग व वली मां मुलाबाई बेवा हल्केसीग हिम्मतसिंह हिम्मतसिंह निजामसिंह पिता गुलझार भूमि स्वामी सिंह गुडडीबाई पुम्मीबाई भूरीबाई पिता गुलझारसिंह बड़ीबहू बेवा गुलझारसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	177	0.400	0.400	0.000	0.000	-

36	नीमाबाई पति रामसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	178	0.180	0.180	0.000	0.000	-
			179/2	0.060	0.000	0.060	0.000	-
			180/1	0.060	0.000	0.060	0.000	-
37	मीराबाई पति भगवानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	181	0.620	0.320	0.300	0.000	-
38	प्रेमसींग गुलाबसींग प्रहलाद पिता रंधीर रामरती बेबा रंधीर पता सागर मध्य प्रदेश 4/10 भाग भूमि स्वामी राजागोविंद सुमनपुष्पारामदेवीरेखा सोनाबाई बेबा सरदारसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी भगवानसींग पिता घनश्याम पता पहरगुवा मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	182	1.300	0.000	1.300	0.000	पीपल-1
39	गंगाबाई पति मोहनसींग कपूरी पति गनेश पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	187	0.240	0.000	0.240	0.000	-
			252	0.880	0.880	0.000	0.000	पीपल-1
40	उमैद पिता हीरासींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	188	0.230	0.230	0.000	0.000	-
41	सुरेन्द्र सींग पिता दरयावसींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	189/2	0.810	0.810	0.000	0.000	महुआ-1
			195/1	0.430	0.430	0.000	0.000	-
42	महरवान प्रानसींग पिताहल्कू गेदाबाई पुत्री हल्कू रमलाबाई बेबा हल्कू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	190	0.880	0.880	0.000	0.000	-
43	दशोदाबाई पति हीरासिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	191	0.880	0.870	0.000	0.010	अमरुद-2 आम-2 बेरी-1 छेवला-1 कुआपक्का-1
			192	0.500	0.500	0.000	0.000	-
44	चंदनसींग पिता सूरतसींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	193	0.780	0.780	0.000	0.000	-
45	लक्ष्मन पिता खुमान सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	194/2	0.170	0.170	0.000	0.000	-
			782/2	0.390	0.390	0.000	0.000	जामनु-1
			815	0.830	0.830	0.000	0.000	छेवला-1
46	जयसिंह कल्यानसिंह ना.वा. वल्द व वली उत्तमसिंह पिता मूरतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	197/2	0.070	0.000	0.070	0.000	महुआ-2
			229/2	0.020	0.020	0.000	0.000	-
			232/2	0.250	0.180	0.000	0.000	-
			778/2	0.110	0.110	0.000	0.000	-
			779/2	0.120	0.000	0.120	0.000	-
47	मनई पिता खिलान पता पहरगुवा मालथौन सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	198/1	0.100	0.000	0.100	0.000	-
48	मनई पिता खिलान पता पहरगुवा मालथौन सागर मध्य प्रदेश 23/34 भाग भूमि स्वामी कुमारीमानसी जैन पिता सुनीलकुमार पता सागर मध्य प्रदेश 11/34 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	776/1	0.340	0.340	0.000	0.000	-

49	कुमारी मानसी जैन मानसी जैन पुत्री सुनील कुमार जैन पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	777/1	0.330	0.000	0.330	0.000	-
50	मंदिर जगदम्बे मा मुह. रतनसींग दरयावसींग गुलाबसींग सुकदीन. पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	149/2	0.160	0.000	0.160	0.000	कोहा-1
			201/2	0.230	0.000	0.230	0.000	-
			763/2	0.500	0.500	0.000	0.000	-
			764/2	0.180	0.180	0.000	0.000	-
51	बहादुर पिता रल्लीसींग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	202/1	0.020	0.000	0.000	0.020	-
			203/1	0.050	0.000	0.050	0.000	-
			204/1	0.050	0.050	0.000	0.000	-
			205/1	0.120	0.000	0.120	0.000	-
			498/1	0.390	0.380	0.000	0.010	कुआपक्का-1
			509	0.010	0.000	0.000	0.010	-
			684/1	0.030	0.000	0.000	0.030	-
			688/1	0.110	0.000	0.110	0.000	-
			701/1	0.260	0.260	0.000	0.000	दयुबवेल-1
			724/1	0.260	0.260	0.000	0.000	-
			726/1	0.180	0.000	0.180	0.000	-
			734/1	0.240	0.000	0.240	0.000	-
			737/1	0.080	0.000	0.080	0.000	-
			745/1	0.270	0.270	0.000	0.000	-
			747/1	0.270	0.270	0.000	0.000	सेमर-1 बबूल-1
			760/1	0.080	0.080	0.000	0.000	-
767/1	0.070	0.000	0.070	0.000	-			
799/1	0.480	0.480	0.000	0.000	सेमर-2			
803/1	0.100	0.000	0.100	0.000	-			
804/1	0.060	0.060	0.000	0.000	-			
805/1	0.100	0.000	0.100	0.000	-			
52	नारायण पिता पाखु पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	202/2	0.020	0.000	0.000	0.020	-
			203/2	0.040	0.000	0.040	0.000	-
			204/2	0.060	0.000	0.060	0.000	-
			205/2	0.110	0.000	0.110	0.000	-
			498/2	0.400	0.000	0.400	0.000	-
			684/2	0.030	0.000	0.030	0.000	-
			688/2	0.120	0.000	0.120	0.000	-
			701/2	0.250	0.000	0.250	0.000	-
			724/2	0.070	0.000	0.070	0.000	-
724/3	0.450	0.450	0.000	0.000	-			

			726/2	0.190	0.000	0.190	0.000	—
			734/2	0.240	0.240	0.000	0.000	—
			737/2	0.070	0.000	0.070	0.000	—
			745/2	0.270	0.000	0.270	0.000	—
			747/2	0.270	0.270	0.000	0.000	—
			760/2	0.090	0.090	0.000	0.000	—
			767/2	0.070	0.000	0.070	0.000	—
			799/2	0.670	0.000	0.670	0.000	—
			803/2	0.110	0.110	0.000	0.000	—
			804/2	0.050	0.050	0.000	0.000	—
			805/2	0.090	0.000	0.090	0.000	—
53	मेहरवानसिंह प्रानसिंह पिता हल्कूसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	202/3	0.020	0.000	0.000	0.020	—
			203/3	0.040	0.000	0.000	0.040	—
			204/3	0.060	0.060	0.000	0.000	—
			205/3	0.120	0.000	0.120	0.000	—
			498/3	0.190	0.190	0.000	0.000	—
			684/3	0.030	0.000	0.030	0.000	—
			688/3	0.110	0.110	0.000	0.000	—
			701/3	0.260	0.260	0.000	0.000	—
			726/3	0.190	0.190	0.000	0.000	—
			734/3	0.240	0.240	0.000	0.000	—
			737/3	0.070	0.000	0.070	0.000	—
			745/3	0.280	0.000	0.280	0.000	—
			747/3	0.270	0.270	0.000	0.000	—
			760/3	0.090	0.000	0.090	0.000	—
			767/3	0.070	0.000	0.070	0.000	—
			799/3	0.290	0.000	0.290	0.000	—
			803/3	0.100	0.100	0.000	0.000	—
			804/3	0.050	0.000	0.000	0.050	—
			805/3	0.100	0.000	0.100	0.000	—
54	नंदकिशोर बालकिशन पिता दरऊ रमेश पिता टुन्डा लच्छीवाई देवा हुन्डा कछेदी पिता पिरुवा धनवाई देवा पिरुवा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	207	0.140	0.140	0.000	0.000	—
55	घसा पिता भैयालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	159/2	0.250	0.250	0.000	0.000	—
			159/3	0.380	0.380	0.000	0.000	—
			208	0.490	0.480	0.000	0.010	महुआ-1 कुआपक्का-1
			209	0.250	0.250	0.000	0.000	महुआ-1
			186/2	0.140	0.000	0.140	0.000	—

56	हल्कीबहू बेवा रगवीरसींग शंकरसींग कल्यानसींग धीरजसींग मुन्नालाल मीराबाई कल्यानसींग धीरजसींग मुन्नालाल मीराबाई पुत्री मेहरबानसींग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/1	0.190	0.190	0.000	0.000	कोहा-2
			211/1	0.040	0.040	0.000	0.000	-
			297/1	0.070	0.070	0.000	0.000	-
			773/1	0.290	0.290	0.000	0.000	-
			775/1	0.410	0.410	0.000	0.000	-
			816/1	0.340	0.340	0.000	0.000	-
57	धनसींग श्यामबाई पिता लक्ष्मन बारीबाई बेवा लछमन देवी मुन्ना पिता दलीप कोसाबाई बेवा दलीपनत्थू पिता मंगल केशरबाई पुत्री मंगलसिंह बड़ीबहू मंगलसिंह भूमि स्वामी अमोलसिंह पिता अनन्त पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	212	0.270	0.270	0.000	0.000	-
58	हीरालाल पिता अमानसिंह बड़ी बहू बेवा मुन्डे रधीरसींग जगतसींग पहाड़ सींग पिता मुन्डे भूमि स्वामी रामबाई पुत्री मुन्डे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	213	0.110	0.000	0.110	0.000	-
59	नत्थूसिंह पिता मंगल केशरबाई पुत्री मंगल बड़ीबहू बेवा मंगल धनसींग पिता लछमन श्यामबाई पिता लछमन बारीबाई बेवा लछमन देवी मुन्ना पिता दलीप कोसा बाई बेवा दलीप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	149/1	0.160	0.000	0.160	0.000	-
			201/1	0.240	0.240	0.000	0.000	-
			214/1	0.040	0.040	0.000	0.000	-
			411/4	0.030	0.000	0.000	0.030	-
			763/1	0.500	0.500	0.000	0.000	आम-1
			764/1	0.170	0.170	0.000	0.000	आवला-1 बेरी-1, नीबू-1 केथ-1 सागोन-1
60	भोलेराम देवानंद रामजी रामकुमार राजा बेटी दुर्गा पार्वती पिता परमानंद भूरीबाई बेवा परमानंद पता मालथौन मालथौन सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	215	0.150	0.000	0.150	0.000	-
			725/1	0.200	0.200	0.000	0.000	-
			789/1	0.440	0.000	0.440	0.000	-
61	धीरज सींग पिता भैयालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	216	0.110	0.110	0.000	0.000	-
			664	0.040	0.000	0.040	0.000	-
			666	1.630	1.620	0.000	0.010	जामुन-1 अमरुद-3 बेरी-1, आम-1बेल-1 बास-20 बबूल-1 गुन्जा-1 उमर-1 रुसल्ला-1 नीम-5 सागोन-1 कुआपवका-1
			686	0.400	0.000	0.400	0.000	-

			687	0.210	0.210	0.000	0.000	नीबू-1 अमरुद-1 आवला-1 महुआ-2 सूलबबूल-1
			705	0.150	0.000	0.150	0.000	-
			748	0.340	0.340	0.000	0.000	-
			759	0.590	0.590	0.000	0.000	-
62	मोहन रामप्यारी पिता पुरन भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	219	0.100	0.100	0.000	0.000	-
			725/3	0.100	0.000	0.100	0.000	-
63	उजयार कल्लोबाईभागबाई छोटीबाइ शारदाबाई इन्द्राबाई माखनबाईपिता अर्जन श्यामबाई बेबा अर्जन मोतीबाई बेबाभगवानसिंह धन्नालाल माखनबाई पिता अर्जनश्यामबाई बेबा अर्जन मोतीबाई बेबाभगवान सिंह धन्नालाल माखनबाई पिता अर्जन श्यामबाई बेबा अरजन मोतीबाई बेबा भगवानसिंह धन्नालाल पिता तेजसिंहदुरगसींग भगतसींग पहारससींग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	163/1	0.130	0.000	0.130	0.000	
			224	0.740	0.340	0.000	0.000	बेरी-1 बास-40
			348	0.720	0.710	0.000	0.010	कुआपक्का-1
			823	1.540	1.540	0.000	0.000	सागोन-1 कोहा-1 छेवला-1
64	जगभान विन्नावन पिता कड़ोरी मुलाबाई बेबा हल्के सींग राघवेन्द्र अव्यस्क वल्द हल्के सींग व संरक्षक भूमि स्वामी मां मुलाबाई बेबा हल्केसींग हीरालाल पिता धिमन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	225	0.510	0.070	0.000	0.000	-
65	हिम्मतसींग पिता गुलझार सींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	226	1.040	0.090	0.000	0.000	-
66	चंदनसींग पिता दरयावसींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	228	0.400	0.020	0.000	0.000	-
			711/2	0.420	0.420	0.000	0.000	बेरी-2 सागोन-3
67	राजारामउत्तम राधा रती पिता सूरतसिंह पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	230	0.470	0.460	0.000	0.010	बेरी-1 सूलबबूल-1 कुआपक्का-1
68	मुलाबाई पुत्री दयाली गुलाबरानी बेबा दयाली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	231/2	0.230	0.230	0.000	0.000	-
69	उत्तसिंह पिता सूरत सिंह पता मालथौन मालथौन सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	229/1	0.200	0.200	0.000	0.000	-
			232/1	0.300	0.250	0.000	0.000	-
			778/1	0.100	0.000	0.100	0.000	
			800/1	0.260	0.000	0.260	0.000	
			801/1/ 1	0.260	0.000	0.260	0.000	
70	राजाराम पिता सूरत सिंह पता मालथौन मालथौन सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	179/1	0.060	0.000	0.060	0.000	-
			197/1	0.080	0.000	0.080	0.000	-
			779/1/ 1	0.080	0.080	0.000	0.000	-
			802/1	0.090	0.000	0.090	0.000	-

71	रामसिंह पिता दल सिंह पता मालथौन मालथौन सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	779/1/2	0.030	0.030	0.000	0.000	-
			795	0.130	0.000	0.130	0.000	-
			801/1/2	0.030	0.000	0.030	0.000	-
72	देशराज सींग पिता सम्मरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	233	0.710	0.380	0.000	0.000	बबूल-1 सूलबबूल-1 कुआपक्का-1
			340	0.350	0.000	0.350	0.000	-
73	निरपत पिता खुमान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	235	0.290	0.290	0.000	0.000	-
74	हरपालसिंह पिता मंगलसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	231/1	0.220	0.220	0.000	0.000	-
			236	0.170	0.160	0.000	0.010	कसई-1 कुआपक्का-1
75	झलकन सींग पिता परसादी सींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	237	0.250	0.250	0.000	0.000	-
			573/4	0.370	0.370	0.000	0.000	छेवला-5
			610/2	0.250	0.000	0.250	0.000	-
			833/2	0.400	0.000	0.400	0.000	-
76	नंदलाल परमसींग पिता मिरचे मेवाबाई सोनाबाई बेटीबाई पुत्री मिरचे श्यामबाई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	238	0.100	0.000	0.100	0.000	-
			580	1.100	1.100	0.000	0.000	कोहा-1 सेमर-1 छेवला-1
			621	0.680	0.680	0.000	0.000	-
			625	0.680	0.680	0.000	0.000	-
			637	0.350	0.340	0.000	0.010	अमरुद-6 जामुन-1 बेरी-1 मुनगा-1 सीसम-1 सूलबबूल-5 सागोन-8 कुआपक्का-1
			640	0.010	0.010	0.000	0.000	-
77	तेजाबाई बेवा सुक्का धरमूअजुध्दी पिता पुडी प्रेमबाई नन्नीबाई पुत्री पुडी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	240	0.420	0.300	0.000	0.000	-
78	हीरालाल सुन्दरलाल अच्छेलाल रामलाल पिता चिमन कौसाबाई रामकली गनेशीबाई सुमंत्राबाई पिता चिमन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	241	0.400	0.400	0.000	0.000	-
			295	0.100	0.100	0.000	0.000	-
79	सोनिया पति राजीव कुमार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	247	0.940	0.400	0.000	0.000	-
80	लक्ष्मीबाई बेवा अच्छेलाल राजाराम सल्लो पिता अच्छेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	248	1.080	0.800	0.000	0.000	-
			330	0.410	0.400	0.000	0.010	कुआपक्का-1
			335	0.230	0.000	0.230	0.000	-

81	कोमलबाई पति रामप्रसाद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	249	0.280	0.280	0.000	0.000	—
			250/3	0.340	0.150	0.000	0.000	साज-1 पीपल-2 बहेडा-2
82	लछमन सींग पिता मंगलसींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	250/1	0.930	0.930	0.000	0.000	—
			250/2	0.930	0.920	0.000	0.010	—
83	किसना पिता मिरचू पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	251	0.200	0.000	0.200	0.000	—
			268	0.200	0.200	0.000	0.000	—
84	अशोक कुमार पिता शीलचंद पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	253/1	0.860	0.860	0.000	0.000	—
85	लक्ष्मीबाई पति श्रीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	253/2	0.860	0.860	0.000	0.000	—
86	गजराजशिवराजनेपाल जगुगाबे बेवा खिलान पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	257/2	1.800	0.000	0.030	0.000	—
87	मेघराज बलु तुलसीराम मिटई पिता तुलसीराम थानसींग ना.बा. वल्द व बली जनकसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	259	1.100	0.000	1.030	0.000	—
88	अमोल देवीसिंह मथराबाई पिता रघुनाथ सिंह पता पहरगुवा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी कम्मोदसिंह पुत्र खुमानसिंह पता पहरगुवा मालथोन सागर प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी सरस्वती बेवा खुमानसिंह पता पहरगुवा मालथोन सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	261	0.380	0.380	0.000	0.000	—
89	रघुनाथसिंह पुत्र खुमानसिंह पता पहरगुवा मालथोन सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी कम्मोदसिंह पुत्र खुमानसिंह पता पहरगुवा मालथोन सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी सरस्वती बेवा खुमानसिंह पता पहरगुवा मालथोन सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	300	0.170	0.000	0.170	0.000	—
			301	0.170	0.000	0.110	0.000	अमरुद-1 मुनगा-1
			302	0.350	0.350	0.000	0.000	अमरुद-2 साज-4 कोहा-1 बास-150
			304	0.330	0.320	0.000	0.010	कुआपक्का-1
90	मुलुवा पिता भुज्जा बड़ीबहू बेवा भुज्जा बिहारी रामकिशन हरी किशन पिता मंगल रामवती सरस्वती भूमि स्वामी कमलाबाई पुत्री मंगल खेमाबाई बेवा मंगल मनीराम राम भरोसी पिता पुनुवा कस्तूरीबाई पुत्री पुनुवा भूमि स्वामी नन्हीबाई बेवा पुनुवा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	262	0.380	0.380	0.000	0.000	—
91	तखतसिंह पिता सादू गिरवर पिता गोपाल बड़ी बिन्ना हल्की बिन्ना पुत्री गोपाल भूमि स्वामी जमनाबाई बेवा धोकलसिंह मंगलसिंह किशोरसिंह जवारसिंह पिता धोकलसिंह हीराबाई प्यारीबाई पुत्री धोकल पता सा. देह भूमि स्वामी बलीराम जगमान बहादुरसिंह लछमनसिंह देशराज पिता जवारसिंह केतकीबाई पुत्री जवारसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	266	8.460	1.000	0.000	0.000	रेजा-1 पीपल-2 बहेडा-1

92	प्रहलाद सींग पिता रत्न सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	266/3	1.420	1.420	0.000	0.000	-
			294/2	0.040	0.040	0.000	0.000	-
			299/2	0.040	0.000	0.040	0.000	गुरार-2 छेवला-2 बहेडा-1
			305/3	0.040	0.040	0.000	0.000	अमरुद-1 खेर-1
			346/3	0.110	0.110	0.000	0.000	-
			479/2	0.500	0.500	0.000	0.000	-
			586/2	0.750	0.000	0.750	0.000	-
93	शिवपाल सींग पिता गुलाब सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	267	0.300	0.300	0.000	0.000	-
			280/1	1.000	1.000	0.000	0.000	-
			283	0.940	0.940	0.000	0.000	अमरुद-21 आम-3 जामुन-3 बेरी-1 कंधा-2 नीबू-1 आवला-2 अनार-1 इमली-1 गुरार-1 सागोन-4 एरमा-1 साज-1 यूकेलिपटिस- 6 बास-330 सीसम-2 गुरार-3 महुआ-5 चंदन-1 कसई-1
94	धनुवा पिता रगवीरया पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	269	0.400	0.000	0.400	0.000	बेरी-1
95	रमेश खुमान हरदू पुत्र गरीबादुर्गाबाई बेवा गरीबा पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	270	0.400	0.400	0.000	0.000	-
96	अरविन्द भूरीबाई पितानारयण पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	271	0.400	0.400	0.000	0.000	-
97	गनेश पिता बारेलाल पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	272	0.400	0.400	0.000	0.000	-
98	सुखवती पति हम्मीर सींग पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	273	0.400	0.400	0.000	0.000	पीपल-1
99	श्यामला पिता हल्कुवा पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	274	0.400	0.400	0.000	0.000	रुसल्ला-1

100	रामवती बेवा नारायण पता पहगुवां मालथौल सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तारणीय	भूमिस्वामी	278	0.400	0.400	0.000	0.000	छेवला-1
			281	0.640	0.640	0.000	0.000	बास-150
			323	0.570	0.570	0.000	0.000	-
			501	0.030	0.030	0.000	0.000	बेरी-1 सूलबबूल-7 बबूल-1 झोपडी-1
			638	0.070	0.050	0.000	0.000	बेरी-2 सूलबबूल-2 बबूल-1
			792	0.410	0.410	0.000	0.000	-
			808	1.190	1.190	0.000	0.000	-
			809	0.670	0.670	0.000	0.000	उमर-1 बबूल-1 छेवला-1 कोहा-1
101	देवी पिता गनेश हल्लीबाई पति देवी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	279/2	0.110	0.110	0.000	0.000	-
			282	0.490	0.490	0.000	0.000	-
102	श्रीराम सींग पिता गुलाब सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	280/2	1.000	1.000	0.000	0.000	-
			322	0.860	0.860	0.000	0.000	-
103	सुजानसिंह वल्दगुलाबसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	280/3	1.100	1.000	0.000	0.100	-
			296	0.120	0.120	0.000	0.000	-
			307	0.440	0.000	0.440	0.000	-
			309/2	0.410	0.410	0.000	0.000	-
			310/2	0.060	0.000	0.060	0.000	-
			318/2	1.000	1.000	0.000	0.000	अमरुद-11 आवला-3 आम-3 सूलबबूल-2 यूकेलिपटिस- 2 बास-70
549/1	0.180	0.180	0.000	0.000	-			
104	शिवराज सींग पिता गुलाब सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	280/4	1.000	1.000	0.000	0.000	बेरी-1 जामुन-1 आम-1 केथा-1 छेवला-1 कनजी-1 सूलबबूल-1 बहेडा-1
			308/2	0.020	0.000	0.000	0.020	-
			310/3	0.400	0.400	0.000	0.000	-
			328	0.320	0.320	0.000	0.000	-
			345	0.420	0.420	0.000	0.000	-

105	बल्लवान पिता घूमनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	284	2.300	2.290	0.000	0.010	बेल-1 नीबू-1 खेर-1 सेमर-1 कुआपक्का-1
			333	0.260	0.250	0.000	0.010	आवला-5 अमरुद-2 बबूल-1 छेवला-1 उमर-1 सागोन-2 बास-110 कुआपक्का-1 ट्युबवेल-1
			334	0.260	0.000	0.260	0.000	अमरुद-25
			476	0.360	0.360	0.000	0.000	-
			490	1.210	1.210	0.000	0.000	अमरुद-5 आम-2 अनार-1 नीबू-2 सीताफल-2 बास-50 सागोन-1
			492	0.600	0.590	0.000	0.010	कुआपक्का-1
106	लछुवा पिता कुदरु पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	285	0.400	0.400	0.000	0.000	बेरी-1
107	रमले गुवन्दी मूलचंद सरस्वती खरगो मलथो पिता बल्ला छोटीबाई बेवा बल्ला पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	286	0.400	0.400	0.000	0.000	बबूल-1
108	दिविया पिता दलीप पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	287	0.400	0.000	0.400	0.000	बेरी-1
109	दयाली पिता भोपला पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	288	0.400	0.390	0.000	0.010	बेरी-1 कोहा-1 कुआपक्का-1
110	अनन्दी पुत्र जुगरुवाबडीबहू बेवा जुगरुवा रामस्वरुप रामकली पिता जुगरुवा पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	289	0.400	0.400	0.000	0.000	-
111	हरनाम रवि रामेश्वर रामदास मिहीलाल मनोहर रुपा पिता परषोत्तम सरस्वती बेवा परषोत्तम पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	290	0.400	0.000	0.400	0.000	-
112	लछुवा पिता हल्लुवा पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	291	0.400	0.400	0.000	0.000	-
113	गफुवा पिता खिलान पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	292	0.400	0.000	0.400	0.000	-
114	धीरज सींग पिता गुलाबसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	293/1	0.450	0.000	0.450	0.000	-
			499	0.030	0.000	0.000	0.030	सूलबबूल-1

115	हम्मीरसींग पिता बख्त सींग भूमि स्वामी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	293/2	1.280	1.270	0.000	0.010	छेवला-1 कुआपक्का-1
			316	0.130	0.000	0.130	0.000	बदूल-1
			317	0.090	0.090	0.000	0.000	-
			608	0.550	0.550	0.000	0.000	बेरी-1 आम-1 छेवला-1
116	राजेन्द्रसींग पहलाद सींग पिता रतनसींग सजराबाई अगूरीबाई पुत्री रतनसींग उमाबाई बेवा रतनसींग कुंजनसींग हीरासींग कोमलसींग सरजूबाई गुलाबबाई पिता बाबूसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	294/1	0.150	0.120	0.000	0.000	-
			305/1	0.070	0.070	0.000	0.000	-
			308/1	0.350	0.350	0.000	0.000	-
			309/1	0.420	0.000	0.420	0.000	-
			310/1	0.440	0.440	0.000	0.000	-
117	रतनसींग पिता रगवीर सिंहजनकसींग कुंजनसींग हीरासींग कोमलसींग पिता बाबूसींग सूरजबाई पुत्री गुलाब बाई पुत्री बाबूसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	311	0.190	0.190	0.000	0.000	बास-30
			312	0.170	0.160	0.000	0.010	कुआपक्का-1
118	भगवानसींग देवीसींग लक्ष्मणसींग मुकुन्दसींग जगभानसींग सुम्मेरसींग पैराबाई पिता खुमान सींग नीमा बाई बेवा खुमानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	313	0.050	0.050	0.000	0.000	-
			314	0.190	0.190	0.000	0.000	-
119	सम्मरसिंह पिता तरवरसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	342	0.320	0.320	0.000	0.000	बेल-1
			315	0.150	0.150	0.000	0.000	-
			341	0.140	0.140	0.000	0.000	-
			828	0.480	0.000	0.480	0.000	-
			830	0.150	0.150	0.000	0.000	-
			831	0.370	0.000	0.370	0.000	-
120	शिवपाल पिता गुलाब सींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी श्रीराम पिता गुलाब सींग पता सागर म0प्र0 1/9 भाग भूमि स्वामी सुजान पिता गुलाब सींग पता सागर म0प्र01/9 भाग भूमि स्वामी शिवराज सींग पिता गुलाब सींग पता सागर म0प्र01/9 भाग भूमि स्वामी पूनाबाई पुत्री गुलाब सींग पता सागर म0प्र0 1/9 भाग भूमि स्वामी गीताबाई पुत्री गुलाब सींग पता सागर म0प्र01/9 भाग भूमि स्वामी सरोज पुत्री गुलाब सींग पता सागर म0प्र01/9 भाग भूमि स्वामी बबिता पुत्री गुलाब सींग पता सागर म0प्र01/9 भाग भूमि स्वामी गुलाबबाई बेवा गुलाब सींग पता सागर म0प्र01/9 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	318/1	1.720	1.710	0.000	0.010	आम-1 अमरुद-2 केथा-1 कुआपक्का-1
			319	0.340	0.340	0.000	0.000	-
			339	0.790	0.790	0.000	0.000	-
			555	1.200	1.200	0.000	0.000	-
121	घंरू पिता लक्ष्मण सरोजबाई पति घंरू भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	320	0.810	0.810	0.000	0.000	-

122	श्यामलाल सीताराम पिता हीरालाल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	321	0.340	0.340	0.000	0.000	-
123	धीरजसिंग पिता गुलाबसिंग गुमानसिंग पिता तरवरसिंग सपटसिंग पिता तरवरसिंग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	325	1.230	1.230	0.000	0.000	बास-80 सूलबबूल-1 छेवला-1 केथ-1
124	शीतलचंदशिखरचंदशांतिबाईसुशीलाबाई शशि पिता साबुलालजैन सुरेशचंद मुलाबमचंद श्रीमतीराजकुमारी पिता नाथूराम पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	331	0.080	0.000	0.080	0.000	-
			741	0.260	0.260	0.000	0.000	-
125	मंयक पिता मुकेश पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	332	0.320	0.000	0.320	0.000	-
			512	0.250	0.000	0.250	0.000	आवला-2 नीबू-5,बेल-1 जामुन-1 अमरुद-56 अनार-2 केथ-1 रायकरोदा-2 छेवला-1 खेर-1 सागोन-2
			513/1	0.080	0.070	0.000	0.010	कुआपक्का-1
126	रामलाल पिता विमन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	337	0.920	0.910	0.000	0.010	बेरी-1 बास-40 सीसम-1 कुआकच्या-1
127	उत्तमसिंग पिता परसादी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	343	0.430	0.430	0.000	0.000	-
			573/2	0.380	0.000	0.380	0.000	बेरी-2 छेवला-2
			606/1	0.440	0.000	0.440	0.000	बहेडा-1 बबूल-1 सूलबबूल-1
128	भगवानसिंह लछमन सिंह मकुन्दसिंग देवीसिंग जगभान सिंह सुम्मेरसिंग केराबाई पिता खुमानसिंग सम्मरसिंग पिता तरवरसिंग हम्मीर सिंग पिता बखतसिंग मजली बहू बेवा बखतसिंग शिवराज पिता लटकनसिंग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	344/1	0.640	0.640	0.000	0.000	-
129	मथुराबाई पति वीरसिंग सा. कदारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	344/2	0.400	0.400	0.000	0.000	-
130	जनरसिंग हीरसिंग कोमलसिंग पिता बाबूसिंग सुरजबाई गुलाबबाई पुत्री बाबूसिंग कल्याण सिंह मेघराज ब्रजभान कांतिबाई प्रभाबाई पिता कुंजनसिंह पता मालथौन सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	294/3	0.040	0.040	0.000	0.000	-
			299/1	0.050	0.000	0.050	0.000	-
			305/2	0.030	0.030	0.000	0.000	-
			346/2	0.120	0.110	0.000	0.010	अमरुद-1 कुआपक्का-1
			479/1	0.500	0.500	0.000	0.000	-
			585/1	0.160	0.160	0.000	0.000	-
			586/1	0.020	0.020	0.000	0.000	-
592/1	0.320	0.320	0.000	0.000	-			

131	जगभान विन्द्रावन पि. कडोरी राघवेन्द्र अव. वल्द हल्के सींग व संरक्षक व खुद मां भूमि स्वामी गुलाबाई बेवा हल्केसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	349	0.270	0.270	0.000	0.000	-
132	बड़ी बहू बेवा गुलझार सिंह हिम्मतसींग निजामसींग पिता गुलझार गुडडीबाई पिम्मीबाई पुत्री गुलझारसिंह भूमि स्वामी बड़ी बहू बेवा मंगलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	350	0.290	0.290	0.000	0.000	बबूल-1
133	हिम्मतसींग पिता गुलझार सींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	351	0.070	0.070	0.000	0.000	-
134	राजाराम पिता अच्छेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	357/1	0.400	0.390	0.000	0.010	बेरी-1 अमरुद-1 जामुन-1 मुनगा-1 नीबू-1 बास-40 कुआपक्का-1
135	जनकसींग हीरासींग कोमलसींग पिता बाबूसींग कल्याणसिंह मेघराज ब्रजभान कांतिबाई प्रभाबाई पिता कुजनसिंह सुरजसींग गुलाबबाई पुत्री बाबूसींग पता मालधोन सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	478	0.840	0.840	0.000	0.000	दयुबवेल-1
			482	0.410	0.410	0.000	0.000	-
			839	0.950	0.950	0.000	0.000	-
			840/1	0.540	0.540	0.000	0.000	रेजा-1
136	करनसींग डालसींग उर्फ हनुमत्सींग पिस. टेकसिंह पता सा. पारोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	480	0.700	0.700	0.000	0.000	-
			628	0.130	0.000	0.130	0.000	-
137	सत्यपालसींग भीकम सींग पिता बहादुर सींग कुसमबाई पुत्री बहादुर सींग ताराबाई बेवा बहादुर सींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	481	0.320	0.320	0.000	0.000	-
			579/1	0.250	0.250	0.000	0.000	-
			599	0.300	0.300	0.000	0.000	-
			617	0.280	0.000	0.280	0.000	-
138	राजेन्द्रसिंह पिता रतनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	618	0.210	0.210	0.000	0.000	-
			483	0.860	0.850	0.000	0.010	कुआपक्का-1
			826	0.690	0.690	0.000	0.000	-
139	जयसिंह पिता रतन सींग सहोद्राबाई त्रिवेणीबाई पुत्री रतनसींग हरदेव सींग जगदेवसींग पिता कीरतसींग नन्धीबाई बेवा कीरतसींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	834	0.470	0.000	0.470	0.000	-
			411/1	0.010	0.000	0.010	0.000	-
			487	0.200	0.200	0.000	0.000	-
			600	1.560	1.560	0.000	0.000	आम-1 खेर-1 बबूल-1
			655	1.000	0.000	1.000	0.000	-
			668	0.290	0.290	0.000	0.000	-
			669	0.670	0.660	0.000	0.010	कुआपक्का-1
140	प्रहलादसिंह पिता भैयालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	671	0.420	0.420	0.000	0.000	सीसम-1
			488	0.530	0.400	0.130	0.000	-
			489	0.380	0.380	0.000	0.000	दयुबवेल-1

141	बलदवान सिंह पिता घूमन सिंह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	491	0.300	0.300	0.000	0.000	—
			504	0.030	0.000	0.000	0.030	बेरी-1
142	महाराजसींग पिता सुखसींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	493	0.270	0.270	0.000	0.000	छेवला-1 खेर-1 रेजा-2
			494	0.750	0.750	0.000	0.000	बेरी-2 बेल-1 बासभिरा-1 खेर-2 छेवला-1 सागोन-2 ट्युबवेल-1
			495	0.370	0.000	0.370	0.000	सागोन-2
			496	1.080	0.900	0.180	0.000	जामुन-1 बेरी-2 महुआ-1 बेल-1 खजूर-1 रेजा-1 छेवला-1
143	परसादी सींग पिता खुमानसींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	500	0.020	0.000	0.000	0.020	बेरी-3 सूलबबूल-2
144	अनंतराम पिता हरिराम पता सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी भगवत पिता हरिराम पता सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी द्रोपती पुत्री हरिराम पता सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी प्रीति पुत्री हरिराम पता सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी पुष्पा पुत्री हरिराम पता सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी गायत्री बेवा हरिराम पता सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	503	0.020	0.000	0.000	0.020	मुनगा-1 सूलबबूल-1 बास-50 बेल-2
			523	0.650	0.000	0.650	0.000	गुरार-1
			568	0.710	0.710	0.000	0.000	—
145	पूरनसींग पिता मूरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	505	0.040	0.000	0.040	0.000	बेरी-1
			547	1.540	1.540	0.000	0.000	नीम-1 सेमर-1 छेवला-4
			558	1.080	1.080	0.000	0.000	—
			563	0.650	0.000	0.650	0.000	छेवला-1
146	चन्द्राबाई पति हरिसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	506	0.020	0.000	0.020	0.000	बेरी-1
147	वल्लूसिंह पिता भगुन्तसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	507	0.020	0.020	0.000	0.000	बास-12 सूलबबूल-2
			510	0.150	0.000	0.150	0.000	सूलबबूल-1 सागोन-9
			514	0.450	0.450	0.000	0.000	—
			548	1.260	1.260	0.000	0.000	बबूल-1 देवला-1
			552	0.420	0.420	0.000	0.000	पीपल-1 चिरोल-1 रेजा-2 केम-1 रुसल्ला-1

			557	0.660	0.000	0.660	0.000	रेजा-2 तुन-1
			564	0.440	0.440	0.000	0.000	-
			565	0.490	0.490	0.000	0.000	-
			566	0.610	0.000	0.610	0.000	-
			569	0.350	0.350	0.000	0.000	-
			604	0.550	0.550	0.000	0.000	बबूल-1
148	नारायण मनई खिलान गणेशगोविंद पुनू पिता भरोसा बबूललसा पंचू प्राण पिता बूठा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	508	0.010	0.010	0.000	0.000	-
149	सेलु पिता लालसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	511	0.230	0.230	0.000	0.000	-
150	गजेन्द्र सिंह ना वा पिता हिम्मतसिंह वली गुडडीबाई पति हिम्मतसिंह पता मालथौन मालथौन सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	515	0.600	0.600	0.000	0.000	-
151	रमुवा पिता अजीता पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	517/1	0.120	0.000	0.120	0.000	-
152	निजामसिंह पिता गुलझारसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	517/2	0.400	0.400	0.000	0.000	-
153	स्नेहलता बेबा सुरेशचंद्र सुनील मनोज सुभाष रत्ना पिता सुरेशचन्द्र पता सा. बांदरी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	517/3	0.240	0.000	0.240	0.000	-
			520/1	0.400	0.390	0.000	0.010	कुआपक्का-1
154	प्रेमप्रसाद पिता जशरथप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	520/2	0.370	0.370	0.000	0.000	-
			521	0.610	0.600	0.000	0.010	अमरुद-2 आवला-1 सेमर-1 सीमम-1 कुआपक्का-1
			567	0.660	0.660	0.000	0.000	-
155	अनतराम पिता हरीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	522/1	0.500	0.490	0.000	0.010	बेरी-1 सागोन-3 छेवला-2 रेजा-1 कुआपक्का-1
156	राजेश पिता नाराण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	522/2	0.500	0.000	0.500	0.000	-
157	दलीप सूरज पिता नथुवा मोहनबाई ललतीबाई पुत्री नथुवा जमनाबाई बेवा सूरज छककूलाल हल्के पिता सूरज पता मालथौन सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	524	0.450	0.450	0.000	0.000	-
			525	0.810	0.810	0.000	0.000	सागोन-1

158	धीरज सींग पिता गुलाबसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	526	0.620	0.620	0.000	0.000	--
			529	0.570	0.570	0.000	0.000	आम-1 घिरोल-1 सूलबबूल-5 कैम-3
			530	0.370	0.000	0.370	0.000	सागोन-1
			531	0.460	0.460	0.000	0.000	बास-70 सूलबबूल-1
			539	1.020	1.020	0.000	0.000	--
			541	0.360	0.360	0.000	0.000	--
			631	1.120	1.110	0.000	0.010	अमरुद-7 जामुन-1 नीबू-1 आवला-1 अनार-1 बेल-1 कसई -1 छेवला-1 यूकेलिपटिस- 24 कुआपक्का-1
			633	0.060	0.060	0.000	0.000	बेरी-2 अमरुद-3 सागोन-2 सूलबबूल-5
			836	1.200	1.200	0.000	0.000	छेवला-1
838	0.820	0.820	0.000	0.000	--			
159	बिहारी रामकिशन हरकिशन पिता मंगल रामवती सरस्वती पिता पुत्री मंगल बडी बहु बेबा मंगल सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	532	0.890	0.890	0.000	0.000	अस्तो-1
			536	0.910	0.910	0.000	0.000	अमरुद-11 आम-1 नीबू-1 अनार-1 मुनगा-1 बबूल-1 छेवला-1 नीम-1
160	मंदिर श्री देवस्वामी महावीर स्वामीजी बांके देह मु. दशरथप्रसाद प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	534	1.200	0.000	1.200	0.000	करजी-1
			537	0.630	0.630	0.000	0.000	--
			538	0.930	0.930	0.000	0.000	बेरी-1
			605	0.600	0.600	0.000	0.000	--
			784	0.400	0.400	0.000	0.000	--
785	0.800	0.000	0.800	0.000	--			

161	बिहारी रामकिश हरकिश पिता मंगल रामवतीबाई सुती बाई कमलाबाई पुत्री मंगल मंझली बहू बेवा मंगल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	535	0.380	0.370	0.000	0.010	गुरार-1 कुआपका-1
			551	0.190	0.190	0.000	0.000	रेजा-1
162	दशोदाबाई पति जवारसिंह जनकसिंह कुंजनसिंह हीरा सींग कोमलसींग पिता बाबूसींग सरजूबाई भूमि स्वामी गुलाबबाई पुत्री बाबूसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	540	0.600	0.600	0.000	0.000	-
163	बकीलसींग ना.वा.पिता धीरज सींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	540/2	0.650	0.650	0.000	0.000	-
164	चतुर्भुज पिता हल्कू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	542	0.350	0.350	0.000	0.000	छेवला-1
			577/1	0.510	0.510	0.000	0.000	बेरी-1
			594/2	0.230	0.000	0.230	0.000	-
			614/2	0.550	0.550	0.000	0.000	-
165	उमराव सींग पिता भैयालाल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	543	0.410	0.410	0.000	0.000	गुरार-1
			578/1	0.250	0.250	0.000	0.000	छेवला-1 बबूल-1
			602/1	0.430	0.000	0.430	0.000	-
			615/1	0.320	0.000	0.320	0.000	-
166	खेतसिंह पिता लालसिंह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	546	1.400	0.000	1.400	0.000	-
			560	0.710	0.710	0.000	0.000	-
167	कलू पिता गुलाब पता सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी कौशिल्याबाई पिता गुलाब पता सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी देवकरन पिता गुलाब पता सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	553	0.750	0.750	0.000	0.000	-
			622	0.270	0.270	0.000	0.000	-
			626	0.380	0.380	0.000	0.000	-
			556	0.790	0.790	0.000	0.000	-
168	मायाबाई पति धीरजसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	554	0.560	0.560	0.000	0.000	-
169	देवसींग पिता हलकू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	576	0.260	0.260	0.000	0.000	-
			577/2	0.240	0.000	0.240	0.000	-
			594/1	0.540	0.540	0.000	0.000	-
			614/1	0.550	0.550	0.000	0.000	सागोन-1
170	जगमोहन पिता प्रहलादसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	582/3	0.130	0.130	0.000	0.000	सागोन-4 पीपल-1 कोहा-1 छेवला-1
			584	0.260	0.260	0.000	0.000	-

171	राधाबाई पत्नी धरम सिंह पता मालथौन मालथौन सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	582/4	0.220	0.000	0.220	0.000	-
172	महादेव मुन्नीसिंह पिता चित्तरसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	589	0.880	0.880	0.000	0.000	-
173	अरविंदकुमार पिता बाबूलाल पता सा- बांदरी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	590	1.240	1.240	0.000	0.000	उमर-1 रेजा-1
174	धर्मैद्र पिता लक्ष्मू पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	591	1.090	1.080	0.000	0.010	आवला-1 कुआपक्का-1
175	मंगल पिता टीकाराम पता सा- देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	595	0.040	0.000	0.000	0.040	-
176	ताराबाई पति बहादुरसिंग पता सा- देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	598	0.300	0.300	0.000	0.000	पीपल-1
177	खेतसिग पिता भैयालाल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	263/2	0.120	0.000	0.120	0.000	-
			578/2	0.050	0.000	0.050	0.000	-
			579/2	0.210	0.210	0.000	0.000	-
			601	0.330	0.330	0.000	0.000	-
			602/2	0.100	0.100	0.000	0.000	-
630	0.060	0.000	0.060	0.000	-			
178	आशाराम पिता उमराव पता सा- देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	603	0.810	0.810	0.000	0.000	खेर-1
179	मेघराज पिता चतुर्भज नेहरसिंग पिता देवीसिंग जाति लोधी पता सा- देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	612	1.200	1.200	0.000	0.000	अमरुद-5 जामुन-1 गुरार-2 बबूल-1
			635	0.060	0.000	0.000	0.060	नीम-1 बेल-1 कैथ-1 कंजी-1 सूलबबूल-2 ट्युबवेल-1
180	हरीसिंग पिता खेतसिंग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	615/2	0.140	0.000	0.140	0.000	-
			616	0.460	0.460	0.000	0.000	-
181	देवसिंग पिता हल्कूसिंग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	623	0.360	0.360	0.000	0.000	-
182	भदेया पिता चिन्टे पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	627	0.310	0.310	0.000	0.000	-
			700	0.190	0.000	0.190	0.000	-
			754	0.880	0.000	0.880	0.000	-
183	नर्मदा बाई पति बीरज शांतिबाई पति राकेश कुमार पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	634	0.050	0.000	0.000	0.050	अमरुद-3 बेरी-2 अनार-1 चिरोल-1 सूलबबूल-1

184	बलुव पिता सुक्का पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	639	0.040	0.000	0.000	0.020	-
185	सुखनंदन पिता परमलाल अहिरवार पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	642	0.040	0.000	0.000	0.020	बेरी-1 अमरुद-1 सीताराम-1 केथ-1 बबूल-1 सूलबबूल-1
186	धीरजसिंग जगदीश देशराज रामसिंग पिता सम्मरसिंग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	654	0.960	0.960	0.000	0.000	-
187	काशीराम बेनी बाई पिता दयाली दौलत पिता लक्ष्मण मुन्नालाल दामोदर रघुवीर मुन्नालाल दामोदर रघुवीर पुत्र नत्थू अहिरवार पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	656	0.830	0.830	0.000	0.000	-
188	कलू पिता गुलाब पता सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी देवकरन पिता गुलाब पता सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी कौशलया बाई पिता गुलाब पता सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	657	0.620	0.300	0.320	0.000	-
189	पंचम सीग पिता किशोरसिंग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	658	0.640	0.640	0.000	0.000	-
190	ममताबाई बेबा चन्द्रभान मेघराज ना.वा.पिता चन्द्रभान सीग पा.माँ ममताबाई जाति लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	667	0.280	0.280	0.000	0.000	-
			703	0.320	0.320	0.000	0.000	-
			704	0.140	0.140	0.000	0.000	-
191	कुंवरबाईमाखनसिंगपरमसिंहहम्मीरसिंग भुदटोबाईकमलाबाई पिता दौलतसिंग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	653	0.350	0.350	0.000	0.000	-
			680	0.090	0.090	0.000	0.000	-
192	कछोदी केशरबाई चंदीबाई पिता अनंतसिंग ग्याबाई बेवा अनंतसिंग पता पहरगुवां मालथौन सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	794	0.510	0.510	0.000	0.000	-
			796	0.350	0.350	0.000	0.000	-
193	लालसिंह ना.वा.वलद व वली घूमनसिंह हरीसिंह ना.वा. वा.वलद वली साबूसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	706	0.280	0.280	0.000	0.000	-
194	मेघराज पिता तुलसीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	708/2	0.200	0.180	0.000	0.000	कुआपक्का-1
195	इन्द्राज सिंह पिता जोधनसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	708/3	0.160	0.000	0.160	0.000	अमरुद-2 आवला-1 जामुन-1 बेरी-1 सागोन-5

196	श्रीराममेघराज अमोलचैनसींग पप्पू पिता तुलसीराम जाति लाधी पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	708/4	0.160	0.000	0.160	0.000	-
197	गजेन्दसींग पिता जोधनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	709	0.320	0.280	0.000	0.000	मुनगा-1 आवला-1 अमरुद-1 जामुन-1 आम-1 बेल-1 सागोन-8 बास-70
198	शिवपालसिंह पिता लटकनसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	713	0.960	0.930	0.000	0.000	आम-1 नीबू-2 अमरुद-5 कठल-1 सेजा-1 महुआ-1 सागोन-1 बबूल-1 सूलबबूल-1 छेवला-1 बरगद-1 कुआपवका-1
199	जगभान पिता प्रहलाद सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	714	0.310	0.310	0.000	0.000	बहेडा-1 सेजा-1
			715	2.430	2.400	0.000	0.030	बेल-1 बेरी-10 नीबू-1 रेजा-1 खेर-1 साज-11 बास-200 भिडार-1 सेमर-2 सागोन-1 बीजो-1 सतकटा-1 बबूल-1 सूलबबूल-1 रुसल्ला-1 कुआपवका-1
200	करनसिंह गजराजसिंह हरप्रसाद ग्याप्रसाद खिलान सिंह पिता फुल्ली महरबानप्रानसींग पिता हल्कू भूमि स्वामी गंदाबाई पुत्री हल्कू रमकाबाई बेवा हल्कू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	717	1.550	1.550	0.000	0.000	जामुन-1 सीसम-1
			718	0.330	0.320	0.000	0.010	कैथा-1 गुन्जा-1 बबूल-1 सूलबबूल-10 कुआपवका-1

201	रूपसींग पिता जनकसिंह जाति लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	720	1.290	1.290	0.000	0.000	बेरी-2 खेर-4 अस्तो-1 सोमर-1 बास-50 बबूल-1 ट्युबवेल-1
202	महरबान घूमनसिंह पिता मूरतसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	729	0.760	0.000	0.760	0.000	
203	तखतसिंह पिता मुडे उम्मीद सिंह पिता हर सिंग मीरा बाई कला बाई भान वती भूरी पुत्री हीरा सिंह न कल्याण नत्थू बाबू सिंह शांति बाई पिता मलखान सिंह पता सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी राजेन्द्रपिताहरीसींगदशोदा बेबा हरी सिंहग कुंवर बाई माखन सिंग परम सिंग हमीर सिंग भुट्टो बाई कमला बाई पिता दौलत सिंग पता सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	732	0.400	0.000	0.400	0.000	-
204	तखतसिंहहीरासिंहपिताअमानसिंहकुंवर बाईमाखनसिंह परमसिंह हमीरसिंह भुट्टोबाई कमलाबाई पिता दौलतसिंह पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	736	0.620	0.620	0.000	0.000	-
205	प्रताप सींग पिता दरयावसींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	711/1	0.180	0.180	0.000	0.000	आम-2 नीबू-1 सागोन-1 कुआपक्का-1
			740	0.590	0.590	0.000	0.000	
			751	0.290	0.000	0.290	0.000	-
206	भैयालाल पिता खलकसिंह मंजली बहू बेवा मुन्डे रंधीरसिंह जगतसिंह पहारसिंहपिता मुन्डे पानबाई भूरी भूमि स्वामी बाई राजबाई पिता मुन्डे पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	743	0.350	0.350	0.000	0.000	-
			744	0.300	0.300	0.000	0.000	-
			750	0.310	0.310	0.000	0.000	-
207	विमलाबाई पति धीरजसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	758	0.250	0.000	0.250	0.000	बबूल-1
208	शोभाराम पिता रामप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	780	0.480	0.480	0.000	0.000	-
			781	0.360	0.360	0.000	0.000	सोमर-1

209	बहादुर पिता रल्ली देवकाबाई पुत्री रल्ली नारायण पिता परकू शंकरसिंह पिता बखतसिंह जगभान भूमि स्वामी विन्द्रावन पिता कड़ोरी दशोदाबाई बेवा कड़ोरी मुलाबाई बेवा हल्केसींग राघवेन्द्र अवस्क वल्द भूमि स्वामी हल्के सींग व संरक्षक मां मुलाबाई बेवा हल्केसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	787	0.840	0.840	0.000	0.000	-
210	आधारसींग सरदारसींग पिता रामसींग लोधी पहरगुवां मालथौन सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	788	0.370	0.370	0.000	0.000	-
211	धनाबाई पति जगभानसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	790	0.420	0.420	0.000	0.000	-
212	प्रहलादसिंह पिता भैयालाल जानकी बाई पति पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	791	0.390	0.390	0.000	0.000	पीपल-1 छेवला-1
			810	0.200	0.200	0.000	0.000	कोहा-1 छेवला-2
			811	0.860	0.860	0.000	0.000	सागोन-1 छेवला-4 कोहा-1 खेर-1
			812	0.840	0.840	0.000	0.000	-
213	गजेन्द्रसींग वल्द हिम्मतसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	793	0.490	0.490	0.000	0.000	छेवला-1
214	मेदाबाई पति उमैद सिंह पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	800/2	0.260	0.000	0.260	0.000	-
			801/2	0.290	0.000	0.290	0.000	-
			802/2	0.080	0.080	0.000	0.000	-
215	भगवानसींग पिता खुमानसींग पता पहरगुवां मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी मकुन्दीसींग पिता खुमानसींग पता पहरगुवां मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी देवीसींग पिता खुमानसींग पता पहरगुवां मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी विकास पिता जगभान पता सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी रश्मि पुत्री जगभान पता मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी वर्षानाबा पुत्री जगभान पता मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी सुम्मेरसींग पिता खुमानसींग पता मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	814	1.660	1.660	0.000	0.000	आवला-4 आम-1 बेरी-3 सीसम-1 छेवला-1

216	भगवानसींग पिता खुमानसींग पता पहरगुवां मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी मकुन्दीसींग पिता खुमानसींग पता पहरगुवां मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी देवीसींग पिता खुमानसींग पता पहरगुवां मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी जगभान सींग पिता खुमान सींग पता पहरगुवां मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी सुम्मेर सींग पिता खुमान सींग पता पहरगुवां मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी		821	1.100	1.100	0.000	0.000	जामुन-1 सेमर-2
217	उमरावसींग पिता दरयावसींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	195/2	0.270	0.270	0.000	0.000	-
			817	0.430	0.000	0.430	0.000	-
			819	0.260	0.000	0.260	0.000	-
			820	0.280	0.280	0.000	0.000	-
218	मुकेश कुमार पिता धन्नालाल पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	824	0.560	0.560	0.000	0.000	
219	धीरजसींग पिता भैयालाल जगभान विन्दावन पिता कड़ोरी दशोदाबाई बेवाकड़ोरी मुलाबाई बेवा हल्केसींग भूमि स्वामी राघवेन्द्र अवयस्क वल्द हल्केसींग व संरक्षक मुलाबाई बेवा हल्केसींगमठू हिम्मतसींग निजानसींग भूमि स्वामी गुलझारसींग गुडडीबाईपिम्मीबाई भूरीबाई पुत्री गुलझारसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	829	0.530	0.530	0.000	0.000	कन्जी-2 रुसल्ला-1 पीपल-3
220	सुरेन्द्रकुमार पिता बाबूलाल पता सा.बांदरी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	835	1.260	1.260	0.000	0.000	-
221	शिवपाल पिता गुलाब सींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/18 भाग भूमि स्वामी श्रीराम पिता गुलाब सींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/18 भाग भूमि स्वामी सुजान पिता गुलाब सींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/18 भाग भूमि स्वामी शिवराज सींग पिता गुलाब सींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/18 भाग भूमि स्वामी पुनाबाई पुत्री गुलाबसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/18 भाग भूमि स्वामी गीताबाई पुत्री गुलाबसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/18 भाग भूमि स्वामी सरोज पुत्री गुलाबसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/18 भाग भूमि स्वामी बबीता पुत्री गुलाबसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/18 भाग भूमि स्वामी गोकलबाई बेवा गुलाबसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/18 भाग भूमि स्वामी रतनसिंह पिता रगवीरसिंह पता पहरगुवा मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/18 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	837	0.640	0.640	0.000	0.000	सूलबबूल-1
222	निरपत दौलत खिलान पिता उद्देत सुशीला बेवा भैयालाल पता निवासी राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	159/1	0.130	0.000	0.130	0.000	कोहा-1

223	निरपत दौलत खिलान पिता उद्देत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	186/1	0.080	0.000	0.080	0.000	
224	रामसींग पिता दरयावसींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	189/1	1.250	1.250	0.000	0.000	महुआ-1
225	मकुन्दी पिता खुमानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	194/1	0.170	0.170	0.000	0.000	--
			782/1	0.390	0.000	0.390	0.000	आम-2
226	नत्थूसींग पिता मंगल केशरबाई पुत्री मंगल बड़ीबहू बेवा मंगल धनसींग पिता लक्षमन घनश्यामबाई पिता लक्षमन बारीबाई बेवा लक्षमन देवी मुन्ना पिता दलीप कोसाबाई बेवा दलीप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	214/1	0.040	0.040	0.000	0.000	बास-70
227	पुष्पादेवी बेवा नेमीकुमार उर्फ नेमीचन्द्र राजेशकुमार राजीवकुमार विजयकुमार पिता नेमी कुमार उर्फ नेमीचन्द्र वीणा पुत्री नेमीकुमार उर्फ नेमीचन्द्र पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	244	1.020	0.650	0.000	0.000	अमरुद-6 नीबू-2 आवला-2 सागोन-5 यूकेलिपटिस-1
228	महेश पिता गनेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	279/1	0.650	0.650	0.000	0.000	
229	प्रहलाद पिता भैयालाल पता पहरगुवा मालथौन सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	497	0.480	0.480	0.000	0.000	--
230	गुड्डा पिता निरपत पता सा देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	587	0.490	0.490	0.000	0.000	बेरी-1 छेवला-1
231	चतुर्भुज पिता हल्कू सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	593	0.300	0.000	0.300	0.000	
232	प्रेमबाई पति गुलाबसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	636	0.310	0.000	0.310	0.000	--
233	अमान पिता लच्छू भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	647	0.130	0.000	0.000	0.130	शौचालय-1
234	हरदेव ना.बा. बल्द कीरतसींग बलीमा मु. नत्थीबाई बेवा कीरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	651	0.260	0.260	0.000	0.000	--
235	पुष्पाबाई पति गोविंद सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/2	0.090	0.090	0.000	0.000	--
			211/2	0.020	0.000	0.020	0.000	--
			297/2	0.040	0.040	0.000	0.000	--
			773/2	0.140	0.000	0.140	0.000	--
			775/2	0.200	0.200	0.000	0.000	--
			816/2	0.160	0.000	0.160	0.000	--
236	उदयसींग अमरसींग पिता दयाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	174/2	0.450	0.450	0.000	0.000	--
			789/2	0.440	0.440	0.000	0.000	--
237	जानकीबाई पति हरनाम सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/3	0.090	0.000	0.090	0.000	--
			211/3	0.020	0.000	0.020	0.000	--
			297/3	0.040	0.000	0.040	0.000	--
			773/3	0.150	0.000	0.150	0.000	--
			775/3	0.200	0.000	0.200	0.000	--
			816/3	0.160	0.160	0.000	0.000	--

238	सरदारसींग पिता पहार सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	198/2	0.100	0.000	0.100	0.000	
			776/2	0.370	0.370	0.000	0.000	
			777/2	0.320	0.320	0.000	0.000	
239	सरदारसींग पिता परसादी सींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	606/2	0.450	0.450	0.000	0.000	-
			833/1	0.400	0.000	0.400	0.000	छेवला-2
240	मुकेश पिता धन्नालाल पता निवासी खुरई भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	513/2	0.400	0.400	0.000	0.000	छेवला-1
241	देवीप्रसाद पिता तुलसीराम पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	549/2	0.520	0.400	0.120	0.000	छेवला-2 बबूल-1 रेजा-1 बहेडा-1
242	धनसींग पिता परसादी सींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	573/1	0.380	0.380	0.000	0.000	अमरुद-6 नीवू-4 बरगद-1
			610/1	0.250	0.250	0.000	0.000	रेजा-1
243	भगवतसींग पिता राजेन्द्रसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	586/3	0.010	0.000	0.000	0.010	सेमर-1 खेर-1
			592/2	0.160	0.000	0.000	0.160	
244	केशरी पिता बल्दवानसींग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	725/2	0.600	0.600	0.000	0.000	-
245	भागबाई पति धूगन सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	731/1	0.600	0.600	0.000	0.000	-
246	पानबाई बेवा इमरत सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	174/3	0.900	0.000	0.900	0.000	-
			789/3	0.440	0.000	0.440	0.000	सागोन-2
247	वीरेन्द्र पिता खलकसींग लोधी पता सा. पगारा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	840/2	0.400	0.400	0.000	0.000	
248	पूरन धनिया गुन्नालाल पिता छोटा मायाबाई पुत्री छोटा पता सादेहभूमि स्वामी	भूमिस्वामी	682	0.060	0.060	0.000	0.000	-
249	मैयालाल पिता खलकसिंह फूलबाई पति परवतसिंह पता सा देहभूमि स्वामी	भूमिस्वामी	689	0.150	0.000	0.150	0.000	-
250	सुखीबाई पति महरवान पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	690	0.070	0.000	0.070	0.000	-
कुल:-			656	274.350	207.220	48.330	1.440	

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

सं. क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू धारक का विवरण	ख.नं.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
				झोपड़ी / कच्चा कबेलू / टिनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)	
1	2	3	4	5	6	9
1	परसादी सींग पिता खुराईसींग भूमि स्वामी	500	उत्तम पिता परसादी लोधी	गौशाला लकड़ी के खम्बों पर घासपूस पन्नी की छत	9.00	निरंक
				योग:-	9.00	
2	रामवती बेवा नारायण पता पट्टगुता मालधौल सागर भूमि स्वामी अहस्तारणीय	501	दीपक पिता नारान चौपीदार	लकड़ी के खम्बों पर घासपूस पन्नी की छत	28.71	निरंक
				योग:-	28.71	

3	भक्तिराम पिता हरिराम गगवत पिता हरिराम द्रोपती पुत्री हरिराम प्रीति पुत्री हरिराम पुष्पा पुत्री हरिराम गायत्री बेवा हरिराम सागर भूमि स्वामी	503	अनतराम पिता हरिराम त्रिपाठी	गौशाला लकड़ी के खम्बों पर घासपूरा पन्नी की छत	5.40	निरक
				सौचालय	1.43	
				योग:-	6.83	
4	बहादुर पिता रल्लीसींग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	509	मंदिर श्री देवीजी	पक्का सीमेंट आर.सी. सी.	6.9	निरक
				चबूतरा पक्का	5.88	
				योग:-	12.78	
5	धीरज सींग पिता गुलाबसिंह पता सा. देह	633	सरदार पिता परसादी लोधी	गौशाला खपरेल	25.38	निरक
				योग:-	25.38	
6	धीरज सींग पिता गुलाबसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	633	राजेन्द्र सींग पिता धीरज सींग लोधी	पक्का एक मंजिल आर. सी.सी.	69.92	निरक
				जीना आर.सी.सी.	3.51	
				लोहे के खम्बों पर टिन की चादर दीवार नहीं है	38.13	
				निकाश	3.60	
7				निरक	0.00	वीरसींग पिता धीरजसींग
8				निरक	0.00	छत्रपाल पिता धीरजसींग
9				निरक	0.00	अभिषेक पिता धीरजसींग
				योग:-	115.16	
10	धीरज सींग पिता गुलाबसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	633	धीरजसींग पिता गुलाबसींग	गौशाला लकड़ी की छत लकड़ी बरसाती की	7.70	निरक
				मकान खपरेल दीवाल कच्ची ईट की बिना प्लास्टर	13.95	
				योग:-	21.65	
11	नर्मदा बाई पति वीरन शांतिबाई पति राकेश कुमार पता सा देह भूमि स्वामी	634	वीरेन्द्र राकेश पिता अच्छेलाल रजक	दहलान लकड़ी के खम्बों पर बरसाती लकड़ी की छत	16.10	निरक
				छत जीक सीट	17.22	
				दो मंजिला पटमा खपरेल त्रिपाल	32.40	
				उपर की मंजिल	32.40	
12				निरक	0.00	राकेश पिता अच्छेलाल
13				निरक	0.00	सियाबाई पति अच्छेलाल
14				निरक	0.00	सरमन पिता वीरेन्द्र
15				निरक	0.00	निलेश पिता वीरेन्द्र
16				निरक	0.00	राहुल पिता वीरेन्द्र
				योग:-	98.12	
17	मेघराज पिता चतुर्भज नेहरासींग पिता देवीसींग जाति लोधी पता सा- देह	635	मेघराज पिता चतुर्भज लोधी	दहलान बरसाती	24.96	निरक
				पक्का एक मंजिल R.C.C.	66.24	
				योग:-	91.20	

18	मधुराज पिता नन्दराज मिहरीसिंग पिता देवीसिंग जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	635	नेहर पिता देवीसिंग	मकान पक्का आर.सी. शी. छत एवं आधी दीवारों पर प्लास्टर नहीं है	23.80	निरंक
				जीना आर.सी.सी. बिना प्लास्टर	2.70	
				योग:-	26.50	
19	नंदलाल परमसिंग पिता मिरचे मेवाबाई सोनाबाई बेटीबाई पुत्री मिरचे श्यामबाई पता सा. देह भूमि स्वामी	637	परम सिंह पिता भिजू लोधी	दो मंजिला पटमा रूपरी मंजिल खपरैल दहलान लकड़ी के खम्बों पर सीमेंट सीट	39.48 31.02	निरंक
				योग:-	70.50	
20	नंदलाल परमसिंग पिता मिरचे मेवाबाई सोनाबाई बेटीबाई पुत्री मिरचे श्यामबाई पता सा. देह भूमि स्वामी	637	सरजूबाई बेबा पिता नंदलाल लोधी	छत खपरैल दहलान पक्का एक मंजिल छत गाटर फर्शी दहलान लकड़ी के खम्बों पर टिन की चादर	17.00 36.55 22.95	निरंक
21				निरंक	0	चन्द्रमान पिता नन्दलाल
				योग:-	76.50	
22	बलूव पिता सुक्का पता सा. देह भूमि स्वामी	639	बलू पिता सुक्के अहिरवार	ईट की कच्ची दीवार पर पत्थर टिन की छाया	5.89	निरंक
				योग:-	5.89	
23	बलूव पिता सुक्का पता सा. देह भूमि स्वामी	639	संतोष पिता कुजीलाल अहिरवार	ईट की कच्ची दीवार पर पन्नी की छत सौचालय	16.58 1.69	निरंक
				योग:-	18.27	
24	अमान पिता लच्छू भूमि स्वामी	647	अमान पिता लच्छू अहिरवार	सौचालय	1.44	निरंक
				योग:-	1.44	
25	भदेया पिता चिट्टे पता सा. देह भूमि स्वामी	700	नंदराम पिता छुट्टी रजक	दहलान कच्ची सीमेंटशीट मकान खपरैल कच्चा दहलान टिन सेट भूसाघर लकड़ी के खम्बों पर लकड़ी पन्नी की छत सौचालय सीमेंट शीट	16.59 33.97 20.54 11.3 1.44	निरंक
26				निरंक	0.00	छुट्टी पिता चिट्टे
				योग:-	83.84	
27	इन्द्राज सिंह पिता जोधनसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	708/3	गजेन्द्र सींग पिता जोधन सींग लोधी	सौचालय दीवार ईट की ऊपर छत नहीं है	9.15	निरंक
				योग:-	9.15	
28	श्रीराम मेघराज अमोल धनसिंग पप्पू पिता तुलसीराम जाति लाधी पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	708/4	पप्पू पिता खलक लोधी	कच्चा मकान बरसाती छत	15.12	निरंक
				योग:-	15.12	

29	श्रीरामभद्रसिंह अमोलदेवसिंह पप्पू पिता तुलसीराम जाति लाधी	708/4	हीनसिंग पिता तुलसीराम लोधी	मकान कच्चा खपरैल शौचालय	25.20 1.44	निरंक
				योग:-	26.64	
30	प्रतापसिंग पिता दरयावसिंग भूमि स्वामी	711/1	प्रतापसिंग पिता दरयावसिंग लोधी	मकान पक्का गाटर फर्शी	37.11	निरंक
31				दहलान खपरैल	14.50	
				निरंक	0.00	रघुराजसिंग पिता प्रतापसिंग
				योग:-	51.61	
32	तखतसिंहपिता साधु गिरवर बडीबिन्ना हल्की बिन्ना पिता गोपाल पौथीबाई पति जोधानरसिंग वीरसिंह पिता भज्जू दरयावसिंग गुलाबसिंग पिता हरीसिंग सियाबाई बेवा प्रेमसिंग गीराबाई पुत्री प्रेमसिंग	78/1	तखतसिंह पिता सादू	दीवार पत्थर की छत नही	15.04	निरंक
				योग:-	15.04	
33	दलीप सूरज पिता नथुवा मोहनबाई ललतीबाई पुत्री नथुवा जमनाबाई बेवा सूरज छककूलाल हल्के पिता सूरज	525	दलीप सूरज पिता नथुवा मोहनबाई ललतीबाई पुत्री नथुवा	लकड़ी के खम्बों पर लकड़ी घास का छपपर	11.60	निरंक
				योग:-	11.60	
34	प्रेमप्रसाद पिता जशरथप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	521	प्रेमप्रसाद पिता जशरथप्रसाद	दीवाल ईट की छत टीनसेड	45.36	निरंक
				शौचालय	1.44	
				योग:-	46.80	
35	सुजानसिंह वल्दगुलाबसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	280/3	सुजानसिंह वल्दगुलाबसिंह	दहलान दीवाल ईट की छत खपरैल	25.76	निरंक
				डबल मंजिल दीवाल ईट की छत गाटर फर्शी भू-तल	24.07	
				उपर की मंजिल छत खपरैल	24.07	
				दीवाल पत्थर छत गाटर सिंगल	14.11	
				दहलान दीवाल ईट की छत टीनसेड	28.52	
				योग:-	116.53	
36	बिहारी रामकिशन हरकिशन पिता मंगल रामवती सरस्वती पिता पुत्री मंगल बडी बहु बेवा मंगल सा. देह भूमि स्वामी	536	बिहारी रामकिशन हरकिशन पिता मंगल रामवती सरस्वती पिता पुत्री मंगल बडी बहु बेवा मंगल	दीवाल पत्थर छत बरसाती गौशाला	19.78	निरंक
				एक दीवाल कच्ची पत्थर कीतीन तरफ दीवाल नहीं है लकड़ी के खम्बों पर लकड़ी घांस की छत	32.00	
				शौचालय बिना छत	1.44	
				शौचालय बिना छत	1.44	
				शौचालय छत सीमेंटशीट	1.44	
				योग:-	56.10	

39	प्रभावित पिता प्रहलाद सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	715	जगन्नाथ पिता प्रहलाद सिंह	दीवार खर्च को छत खपरल	31.13	निरक
				योग:-	31.13	
				कुल योग:-	1071.46	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए; व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(10) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह।
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकबा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान में

विवाराधीन है। बण्डा सिंचाई परियोजनातहत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मोजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सिलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13/08/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. Q-20-21-भू-अर्जन

विदिशा, दिनांक 18 जुलाई 2021

खरथरी पटवारी हल्का नं. 12 तहसील गंजबासौदा

युक्ति समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग कोटा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा को कोटा बैराज परियोजना अंतर्गत कोटा बैराज निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। परियोजना प्रशासक कोटा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)/344/2018/एम.पी.एस./31/1740/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं कोटा बैराज परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 2350/SEIAA/ भोपाल दिनांक 21/08/2020 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के अनुसार ऐसी परियोजना जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि व उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग विदिशा जिले के 79 ग्रामों की 20,000 हेक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-	कोटा बैराज परियोजना
(2) भूमि का विवरण :-	
1. जिला	विदिशा
2. तहसील	गंज बासौदा
3. ग्राम	खरथरी
4. पटवारी हल्का नं.	12
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	9.281 हे.

:: अनुसूची -01::

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	स्वागित्य का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7
1	पूरन पुत्र नाथूलाल जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भू-राजस्व 5.00	भूमि स्वामी	56/2	1.073	0.450	0.623
2	भूपतसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है। भू-राजस्व 7.44	भूमि स्वामी	57	1.464	0.100	1.364
3	कमलाबाई उर्मिलाबाई पुत्रियांगुलाबसिंह शीलाबाई बेवा गुलाबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 7.44	भूमि स्वामी	58	1.464	0.518	0.946

4	भूपतसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है। भू-राजस्व 0.75	भूमि स्वामी	59/1	0.529	0.370	0.159
5	भूपतसिंहअजयसिंहविजयसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश 3000/4000 भाग भूमि स्वामी मुकेशसिंहभगतसिंहपुत्रगणगुमानसिंह शीलाबाई बेवा गुमानसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1000/4000 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.75	भूमि स्वामी	59/2	1.000	0.110	0.890
6	तोरनसिंहरघुनाथसिंहराजेन्द्रसिंहवीरेन्द्रसिंह पुत्रगणभगतसिंहकृष्णाबाई पुत्री इमरतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 20.77	भूमि स्वामी	60/1	3.185	0.730	2.455
7	मुकेशसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है भू-राजस्व 4.50	भूमि स्वामी	61/1/1	0.591	0.090	0.501
8	भगतसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति रघुवंशी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.50	भूमि स्वामी	61/1/2	0.591	0.100	0.491
9	भूपतसिंहअजयसिंहविजयसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश 3000/4000 भाग भूमि स्वामी मुकेशसिंहभगतसिंहपुत्रगणगुमानसिंह शीलाबाई बेवा गुमानसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1000/4000 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.55	भूमि स्वामी	61/2	1.000	0.210	0.790
10	अजयसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 9.10	भूमि स्वामी	61/3	1.994	0.420	1.574
11	भूपतसिंहअजयसिंहविजयसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश 3000/4000 भाग भूमि स्वामी मुकेशसिंहभगतसिंहपुत्रगणगुमानसिंह शीलाबाई बेवा गुमानसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1000/4000 भाग भूमि स्वामी भू-रा.शा 59/2	भूमि स्वामी	61/4	1.000	0.110	0.890
12	शिवराजसिंह पुत्र विजयसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.28	भूमि स्वामी	61/5	0.103	0.020	0.083

13	कच्छेदी डिल्लू पुत्रगण गोरेलाल भूमि स्वामी हीराबाई आशाबाई पुत्रियाँ गोरेलाल 0.330 भाग भूमि स्वामी गुडडीबाई पुत्री नवलसिंह 0.291 भाग भूमि स्वामी हरनामसिंह रूपसिंह भारतसिंह पुत्रगण प्यारेलाल 0.507 भाग भूमि स्वामी सुन्दरबाई पत्नी रूपसिंह लीलाबाई पत्नी हरनामसिंह 0.507 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.50	भूमि स्वामी	95/1	0.042		
14	मोहनलाल पुत्र गनेशराम जाति रैकवार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.33	भूमि स्वामी	95/2/1	0.028		
15	लालाराम पुत्र रतनसिंह जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.17	भूमि स्वामी	95/2/2	0.014		
16	रामचरण पुत्र रतनसिंह जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.17	भूमि स्वामी	95/2/3	0.014		
17	मोहरबाई पुत्री हरीराम पता विदिशा मध्य प्रदेश 477/530 भाग भूमि स्वामी लालारामरामचरण पुत्र रतनसिंह जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश 53/530 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.33	भूमि स्वामी	95/2/4	0.028		
18	रूपसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अअअयह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बन्धक है भू-राजस्व 0.50	भूमि स्वामी	95/3	0.042		
				0.168	0.120	0.048
19	पहलादसिंहदेवेन्द्रपुत्रनवलसिंहसंदीपपुत्रईश्वरसिंह सधिनसिंह पुत्र कैलाशसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूरा.शा बिलमुक्ता 23.00	भूमि स्वामी	97/1	0.273		
20	भानुप्रतापसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूरा.शा बिलमुक्ता 19.00	भूमि स्वामी	97/2	4.065		
				4.338	0.870	3.468
21	भानुप्रतापसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूरा.शा 97/2	भूमि स्वामी	98	5.258	0.300	4.958
22	सुदामाबाई पुत्र बंदीप्रसाद जाति ब्राम्हण पता खरथरी बारासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.51	भूमि स्वामी	166/1	0.154		
23	बबलू पुत्र जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राम्हण पता खरथरी बारासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.51	भूमि स्वामी	166/2	0.155		

24	मथरा प्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राहमण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंज में बंधक है भू-राजस्व 0.51	भूमि स्वामी	166/3	0.154		
25	द्वारकाप्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राहमण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.51	भूमि स्वामी	166/4	0.154		
				0.617	0.040	0.577
26	सुदामाबाई पुत्र बंदीप्रसाद जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.04	भूमि स्वामी	178/1	0.126		
27	बबलू पुत्र जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.09	भूमि स्वामी	178/2	0.062		
28	मथरा प्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राहमण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंज में बंधक है भू-राजस्व 0.03	भूमि स्वामी	178/3	0.126		
29	द्वारकाप्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राहमण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.16	भूमि स्वामी	178/4	0.031		
				0.345	0.090	0.255
30	मोहनलाल पुत्र गणेशराम जाति रैकवार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.08	भूमि स्वामी	179/1/1	0.327		
31	मोहरबाई पुत्री हरीराम पता विदिशा मध्य प्रदेश 477/530 भाग भूमि स्वामी लालारामरामचरण पुत्र रतनसिंह जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश 53/530 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.08	भूमि स्वामी	179/1/2	0.327		
32	लालाराम पुत्र रतनसिंह जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.54	भूमि स्वामी	179/1/3	0.164		
33	रामचरण पुत्र रतनसिंह जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.55	भूमि स्वामी	179/1/4	0.164		
34	हरनामसिंहरूपसिंहभारतसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.41	भूमि स्वामी	179/2/1	0.109		
35	भारतसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.41	भूमि स्वामी	179/2/2	0.113		

36	रूपसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अअअयह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है भू-राजस्व 0.41	भूमि स्वामी	179/2/3	0.123		
37	हरनामसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है भू-राजस्व 0.41	भूमि स्वामी	179/2/4	0.147		
38	गीताबाई पत्नी चिरोजीलाल जाति रैकबार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.62	भूमि स्वामी	179/3	0.491		
				1.638	0.030	1.608
39	बद्रीप्रसाद पुत्र किरसूलाल जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00	भूमि स्वामी	212/1/1	0.865		
40	नीलेश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00	भूमि स्वामी	212/1/2	0.865		
41	संजीव पुत्र जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00	भूमि स्वामी	212/2/1	1.000		
42	बबलू पुत्र जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राह्मण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.00	भूमि स्वामी	212/2/2	0.213		
43	मथराप्रसाद पुत्र किरसूलाल जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंज में बंधक है	भूमि स्वामी	212/3	1.750		
44	द्वारकाप्रसाद पुत्र किरसूलाल जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	212/4	1.212		
				5.905	0.810	5.095
45	सहू पुत्र हल्के जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.75	भूमि स्वामी	211/1/1	0.810		
46	नरवदाप्रसाद पुत्र गनेशराम जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बासौदा में बंधक है भू-राजस्व 1.75	भूमि स्वामी	211/1/2	0.810		
47	गीताबाई पत्नी चिरोजीलाल जाति रैकबार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.50	भूमि स्वामी	211/2/1	0.358		

48	नेतरामगोविन्दसिंह पुत्र कारेलाल जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.50	भूमि स्वामी	211/2/2	0.358		
49	फूलसिंह रामस्वरूपरुमकार पुत्र अर्जनप्रसाद जाति भोई पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.00	भूमि स्वामी	211/2/3	0.359		
50	प्रकाश पुत्र लालाराम जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 189/1	भूमि स्वामी	211/2/4	0.545		
				3.240	0.250	2.990
51	रामप्यारीबाई बेवा प्रकाश पता विदिशा मध्य प्रदेश 88/878 भाग भूमि स्वामी प्रदीपकण्णपालबाप्रदुम्यनाबा पुत्र प्रकाश पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 264/878 भाग भूमि स्वामी शकुन पुत्री प्रकाश पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 87/878 भाग भूमि स्वामी रूपसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति भोई 439/878 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.56	भूमि स्वामी	213	0.878	0.050	0.828
52	पप्पुपुत्रगुलाबसिंहओमवतीकुसुमवतीसुमंत्रापुत्री गुलाबसिंहपिस्ताबाई बेवा गुलाबसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 2/5 भाग भूमि स्वामी रामराजसिंह पुत्र धीरजसिंह जाति राजपूत पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी धीरजसिंह पुत्र कल्यानसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 2/5 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.00	भूमि स्वामी	214/1	0.387		
53	प्रह्लादसिंहपुत्रबावलालगिरजाबाई बेवा बावलाल जाति रघुवंशी पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	214/2	0.460		
				0.847	0.190	0.657
54	लालाराम पुत्र लुख्खु जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंजबासौदा में बंधक है भू-राजस्व 2.90	भूमि स्वामी	216	1.453	0.110	1.343
55	रईसखॉ पुत्र कालेखॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	217/1	0.724	0.070	0.654
56	रईसखॉ पुत्र कालेखॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 217/1	भूमि स्वामी	217/2	0.724	0.090	0.634
57	श्रीमतीसुनीता पत्नी विजय जाति अरोरा पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	217/3	0.724	0.090	0.634

58	श्रीमतीसुनीता पत्नी विजय जाति अरोरा पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	217/4	-0.724	0.230	0.494
59	आसिफखाशाहखुशाफारुखखाअजहरखा मजहरखा पुत्र आजादखा जाति मुस्लिम पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.50	भूमि स्वामी	206/1/1	1.913	0.650	1.263
60	श्रीमतीसुनीता पत्नी विजय जाति अरोरा पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.50	भूमि स्वामी	206/1/2	1.914	0.220	1.694
61	ममतामनीषावारानीनावापुत्रीयाखुशालसिंहसरपरस्त मा कृष्णाबाईवेवाखुशालसिंहदेवेन्द्रनजीतसुरजीत पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 82	भूमि स्वामी	206/2	1.035	0.180	0.855
62	ममतामनीषावारानीनावापुत्रीयाखुशालसिंहसरपरस्त मा कृष्णाबाईवेवाखुशालसिंहदेवेन्द्रनजीतसुरजीत पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 82/1	भूमि स्वामी	205/1	1.150		
63	कमलसिंह पुत्र भमरलाल जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 82/2	भूमि स्वामी	205/2	1.192		
				2.342	0.250	2.092
64	ममतामनीषावारानीनावापुत्रीयाखुशालसिंहसरपरस्त मा कृष्णाबाईवेवाखुशालसिंहदेवेन्द्रनजीतसुरजीत पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 82/1	भूमि स्वामी	204/1	0.690		
65	कमलसिंह पुत्र भमरलाल जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 82/2	भूमि स्वामी	204/2	1.683		
66	बाबूलाल पुत्र भमरलाल जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 82/3	भूमि स्वामी	204/3	0.419		
				2.792	0.600	2.192
67	बाबूलाल पुत्र भमरलाल जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.44	भूमि स्वामी	203	2.456	0.010	2.446

68	देवीसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता बैंक ऑफ इंडिया शाखा बासोदा में बंधक है भू-राजस्व 8.21	भूमि स्वामी	198/1	2.902	0.400	2.502
69	कल्लूउर्फकन्हैयालाल पुत्र बलवंतसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.59	भूमि स्वामी	218/1	0.048		
70	लल्लू पुत्र बलवंतसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.59	भूमि स्वामी	218/2	0.049		
71	राजाराम पुत्र अजबसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.58	भूमि स्वामी	218/3	0.049		
72	अजबसिंह नाबा पुत्र बलवंतसिंहसरपरस्तभाईकल्लू जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.58	भूमि स्वामी	218/4	0.049		
73	गुलाबबाई बेवा बलवंतसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.58	भूमि स्वामी	218/5	0.049		
74	राजबाई बेवा बलवंतसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.58	भूमि स्वामी	218/6	0.049		
				0.293	0.293	0.000
75	केशवसिंह पुत्र विजयसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू रा.शा 43	भूमि स्वामी	62/1/2/1	1.019	0.080	0.939
76	शिवराजसिंह पुत्र विजयसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू रा.शा 38	भूमि स्वामी	62/1/2/2	0.917	0.010	0.907
77	सुदामाबाई पुत्र बट्टीप्रसाद जाति ब्राम्हण पता खरथरी बासोदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.63	भूमि स्वामी	167/1	0.245		
78	बबलू पुत्र जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राम्हण पता खरथरी बासोदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.63	भूमि स्वामी	167/2	0.246		
79	मथराप्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता विदिशा गोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंज में बन्धक है भू-राजस्व 0.63	भूमि स्वामी	167/3	0.246		

80	द्वारकाप्रसाद पुत्र किरसूलाल जाति ब्राहमण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.63	भूमि स्वामी	167/4	0.245		
				0.982	0.020	0.962
		योग		60.469	9.281	51.188

:: अनुसूची -02::

जिला	तहसील	ग्राम	निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	शासकीय भूमि का लगभग(हे.में)	धारा-11 की उपधारा(1) द्वारा प्रधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
विदिशा	गंज बासौदा	खरथरी	9.281	27.795	अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी राजस्व गंजबासौदा जिला विदिशा	कोटा बैराज परियोजना के बैराज एवं डब क्षेत्र हेतु।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सांत-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंज बासौदा परियोजना प्रशासक कोटा बैराज परियोजना जल संसाधन विभाग गंज बासौदा प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के गृह्य के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंज बासौदा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा एवं परियोजना प्रशासक कोटा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंज बासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 29-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-7103-मौजा निटर्सी-पट.ह.नं.-122

सागर, दिनांक 15 जुलाई 2021

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : निटर्सी
4. पट.ह.नं.- : 122
5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 0.959 है.

स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख.नं.	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनुज कुमार आशीष कुमार अमित कुमार पिता मथुराप्रसाद चौरसिया साकिन शाहगढ़ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	355	1.050	0.018	0.000	0.000	निरंक
2	अशोक कुमार पिता शिवराज सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	358/1	2.090	0.236	0.000	0.000	निरंक
3	शिवराज पिता नारायण सींग पता मड़खेरा सागर	भूमिस्वामी	358/2/1	0.810	0.140	0.000	0.000	निरंक
4	सुदामा, धनश्याम, श्रीराम, हल्केभाई, मूलचंद, बलराम पिता रामचंद्र, भागबाई पुत्री रामचंद्र, सुहागरानी बेवा रामचंद्र पता सा. मड़खेरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	361	2.290	0.151	0.000	0.000	निरंक
5	जितेन्द्र पिता पदम पता सा. मड़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/1	1.520	0.030	0.000	0.000	निरंक
6	मुहरबाई पति बुन्देल साकिन मड़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/2	1.720	0.035	0.000	0.000	निरंक
7	सुमतरानी पति जयसींग पता सा. मड़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/3	0.830	0.035	0.000	0.000	निरंक
8	भूपेन्द्र पिता नत्थू साकिन मड़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/4	0.860	0.030	0.000	0.000	निरंक
9	नरेन्द्र पिता नत्थू साकिन मड़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/5	0.860	0.030	0.000	0.000	निरंक
10	अजबरींग पिता रघुबीर सींग साकिन मड़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/6	0.720	0.035	0.000	0.000	निरंक

प्र.क्र.29 अ/82/20-21 मौजा निटर्सी पट.ह.नं.-122

11	शेरसींग पिता रघुवीर सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/7	0.720	0.030	0.000	0.000	निरंक
12	मुन्नासींग पिता रघुवीर सींग साकिन मढ़खेराजागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/8	0.730	0.030	0.000	0.000	निरंक
13	महेन्द्र पिता रघुवीर सानिक मढ़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/9	0.730	0.030	0.000	0.000	निरंक
14	सज्जन पिता शिवराज साकिन मढ़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/10	1.450	0.032	0.000	0.000	निरंक
15	केदार पिता शिवराज साकिन मढ़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/11	1.450	0.035	0.000	0.000	निरंक
16	देवीसींग, अर्जुनसींग, गनेशसींग, रूपसींग पिता गजाधर सींग चर्फ मंगलसींग, रामकली बाई पुत्री गजाधर, काशीबाई बेबा गजाधर पता सा. मढ़खेरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	349	2.260	0.062	0.000	0.000	निरंक
योग:-				20.090	0.959	0.000	0.000	

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:-

- 1(1) प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा।
- 1(2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- 1(3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- 2(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- 3(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- 4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
- 5(1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- 5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- 5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी :-

- 1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- 2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- 3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- 4- पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- 5- राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- 6- उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- 7- यथोचित पंचायत घर

- 8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- 9- स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- 10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- 11- शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- 12- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
- 13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र
- 14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- 16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- 17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
- 18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।
- 19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ~~17/8/2021~~ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 31-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-7130-मौजा मढ़खेरा जागीर-पट.ह.नं.-59

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) परियोजना का नाम | : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु |
| (2) भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : सागर |
| 2. तहसील | : जैसीनगर |
| 3. ग्राम | : मढ़खेरा जागीर |
| 4. पट.ह.नं.- | : 59 |
| 5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल | : 1.374 है. |

स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख.नं.	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विन्दावज पिता आलमसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	203/1	0.280	0.031	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	204	0.950	0.146	0.000	0.000	निरंक
2	देवीसींग पिता मंगलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	203/2/1	0.691	0.031	0.000	0.000	निरंक
3	कौरत सिंह पिता प्रहलाद सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	198/1a	1.000	0.170	0.000	0.000	निरंक
4	सियाराजी बेवा रामसींग अचिकेत नाबा. पिता रामसींग दिव्या पुत्री रामसींग राहुल नाबा. पिता रामसींग बली माँ सियाराजी साकिन जैसीनगर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	198/2	0.610	0.102	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	197	0.520	0.073	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	255	0.130	0.000	0.029	0.000	निरंक
5	विजय सिंह पिता रणवीर सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	310/1	1.340	0.000	0.058	0.000	निरंक
6	हल्के उर्फ बृजेन्द्र पिता रणवीर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	310/2	0.460	0.058	0.000	0.000	निरंक
7	महेन्द्रसिंह पिता नारायण सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	305/1	0.400	0.000	0.013	0.000	निरंक
8	बब्बू पिता मठेला पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	305/2	0.460	0.000	0.016	0.000	निरंक
9	भागीरथ पिता मठेला पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	305/3	0.400	0.000	0.013	0.000	निरंक
10	रामचरण पिता घस्सा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	300/1	0.160	0.040	0.000	0.000	निरंक
11	महताप पिता घस्सा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	300/2	0.160	0.040	0.000	0.000	निरंक
12	तरवर पिता घस्सा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	300/3	0.170	0.046	0.000	0.000	निरंक
13	माखन पिता घस्सा सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	300/4	0.160	0.040	0.000	0.000	निरंक
14	कृष्णा पिता घस्सा सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	300/5	0.160	0.040	0.000	0.000	निरंक
15	मनचई पिता असैया सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	300/6	1.220	0.250	0.000	0.000	निरंक
16	भागीरथ पिता मठेला पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	299	0.170	0.000	0.088	0.000	निरंक
17	शेवचरण पिता छोटेलाल प्यारीबाई बेवा छोटेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	296	0.160	0.000	0.090	0.000	निरंक
योग:-				20.090	0.959	0.000	0.000	

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:-

- 1(1) प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा।
- 1(2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अत्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- 1(3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- 2(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- 3(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- 4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
- 5(1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- 5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- 5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सके।

युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी :-

- 1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- 2- वार्षिक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- 3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- 4- पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- 5- राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- 6- उचित मूल्य की दुग्ध की युक्तियुक्त संख्या
- 7- यथोचित पंचायत/घर
- 8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- 9- स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- 10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- 11- शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- 12- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
- 13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपरवास्थ्य केन्द्र
- 14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- 16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- 17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
- 18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।
- 19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 24/8/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जूब संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 132-अ-82-17-18-भू-अर्जन-21-7581

सागर, दिनांक 30 जुलाई 2021

मौजा चितौआ पट.ह.नं.-12 तहसील बण्डा

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभावित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीघ्र कार्य

(2) भूमि का विवरण

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | बण्डा |
| 3. ग्राम | : | चितौआ |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 12 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 5.230 हे. |

:: अनुसूची - 01 ::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में.)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बीरेन्द्रसींग राजेन्द्रसींग, देवेन्द्रसींग पिस. लटकनसींग पालक भाई बीरेन्द्रसींग पता सा राखसी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	132/1	0.640	0.290	0.000	0.000	-
2	वीरेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह देवेन्द्रसिंह पिस लटकनसिंह पता निवासी राखसी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	132/2	0.630	0.520	0.000	0.010	गुंजा-1, रंजा-1 सेमर-1 महुआ-1 बेल-1 कुआपक्का-1
3	वीरेन्द्र राजेन्द्र देवेन्द्रसींग पिस लटकनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	126	0.850	0.850	0.000	0.000	रंजा-2 बबुल-2
4	मजबूतसींग वल्द अपरबलसींग पता सा राखसी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	124/1	0.760	0.280	0.000	0.000	बबुल-1 रंजा-1, कोहा-1 कुआपक्का-1
			137/1	0.530	0.480	0.000	0.010	
5	कडोरी पिता अपरबलसींग पता सा राखसी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	124/2	0.770	0.770	0.000	0.000	गुरार-1 बबुल-1
			137/2	0.530	0.170	0.000	0.000	

6	मुलायमसींग पिता धनसींग उर्फ धनीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	125/1	0.650	0.350	0.000	0.000	रेंजा-2
			128/2	0.140	0.140	0.000	0.000	
			130	0.050	0.000	0.050	0.000	रेंजा-1
			131/1	0.230	0.000	0.230	0.000	महुआ -1
			134/2	0.180	0.000	0.030	0.000	
7	सोहन पिता धनसिंह उर्फ धनीराम लोधीराखसी पता निवासी ग्राम भूमि	भूमिस्वामी	125/2	0.640	0.220	0.000	0.000	सेमर-1
			128/3	0.140	0.140	0.000	0.000	रेंजा-2
			131/2	0.230	0.230	0.000	0.000	-
8	कच्छेदी पिता शंकर चढार पता सा. मऊ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	127	0.090	0.000	0.090	0.000	
9	डेलनसींग पिता धनसींग उर्फ धनीराम लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	128/1	0.070	0.070	0.000	0.000	
			134/1	0.330	0.000	0.040	0.000	गुरार-1
			136	0.060	0.000	0.060	0.000	रेंजा-1
10	बंशी बुधे भुज्जू भरोसे पिस. परमोला मन्दो बेवा परमोला फूलाबाई बैजन्ती पुत्री परमोला पता सा राखसी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	129	0.140	0.000	0.140	0.000	कोहा-2 रेंजा-1
11	चेतु पिता लाडले पता सा मऊ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	135	0.060	0.000	0.060	0.000	
कुलयोग:-			21	7.720	4.510	0.700	0.020	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या

- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- 3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए ब्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकवा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दि. 8 / 9 / 2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 15-अ-82-19-20-भू-अर्जन-21-6645

सागर, दिनांक 30 जुलाई 2021

मौजा कोटिया पट.ह.नं.-10 तहसील बण्डा
(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : बण्डा
3. ग्राम : कोटिया
4. पट.ह.नं.- : 10
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 83.230 हे.

:: अनुसूची - 01 ::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हेक्टे.में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शिवराजसिंह पिता सुमरसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	1.770	1.700	0.000	0.070	साज-01 सेमर-01
2	प्रीतम पिता बालकिशन जाति यादव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/1क	0.900	0.900	0.000	0.000	आंवला-01
			247	0.650	0.600	0.000	0.050	कुआ पक्का-1
3	बीरसींग पिता बालकिशन यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/2	0.900	0.900	0.000	0.000	-
			245	0.370	0.350	0.000	0.000	-
4	रानी जैन पत्नि सुनील जैन पता सा चन्द्रशेखर वार्ड सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72	1.120	1.100	0.000	0.020	बांसमिरा-2 छेवला-05 बरगद-01 पीपल-01 गुरार-01 केम-01 सेमर-1 अमरुद-1 नीबू-1 कुआ पक्का-1

5	भूपेन्द्र प्रीतम घनश्याम बीरसींग पिस. बालकिशन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	73	0.280	0.270	0.000	0.010	साज-3,कोहा-1 कोम्भी-1 छेवला-2 अस्तो-1 कुआ पक्का-1						
			148/2	0.280	0.250	0.000	0.030	सेमर-1 पारस-1 छेवला-1						
			159	0.200	0.200	0.000	0.000	-						
			167	0.450	0.400	0.000	0.050	छेवला-1						
			206	1.600	1.600	0.000	0.000	रेजा-2, बेरी-2						
			208	0.900	0.890	0.000	0.010	नीम-1, रेजा-1 कुआ पक्का-1						
			241	0.110	0.110	0.000	0.000	-						
			243	0.200	0.200	0.000	0.000	साज-1						
6	रचना बेवा राजेश पता सादेह बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी सत्यमनाबा पिता राजेश पता सादेह बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104/1	1.210	1.210	0.000	0.000	धावन-21 रेजा-5, नीम-2 छेवला-3 साज-13, सेजा-12 गुजा-1, करिया सेमर-1 सुलबबूल-5 दूधी-1 चिरोल-1 करघई-1 सेमर-1, अस्तो-1, बेरी-2						
			105	0.320	0.300	0.000	0.020	-						
			212	0.400	0.400	0.000	0.000	-						
			7	रामनाथ पिता हल्कू यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104/2	0.800	0.780	0.000	0.020	यूकेलिपटिस-9 बासभिरा-2 सूलबबूल-7 आमरुद-46 आम-6 आवला-8 अनार-2 नीबू-15 दयुबवेल-1			
						105	0.320	0.300	0.000	0.020	-			
						212	0.400	0.400	0.000	0.000	-			
						8	राजाभाई पिता रामनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	108	0.560	0.500	0.000	0.060	बासभिरा-4 बासकटंगी-6 पाइर-15 अस्तो-3 कोहा-16 नीम-3 सूलबबूल-14 छेवला-3 सेमर-1 सीराम-13 केम-3, रेजा-1 बेल-10, बेरी-4
									262/3	0.630	0.480	0.000	0.000	कुआ कच्चा-1

9	रामनाथ पिता हल्कू बंदी शिवराज खुमानसींग पिता अजुद्धी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109	0.610	0.600	0.000	0.010	बासभिरा-10 सूलबबूल-10 कच्ची-5 बेरी-1, नीबू-5 आम-1 अमरुद-4 पपीता-2
10	शेरसिंह पिता देवीसिंह पता सा. देह बंडा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	110/1/ 1	0.130	0.130	0.000	0.000	बासभिरा-3 सेमर-1 नीम-1 चिरोल-1 आम-1
			261/1/ 1/2	0.040	0.000	0.040	0.000	-
11	सुधीरकुमार जैन पिता निर्मलकुमार जैन पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	110/1/ 2	0.140	0.140	0.000	0.000	-
			261/1/ 2	0.040	0.040	0.000	0.000	-
12	दीपककुमार पिता प्रकाशचन्द पता सा. बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	110/2	0.270	0.270	0.000	0.000	बासभिरा-2
			110/3	0.140	0.140	0.000	0.000	बासभिरा-3 आम-1 अमरुद-1
			179/2	0.270	0.270	0.000	0.000	-
			195/2	1.430	1.430	0.000	0.000	-
			261/2	0.080	0.000	0.000	0.080	-
			261/3	0.040	0.000	0.000	0.040	-
13	प्रकाश पिता भैयालाल जैन पता सा. बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	124	0.050	0.000	0.050	0.000	बेरी-1
14	धनीराम रगवीर राधेश्याम ननेलाल जगदीश हरचरण पिता कच्छेदी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125	0.200	0.030	0.000	0.000	मुनगा-2
15	प्रीतम पिता बालकिशन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	146	0.340	0.340	0.000	0.000	-
16	गोविंद सिंह पिता रगवीर लल्लू पिता रगवीर जूजा शंकर गोपी पिता मोहनलाल भूमि स्वामी रम्मूबाई प्रेमबाई पुत्रीमोहनलाल सजलीबहू बेवा मोहनलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147/1	0.110	0.110	0.000	0.000	सेमर-1
17	लल्लू पिता रगवीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147/2	0.150	0.150	0.000	0.000	छेवला-3 बेरी-1
18	गोविन्द पिता रगवीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147/3	0.180	0.180	0.000	0.000	सेमर-1
19	भूपेन्द पिता बालकिशन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	148/1	0.250	0.250	0.000	0.000	-
20	संतोष पिता ओंकार सुहागरानी बेवा ओंकार सुम्मेरसींग पिता बिहारी पता सा.बमूरा बिनैका भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	149	1.220	1.200	0.000	0.020	छेवला-2
			257	1.460	1.400	0.000	0.060	पीपल-1
21	बृजेश ना0वा0वली कल्याण पिता रघुनाथ भरदन पिता कल्याण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150	0.340	0.340	0.000	0.000	छेवला-1

22	प्रहलाद मर्दन बृजेश पिता कल्यान पाल पता नि.बिलहनी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	151	0.600	0.600	0.000	0.000	हड्डा-1
23	प्रहलाद पिता कल्यान कनई पिता दुरगा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/1	0.810	0.810	0.000	0.000	-
24	प्रहलाद पिता कल्यान पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/2	0.040	0.040	0.000	0.000	-
			183/3	0.160	0.160	0.000	0.000	-
			183/4	0.160	0.000	0.160	0.000	-
25	कल्यान पिता दुर्गा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/39 2	0.610	0.610	0.000	0.000	छेवला-2
26	देशराज वल्द रामनाथ यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	153	0.310	0.300	0.000	0.010	-
			262/1	0.310	0.470	0.000	0.000	छेवला-4
			262/2	0.310			0.000	-
27	बद्री पिता अजुदी पता कोटिया सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी खुमान पिता अजुदी पता कोटिया सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी शिवराज पिता अजुदी पता कोटिया सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी रामनाथ पिता हल्कू पता कोटिया सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	154	0.310	0.310	0.000	0.000	छेवला-2
			168	0.270	0.270	0.000	0.000	रंजा-1 खेर-1 छेवला-1 पीपल-1
			169	0.090	0.080	0.000	0.010	-
			170	0.090	0.090	0.000	0.000	-
			171	0.180	0.180	0.000	0.000	-
28	शंति पुत्री पलदू पता कोटिया सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	211/2	0.340	0.340	0.000	0.000	छेवला-1
29	रामनाथ पिता हल्कू पता कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	155/1	1.000	1.000	0.000	0.000	छेवला-1
			157/1	0.270	0.270	0.000	0.000	-
			226/1	0.900	0.900	0.000	0.000	नीम-1 छेवला-4
30	वद्री शिवराज खुमान पिता अजुदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	156	0.570	0.550	0.000	0.020	छेवला-7 पीपल-1 चिरोल-1 करसई-1 बेरी-2
			184	1.210	1.200	0.000	0.010	बबूल-49
			185	0.880	0.880	0.000	0.000	-
31	अमोल पिता बद्रीप्रसाद पुष्पेन्द्र पिता खुमान सींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	158/1	0.810	0.800	0.000	0.010	-
			158/2	0.400	0.400	0.000	0.000	-
32	निरनसींग पिता भवूदसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	158/3	0.010	0.000	0.000	0.010	-
			163/2	0.440	0.440	0.000	0.000	-
			165	0.950	0.950	0.000	0.000	आम-2
33	लछमनसींग पिता भवूदसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	161	0.550	0.500	0.000	0.050	छेवला-3
			163/1	0.840	0.800	0.000	0.040	छेवला-1
34	प्रेमबाई वेवा हरीसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	162	0.690	0.600	0.000	0.090	छेवला-3 बेरी-3 कुआ पक्का-1
			164	0.750	0.750	0.000	0.000	छेवला-1 बेरी-1

35	सुधीरकुमार सुशीलकुमार पिस. निर्मलकुमार जैन पता सा. बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	166/1	0.450	0.450	0.000	0.000	छेवला-3
			231/2	0.180	0.180	0.000	0.000	छेवला-3
36	बद्री शिवराज पिता अजुद्धी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	166/2	0.230	0.230	0.000	0.000	छेवला-3
			231/3	0.090	0.090	0.000	0.000	-
37	चन्द्ररानी जोजे वद्रीप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	172/1	0.450	0.450	0.000	0.000	रुसल्ला-1 पारस-2 छेवला-3 बासकटंगी-2 नीबू-1
38	कल्याण पिता दुरगा गडरिया पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	178/1	0.520	0.500	0.000	0.020	बबूल-1 रेजा-1 बेरी-3 अमरुद-1 कुआ पक्का-1
39	कनई पिता दुरगा गडरिया पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	178/2	0.530	0.530	0.000	0.000	गुरार-2 बासभिरा-2 नीबू-4 आम-1
40	सुम्नेरसींग पिता सुक्केसींग पता कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी मरदनसींग पिता सुक्केसींग पता कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी गुलाबसींग पिता सुक्केसींग पता कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी धीरजसींग पिता सुक्केसींग पता कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	179/1	0.220	0.220	0.000	0.000	-
41	सुधीरकुमार पिता निर्मलकुमार जैन पता सा.बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	179/3	0.110	0.110	0.000	0.000	अमरुद-2 नीबू-3
			219	1.610	0.350	0.000	0.000	-
42	खुमान ब.अजुद्धीलीलाधर पिता प्रीतम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	180	0.530	0.500	0.000	0.030	बासभिरा-1 छेवला-7 सिरोज-1 रेजा-1 बेरी-2
43	पुष्पेन्द्र पिता खुमान इन्दर पिता बद्री प्रसाद पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	181	0.320	0.300	0.000	0.020	छेवला-4 ऐरमा-3 साज-3 गुरार-1 चिरोल-1 अस्तो-1 नीम-1 सागोन-44 बेरी-1 आवला-11 अमरुद-2

44	बद्री पिता अजुध्दी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	182	0.550	0.500	0.000	0.050	छेवला-1
			228	0.960	0.960	0.000	0.000	गुरार-3 अस्तो-1 छेवला-11 रुसल्ला-1 चिरोल-2 किरवाडा-1 ऐरमा-1 सीसम-1 साज-9 नीम-2 बेरी-4 मुनगा-1
45	बद्री खुमान पिता अजुध्दी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	183/1	1.170	1.130	0.000	0.040	छेवला-3 सेमर-1 रेजा-1 खेर-1 बेरी-1
46	कनई पिता दुरगाकल्यान पिता रगन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	183/2	0.400	0.400	0.000	0.000	-
47	देवसींग पिता सुम्मेरसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	187	1.250	1.100	0.000	0.150	छेवला-3 पीपल-1 बेरी-20 नीबू-1 कुआ पक्का-1
48	अमृता जैन पति अकुर जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	190	0.490	0.450	0.000	0.040	-
			192	0.230	0.200	0.000	0.030	-
			198	0.150	0.000	0.150	0.000	-
49	गजराज सींग पिता जगतसींग लोधी पता नि.बमूरा विनैका भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	191/1	0.480	0.480	0.000	0.000	-
			200/2	0.300	0.300	0.000	0.000	कुआ पक्का-1
50	भरतसींग पिता जगतसींग पता निवासी ग्राम बमूरा विनैका भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	191/2	0.100	0.100	0.000	0.000	-
			194	0.680	0.670	0.000	0.010	-
51	विजय केशरी उत्तम पिता रगवीर पता नि. बमूरा विनैका भूमि स्वामी लहू पिता जूजे पता नि.कोटिया भूमि स्वामी शिबू पिता जुझारसींग पता नि.बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	195/1	1.450	1.450	0.000	0.000	कुआ पक्का-1
			199/1	1.480	1.480	0.000	0.000	-
52	अकुर पिता प्रकाशचंद जैन पता सा. बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	199/2	1.440	0.000	1.440	0.000	-
			204/3	0.400	0.400	0.000	0.000	-
53	लाखनसींग पिता होडरसींग विजयसींग उत्तमसींग केशरीसींग महावीरसींग पिता नारायणसींग भूमि स्वामी बडीबहू बेवा नारायणसींग द्रोपतीबाई मीराबाई पुत्री नारायणसींग कोमलसींग पिता भुजबलसींग भूमि स्वामी सीता काशीबाई पुत्री भुजबलसींग पता नि. बमूरा विनैका भूमि स्वामी पोथीबाई जोजे गुलझारसींग पता नि.पारगुवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	199/3	0.030	0.000	0.000	0.030	-
54	शिबू पिता जुझारसींग पता निवासी बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	199/4	0.300	0.300	0.000	0.000	-
			218	1.610	0.050	0.000	0.000	-

55	विजयसिंह बल्द जगतसिंह पता सा. बमूरा बनेका भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	200/1	0.790	0.790	0.000	0.000	नीम-1 रेजा-1 बेरी-12
56	मोती शिबू पिता अमरसींग करतार पिता अमरसींग मोती पिता परमू रम्मोबाई प्रेमबाई पुत्री मोहन लसिया संजली बहू बेबा मोहन लसिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	201/1	0.450	0.440	0.000	0.010	रेजा-1 बेरी-2 कुआ कच्चा-1
57	पप्पू पिता बारे पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	201/2	0.740	0.000	0.740	0.000	-
58	शोभना पति दीपककुमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	201/3	0.920	0.000	0.920	0.000	-
59	महेश पिता शिवप्रसाद करनसींग पिता विजयसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	202/1	0.370	0.000	0.370	0.000	-
			214	0.500	0.000	0.500	0.000	-
			217	2.080	0.000	1.470	0.580	गुरार-1 रेजा-1 अस्तो-1 बेरी-1 छेवला-1
60	कल्याण कनई पिता दुरगा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	202/2	0.290	0.000	0.290	0.000	-
			203	0.660	0.000	0.330	0.330	-
			213	1.700	0.000	1.700	0.000	-
			215	0.170	0.000	0.000	0.170	-
			216	0.120	0.000	0.000	0.120	-
61	प्रकाश बल्द मोतीलाल चढार पता सा. डहकुली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	204/1	1.320	1.300	0.000	0.020	छेवला-2
			205/1	0.680	0.000	0.680	0.000	छेवला-2
62	रगवीर पिता दुलारे पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	204/2	2.600	2.600	0.000	0.000	नीम-1 अस्तो-1 सीसम-1 छेवला-8 बेरी-2 कुआ पक्का-1
63	गोविन्द पिता रगवीर यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	205/2	0.500	0.500	0.000	0.000	नीम-1
			205/3	0.120	0.000	0.120	0.000	-
64	लखन हल्केभाई नीरज अशोक पिस. भगवानदास केराबाई वेवा भगवानदास पता सा. डहकुली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207/1	1.440	1.440	0.000	0.000	छेवला-6 गुरार-1
65	गेंदारानी पति घनश्याम यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207/2	0.200	0.200	0.000	0.000	-
66	खुमानसींग पिता अजुद्धी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210/1	0.200	0.200	0.000	0.000	-
67	घनश्याम पिता बालकिशन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210/2	0.140	0.140	0.000	0.000	-
68	शीलाबाई जोजे रामनाथ यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	211/1	1.010	1.010	0.000	0.000	छेवला-8
69	नरेन्द्र पिता रामनाथ यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	224/2	0.500	0.390	0.000	0.000	कोहा-1
70	संतोष ऊर्फ सतनाम पिता रामनाथ पता सा. कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	225/2	0.500	0.490	0.000	0.010	गुरार-1 कुआ पक्का-1
			255	0.410	0.000	0.410	0.000	-

71	शिवराजसींग पिता अजुद्धी पता कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229	0.360	0.360	0.000	0.000	कोहा-1 सूलबबूल-1 छेवला-3 सेमर-1
			155/2	1.000	1.000	0.000	0.000	
			157/2	0.270	0.000	0.270	0.000	
			226/2	0.900	0.900	0.000	0.000	कुआ पक्का-1
			230	0.310	0.310	0.000	0.000	-
			231/1	0.140	0.140	0.000	0.000	-
72	गंगाराम पि०रामनाथ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	232	0.050	0.000	0.050	0.000	-
			253	0.230	0.000	0.230	0.000	-
			254	0.580	0.000	0.580	0.000	
73	जगदीश पिता पंचम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	235	0.300	0.300	0.000	0.000	साज-2 कोहा-3 गुरार-1
74	लीला छोटे भाई पिता बडैया बडी विन्ना छोटी विन्ना हल्की विन्ना पुत्री बडैया बडी बहू बेबा बडैया मुटुवा टीकाराम पिता हल्कैया बडीबाई छोटीबाई पुत्री हल्कैया पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	236	0.520	0.000	0.520	0.000	-
75	भूपेन्द्रसींग घनश्याम पिस.बालकिशन यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	237	0.730	0.700	0.000	0.030	साज-1 अस्तो-1
			238	0.780	0.780	0.000	0.000	गुरार-1 बेरी-1
			240	0.510	0.500	0.000	0.010	गुरार-3 कोहा-3 नीम-1 रुसल्ला-1 साज-1 कुआ कच्चा-1
			246	0.800	0.800	0.000	0.000	-
			250	0.600	0.600	0.000	0.000	-
			239	0.940	0.900	0.000	0.040	बेरी-1 कुआ पक्का-1
76	बीरसींग पिता बालकिशन लीलाधर पिता प्रीतमसींग कोमलसींग वल्द घनश्याम मोहनसींग पिता भूपेन्द्रसींग यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	244	0.260	0.000	0.260	0.000	-
			249	0.300	0.000	0.300	0.000	छेवला-1
			242	0.070	0.000	0.070	0.000	-
77	नथू भूरे इमरत सूरतसींग रूपसींग पिता हरीसींग प्रेमबाई बेबा हरीसींग पता नि.कानोनी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	242	0.070	0.000	0.070	0.000	-
78	कनई पिता शिवलाल मखोबाई बेबा शिवलाल पता सा.कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	258/1	1.150	1.140	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
79	कपिल कुमार ना० वा० बल्द वली संतोष पिता रामनाथ पता सा० भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	258/2	0.400	0.000	0.100	0.000	-
80	भानुप्रताप अनंतसींग पिता नथूसींग अनंतरा पुत्री नथूसींग बडी बहू जोजे शरनसींग पता नि.कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	259	0.290	0.000	0.210	0.000	-

81	बाबूसींग पिता सुक्केसींग पता कोटिया बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी सुन्मेरसींग पिता सुक्केसींग पता कोटिया बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी मरदनसींग पिता सुक्केसींग पता कोटिया बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी गुलाबसींग पिता सुक्केसींग पता कोटिया बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	261/1/ 1/1	0.010	0.000	0.010	0.000	-
82	विनोदकुमार पिता बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	267/1	1.080	0.490	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
83	अशोककुमार पिता बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	267/2	1.080	0.360	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
84	कल्याण पिता रमन कल्याण ताि दुरगा मोती पिता अमरसींग बबलू पिता गोरे पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	282	2.110	1.070	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
85	प्रभू फूलसींग छोटे रामलाल पिता हल्कू सियारानी बेबा हल्कू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	283	1.200	0.000	0.060	0.000	-
86	बाबूलाल पिता गनपत पता सादेह बंडा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	284/1	0.020	0.020	0.000	0.000	-
87	सुरेश पिता बाबूलाल पता बंडा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	284/2	0.860	0.080	0.000	0.000	
	कुल योग:-		159	91.340	68.620	12.030	2.580	

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

स. क्र.	राजस्व अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	ख.नं.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंबों का विवरण
				झोपड़ी/कच्चा कबेलू/टिनशेड/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)	
1	2	3	4	5	6	7
1	रानी जैन पत्नि सुनील जैन पता सा चन्द्रशेखर वार्ड सागर भूमि स्वामी	72	रानी जैन पत्नि सुनील जैन पता सा. चन्द्रशेखर वार्ड सागर भूमि स्वामी (मकान धारक जगदीश पिता पंचम यादव)	कच्चा ईट का मकान टिनशेड	27.75	निरंक
				कुलयोग :-	27.75	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
 - (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
 - (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
 - (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
 - (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
 - (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
 - (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आघागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें।
 - (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
 - (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
 - (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
 - (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
 - (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- 3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
 - (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
 - (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
 - (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
 - (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
 - (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
 - (7) यथेचित पंचायत घर

- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकबा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय

अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 25/08/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा- 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 17-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-7558

सागर, दिनांक 2 अगस्त 2021

**मौजा नीमोन पट.ह.नं.-15 तहसील बण्डा
(देखिये धारा 19 एवं 21)**

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीघ्र कार्य
(2) भूमि का विवरण
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | बण्डा |
| 3. ग्राम | : | नीमोन |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 15 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 3.560 हे. |

:: अनुसूची - 01 ::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में.)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गिरजाबाई जोजे अमोलसिंह पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25	0.350	0.010	0.000	0.000	बेरी-2 अमरुद-1
2	प्रहलादसींग पिता मलखानसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	36/2	0.140	0.000	0.140	0.000	
3	महेन्द्र पिता गुलाब पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	41	0.110	0.110	0.000	0.000	
4	राजूसींग पिता गोविन्द सींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43	1.210	1.210	0.000	0.000	रेंजा-4 बबुल-6
5	राजेन्द्र सिंह नारायणसिंह पिस. भीकमसिंह पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49	0.560	0.550	0.000	0.000	बबुल-1 रेंजा-3
			51	0.730	0.010	0.000	0.000	कुआपक्का-1
6	प्रतापसिंह बल्द मलखानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132/1	0.350	0.010	0.000	0.000	

7	बलराम पिता नन्दाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	226/1	0.310	0.300	0.000	0.010	बेरी-2 इमली-1 बबूल-1 रुसल्ला-3 रेंजा-1 कुआपक्का-1
			227/1	0.350	0.350	0.000	0.000	
8	लक्ष्मीनारायण पिता नन्दाई यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	226/2	0.310	0.310	0.000	0.000	
			227/2	0.350	0.350	0.000	0.000	
9	रामलाल पिता हीरालाल सियारानी बेवा हीरालाल पता सा देह भूमि	भूमि स्वामी	332	0.080	0.080	0.000	0.000	
10	उत्तमसींग पिता उद्वेतसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	335	0.500	0.010	0.000	0.000	
11	चंदनसींग पिता अरजनसींग पता सा पडवार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	336	0.230	0.110	0.000	0.000	
कुल योग:-			14	5.580	3.410	0.140	0.010	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3— अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकबा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दि. 10 / 09 / 2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 46-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-7668

सागर, दिनांक 5 अगस्त 2021

मौजा पडवार पट.ह.नं.-14 तहसील बण्डा
(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीघ्र कार्य
(2) भूमि का विवरण
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | बण्डा |
| 3. ग्राम | : | पडवार |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 14 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 8.450 हे. |

:: अनुसूची - 01 ::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में.)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीबाई जोजे बीरसिंग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25	1.260	1.260	0.000	0.000	हडुआ-1 रेंजा-1
2	जगदीश पिता रोहनलाल पता पडवार सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	292	0.580	0.310	0.000	0.000	-
3	खुमान पिता कच्छेदी लाल नाई पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	293	0.490	0.490	0.000	0.000	-
			294	0.460	0.460	0.000	0.000	-
4	देवेन्द्र सिंह पिता भूपेन्द्रसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	296	0.050	0.050	0.000	0.000	-
			297	0.350	0.350	0.000	0.000	खैर-2
			299	1.620	1.620	0.000	0.000	-
			345	0.500	0.500	0.000	0.000	रेंजा-1 बडुल-4

5	कमलेश प्रसाद पिता जगन्नाथप्रसाद कीर्ति पुत्री जगन्नाथप्रसाद रामकली बेबा जगन्नाथप्रसाद परसादी पिता मुन्नालाल दामोदर हल्लेभाई पिता खूबे भागवती बेबा खूबे पता पडवार बंडा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	303	0.610	0.180	0.000	0.000	--
6	सीताराम रामकृपाल जयसिंह आशाविनीता सविता पिता देवीसिंह श्रीबाई बेबा देवीसिंह पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	313/1	0.220	0.220	0.000	0.000	रेंजा-1
7	हल्काई गनेश राकेश अशोक पिता धीरजसींग विद्याबाई बेबा धीरजसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	313/2	0.210	0.210	0.000	0.000	बबूल-1
8	उजयारसींग जाहरसींग रामसींग मेघराजसींग पिस. पहाडसींग सीताराम शंकर विश्वनाथ पिस. वीरसींग श्रीबाई बेबा वीरसींग प्रीतमसींग बहादुरसींग ना बा इमरतसींग पिता शिवराजसींग जेवाबाई बेबा शिवराजसींग पता पडवार सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	378	1.280	1.280	0.000	0.000	सूलवबूल-1 बबूल-6 बेरी-1
			379	0.270	0.270	0.000	0.000	--
			411	0.040	0.000	0.040	0.000	--
9	पंचमसींग पिता भबूदसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	388/1	0.200	0.200	0.000	0.000	--
10	बहादुर जीवन चमेली भिन्दा भूरीबाई पिता पर्वतसिंह देवसिंह अमोलसिंह गनेशी मल्लो पिता गन्धर्वसिंह हीराबाई बेबा गन्धर्वसिंह पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	388/2	0.600	0.600	0.000	0.000	बबूल-1 रेंजा-1 बेरी-1
11	इन्दल बहादुरसींग राजेन्द्र देशराज पिता रंगधीरसींग सतेन्द्र पुष्पेन्द्र पिता शीतलसींग राजकुमारीबेबा शीतलसींग जितेन्द्र शैलेन्द्र पिता साहबसींग विमलाबाई बेबा साहबसींग पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 6/7 भाग भूमि स्वामी निखिल सुहासानाबा स्वाति संध्याबा पिता भोपालसिंह पालक व खुदमौरामाबाई बेबा भोपालसिंह पता सागर मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	635	0.170	0.040	0.000	0.000	--
12	गोदाबाई पति जंगभान लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	649	0.050	0.020	0.000	0.000	--
			650	0.210	0.050	0.000	0.000	--
			655	0.420	0.120	0.000	0.000	रेंजा-3 बेरी-1
13	सोनाबाई बेबा नारायणसिंह जाति लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	653	0.690	0.100	0.000	0.000	बबूल-1
14	प्रहलाद सिंह फूलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	654	0.420	0.080	0.000	0.000	बबूल-1
कुल योग:-			22	10.700	8.410	0.040	0.000	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुम्बों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
 (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3— अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से

रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकबा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 10/09/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 04-भू-अर्जन-2021

विदिशा, दिनांक 18 जुलाई 2021

अंतर्गत धारा -19 भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पैरवारा मार्ग से बामनखेड़ा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु तहसील विदिशा जिला विदिशा के ग्राम बामनखेड़ा में मार्ग निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रम वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है जिसमें कि पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन नहीं हो रहा है। निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

पैरवारा मार्ग से बामनखेड़ा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु
ग्राम - बामनखेड़ा तहसील- विदिशा, जिला विदिशा

स. क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे० में)	कुल प्रभावित रकवा (हे० में) ¹
1	केदार बाबू पुत्र लालाराम	143/1	0.251	0.006
2	गौरीशंकर पुत्र कोमल प्रसाद	143/2	0.021	0.002
3	शिवनारायण पुत्र चिरोजी लाल	112/2	1.097	0.022
4	प्रवेश नारायण पुत्र जवाहर लाल	115/2	1.944	0.011
5	सत्यनारायण पुत्र जवाहर लाल	112/1/2	0.424	0.005
6	श्रीनारायण पुत्र जवाहर लाल	112/1/1	0.674	0.008
		83	0.230	0.003
7	संतोष बाबू सुभाष बाबू पुत्र कामता प्रसाद	113	0.334	0.003
	महायोग		4.975	0.060

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील विदिशा, जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 264-भू-अर्जन-2021

सीधी, दिनांक 27 जुलाई 2021

**भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा-4**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला — सीधी
(ख) तहसील — गोपद बनास
(ग) नगर/ग्राम — महाराजपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल — निजी रकवा 0.230 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	156/1	0.010	विश्वनाथ सिंह पिता बाकेलाल सिंह मु. ललिता सिंह वेवा बृजेश सिंह आदर्श सिंह (ता.बा) पिता बृजेश सिंह ना.सं. माता ललिता सिंह चौहान
2	157/3/1	0.220	विश्वनाथ सिंह पिता बाकेलाल सिंह मु. ललिता सिंह वेवा बृजेश सिंह आदर्श सिंह (ता.बा) पिता बृजेश सिंह ना.सं. माता ललिता सिंह चौहान
	2 किता	0.230 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है — महान मुख्य नहर के निर्माण हेतु।
3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय गोपद बनास में देखा जा सकता है।

क्र. 266-भू-अर्जन-2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	गोपद बनास
(ग) नगर/ग्राम	-	कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल	-	निजी रकबा 0.272 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	246	0.006	मनोज कुमार सिंह पिता रामराज सिंह 1/20, यशोदा देवी वेवा वीरेन्द्र सिंह 1/40, दिनेश सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह 1/40, अनिल कुमार सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह 1/40, सुनील कुमार सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह 1/40, विष्णुबहादुर सिंह पिता रामराज सिंह 1/20, वंशबहोरन सिंह पिता रामराज सिंह 1/20, राघवेन्द्र सिंह पिता दुदन सिंह 1/10, इसराना सिंह पुत्री सत्यप्रताप सिंह 1/10, दानबहादुर सिंह पिता सत्यप्रताप सिंह 1/10, राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता सरदूल सिंह 1/20, राघोप्रताप सिंह पिता सरदूल सिंह 1/20, राजबली सिंह पिता सवाईलाल सिंह 1/40, राजकुमार सिंह पिता सवाईलाल सिंह 1/40 धर्मराज सिंह पिता सवाईलाल सिंह 1/40, राजपति सिंह पिता बाबूलाल सिंह 1/15, लालबहादुर सिंह पिता बाबूलाल सिंह 1/15, तेजबहादुर सिंह पिता बाबूलाल सिंह 1/15, उपेन्द्र सिंह पिता विष्णुबहादुर सिंह 1/60, अवधेश सिंह पिता विष्णु बहादुर सिंह 1/60, भूपेन्द्र सिंह पिता विष्णुबहादुर सिंह 1/60, प्राची सिंह पुत्री सवाईलाल सिंह 1/40
2	253/1	0.014	मनोज कुमार सिंह पिता रामराज सिंह 1/20, यशोदा देवी वेवा वीरेन्द्र सिंह 1/40, दिनेश सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह 1/40, अनिल कुमार सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह 1/40, सुनील कुमार सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह 1/40, विष्णुबहादुर सिंह पिता रामराज सिंह 1/20, वंशबहोरन सिंह पिता रामराज सिंह 1/20, राघवेन्द्र सिंह पिता दुदन सिंह 1/10, इसराना सिंह पुत्री सत्यप्रताप सिंह 1/10, दानबहादुर सिंह पिता सत्यप्रताप सिंह 1/10, राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता सरदूल सिंह 1/20, राघोप्रताप सिंह पिता सरदूल सिंह 1/20, राजबली सिंह पिता सवाईलाल सिंह 1/40, राजकुमार सिंह पिता सवाईलाल सिंह 1/40 धर्मराज सिंह पिता सवाईलाल सिंह 1/40, राजपति सिंह पिता बाबूलाल सिंह 1/15, लालबहादुर सिंह पिता बाबूलाल सिंह 1/15, तेजबहादुर सिंह पिता बाबूलाल सिंह 1/15, उपेन्द्र सिंह पिता विष्णुबहादुर सिंह 1/60, अवधेश सिंह पिता विष्णु बहादुर सिंह 1/60, भूपेन्द्र सिंह पिता विष्णुबहादुर सिंह 1/60, प्राची सिंह पुत्री सवाईलाल सिंह 1/40
3	257	0.005	राघवेन्द्र सिंह पिता दुदन सिंह 1/2 वीरेन्द्र सिंह पिता दुदन सिंह 1/2
4	251	0.024	राघवेन्द्र सिंह पिता दुदन सिंह 1/2 वीरेन्द्र सिंह पिता दुदन सिंह 1/2
5	252	0.130	राघवेन्द्र सिंह पिता दुदन सिंह 1/2 वीरेन्द्र सिंह पिता दुदन सिंह 1/2
6	255	0.003	राघवेन्द्र सिंह पिता दुदन सिंह 1/2 वीरेन्द्र सिंह पिता दुदन सिंह 1/2
7	248	0.006	अमोलवती पत्नी हीरालाल पाल
8	196/2/3	0.084	काशी पिता दददी गड़रिया
9	10 कित्ता	0.272 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - महान मुख्य नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय गोपद बनास में देखा जा सकता है।

क्र. 268-भू-अर्जन-2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - गोपद बनास
 (ग) नगर/ग्राम - गाजर
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.362 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	65	0.175	बरमदीन पिता रघुनन्दन काछी
2.	66	0.006	गोपाल मनबहोर धर्मराज पिता अमीर
3.	72	0.048	गोपाल मनबहोर धर्मराज पिता अमीर
4.	74	0.027	गुलझारी बबोली पिता जोखई अहिर
5.	80	0.073	मु. चौरसिया वेवा बैजनाथ अहिर
6.	81	0.033	ललोहर पिता लायक
Total	6 कित्ता	0.362 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 7 की सब माइनर नहर के निर्माण हेतु।
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय गोपद बनास में देखा जा सकता है।

क्र. 270-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - गोडाही
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 1.820 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	1011/1	0.033	रामाधार पिता ददई काछी
2.	1010	0.023	रामाधार पिता ददई काछी
3.	1008	0.001	श्यामवती पति राजेन्द्र प्रसाद ब्रा.
4.	1009	0.037	श्यामवती पति राजेन्द्र प्रसाद ब्रा.
5.	1022	0.105	संदीपिका वेवा रामलाल 1/9 निर्मला पुत्री रामलाल 1/9 गुलबिया पुत्री रामलाल 1/9 उर्मिला पुत्री रामलाल 1/9 सरोज पुत्री रामलाल 1/9 शीला पुत्री रामलाल 1/9 मोहित नाबा. पिता रामलाल संर. माता संदीपिका वेवा रामलाल 1/9 शुभम उर्फ पाडे नाबा. पिता रामलाल संर. माता संदीपिता वेवा रामलाल 1/9 रोहित नाबा. पिता रामलाल संर. माता संदीपिता वेवा रामलाल 1/9
6.	852/1	0.024	बृजलाल पिता राजमणि कुशवाहा
7.	852/2	0.036	संदीपिका वेवा रामलाल 1/9 निर्मला पुत्री रामलाल 1/9 गुलबिया पुत्री रामलाल 1/9 उर्मिला पुत्री रामलाल 1/9 सरोज पुत्री रामलाल 1/9 शीला पुत्री रामलाल 1/9 मोहित नाबा. पिता रामलाल संर. माता संदीपिका वेवा रामलाल 1/9 शुभम उर्फ पाडे नाबा. पिता रामलाल संर. माता संदीपिता वेवा रामलाल 1/9 रोहित नाबा. पिता रामलाल संर. माता संदीपिता वेवा रामलाल 1/9
8.	1021	0.015	बृजलाल पिता राजमणि कुशवाहा
9.	851	0.009	रामलाल पिता विकई काछी
10.	853	0.026	कैलशुआ वेवा पंचू कुशवाहा काछी 1/3 जयलाल पिता पंचू कुशवाहा 1/3 झब्बू पिता पंचू कुशवाहा 1/3
11.	854	0.011	कैलशुआ वेवा पंचू कुशवाहा काछी 1/3 जयलाल पिता पंचू कुशवाहा 1/3 झब्बू पिता पंचू कुशवाहा 1/3
12.	834	0.090	सुशील कुमार पिता राजीवलोचन गोदावरी वेवा राजीवलोचन नीता वेवा महेन्द्र धीरज नीरज पिता अरुण कुमार शकुन्तला वेवा अरुण कुमार सुनील कुमार प्रदीप कुमार पिता रामकरण राजेन्द्र रावेन्द्र दिनेन्द्र पिता शिवप्रसाद
13.	828	0.002	सुशील कुमार पिता राजीवलोचन गोदावरी वेवा राजीवलोचन नीता वेवा महेन्द्र धीरज नीरज पिता अरुण कुमार शकुन्तला वेवा अरुण कुमार सुनील कुमार प्रदीप कुमार पिता रामकरण राजेन्द्र रावेन्द्र दिनेन्द्र पिता शिवप्रसाद
14.	827	0.010	सुशील कुमार पिता राजीवलोचन गोदावरी वेवा राजीवलोचन नीता वेवा महेन्द्र धीरज नीरज पिता अरुण कुमार शकुन्तला वेवा अरुण कुमार सुनील कुमार प्रदीप कुमार पिता रामकरण राजेन्द्र रावेन्द्र दिनेन्द्र पिता

			शिवप्रसाद
15.	565	0.002	सुशील कुमार पिता राजीवलोचन गोदावरी वेवा राजीवलोचन नीता वेवा महेन्द्र धीरज नीरज पिता अरुण कुमार शकुन्तला वेवा अरुण कुमार सुनील कुमार प्रदीप कुमार पिता रामकरण राजेन्द्र रावेन्द्र दिनेन्द्र पिता शिवप्रसाद
16.	562	0.110	सुशील कुमार पिता राजीवलोचन गोदावरी वेवा राजीवलोचन नीता वेवा महेन्द्र धीरज नीरज पिता अरुण कुमार शकुन्तला वेवा अरुण कुमार सुनील कुमार प्रदीप कुमार पिता रामकरण राजेन्द्र रावेन्द्र दिनेन्द्र पिता शिवप्रसाद
17.	829	0.060	सुशील कुमार पिता राजीवलोचन गोदावरी वेवा राजीवलोचन नीता वेवा महेन्द्र धीरज नीरज पिता अरुण कुमार शकुन्तला वेवा अरुण कुमार सुनील कुमार प्रदीप कुमार पिता रामकरण राजेन्द्र रावेन्द्र दिनेन्द्र पिता शिवप्रसाद
18.	830	0.010	सुशील कुमार पिता राजीवलोचन गोदावरी वेवा राजीवलोचन नीता वेवा महेन्द्र धीरज नीरज पिता अरुण कुमार शकुन्तला वेवा अरुण कुमार सुनील कुमार प्रदीप कुमार पिता रामकरण राजेन्द्र रावेन्द्र दिनेन्द्र पिता शिवप्रसाद
19.	794	0.020	हिन्धलाल पिता विन्दा बसोर
20.	733	0.001	रामगोपाल पिता हनु काछी
21.	734	0.001	रामगोपाल पिता हनु काछी
22.	793	0.070	सुशील पिता राजीवलोचन गोदावरी वेवा राजीवलोचन नीता वेवा राजीवलोचन धीरज नवीन पिता अरुण शकुन्तला वेवा अरुण मु. जसमाना वेवा राजेन्द्र सन्तोष अशोक पिता राजेन्द्र प्रसाद प्रदीप सुनील पिता रामकरण दिनेन्द्र देवेन्द्र रावेन्द्र सतेन्द्र बृजेन्द्र पिता शिवप्रसाद 1/2 आशा सुमित संदीप पिता तुलसी कृष्णा पिता रामसुन्दर 1/2
23.	728	0.004	रामकरन पिता हनु काछी
24.	732	0.040	श्रीमती तरुण पति सुशील कुमार
25.	729	0.090	सुशील राजकुमार मुनेन्द्र पिता रामदौर रामनामी वेवा रामदौर
26.	730	0.004	रामराज पिता शम्भू कुशवाहा 1/2 शिवराज पिता शम्भू कुशवाहा 1/2
27.	362	0.034	रामराज पिता शम्भू कुशवाहा 1/2 शिवराज पिता शम्भू कुशवाहा 1/2
28.	561	0.055	रामतेज रामनिश्चय पिता भगवत
29.	361	0.007	सुदर्शन पिता जगजीत काछी
30.	559	0.010	तेजबली त्रयम्बक त्रिसूली रामसुमेर पिता सुग्रीव भगवानदास भगवनिया कौशिल्या दशोदरी ऊषा अनीता पिता त्रिलोक जैतुनिया वेवा त्रिलोक काछी
31.	560	0.001	तेजबली त्रयम्बक त्रिसूली रामसुमेर पिता सुग्रीव भगवानदास भगवनिया कौशिल्या दशोदरी ऊषा अनीता पिता त्रिलोक जैतुनिया वेवा त्रिलोक काछी
32.	746	0.060	तेजबली त्रयम्बक त्रिसूली रामसुमेर पिता सुग्रीव भगवानदास भगवनिया कौशिल्या दशोदरी ऊषा अनीता पिता त्रिलोक जैतुनिया वेवा त्रिलोक काछी
33.	558	0.001	श्रीमती अरुण कुशवाहा पति शिराज कुशवाहा
34.	365	0.087	मु. गुलबसिया वेवा गंगा रामबहोर राजबहोर पिता गंगा काछी
35.	364	0.008	मु. गुलबसिया वेवा गंगा रामबहोर राजबहोर पिता गंगा काछी
36.	367	0.005	सुरेन्द्र कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4 सुरेश कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4 रामनरेश कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4 राममिलन कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4
37.	369	0.018	सुरेन्द्र कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4 सुरेश कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4 रामनरेश कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4 राममिलन कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4
38.	370	0.001	सुरेन्द्र कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4 सुरेश कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4 रामनरेश कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4 राममिलन कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4
39.	368	0.020	सुरेन्द्र कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4 सुरेश कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4 रामनरेश कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा

			1/4 राममिलन कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4
40.	371	0.010	सुरेन्द्र कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4 सुरेश कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4 रामनरेश कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4 राममिलन कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा 1/4
41.	404	0.001	भल्लू पदुमनाथ पंचू पिता राजरूप काछी
42.	403	0.002	भल्लू पदुमनाथ पंचू पिता राजरूप काछी
43.	402	0.046	प्रेमलाल श्यामलाल लल्लूराम उमाकान्त राजेश्वरी सतीश पिता त्रिसूलाराम ब्रा.
44.	400	0.004	प्रेमलाल श्यामलाल लल्लूराम उमाकान्त राजेश्वरी सतीश पिता त्रिसूलाराम ब्रा.
45.	408	0.001	बृजलाल पिता सम्पति मु. सुन्दरी पति सम्पति जेलाल पिता गनपति संतोखिया पति गनपति 1/3 छोटकी पति विसम्भर 1/3 बृजलाल पिता सम्पति 1/3
46.	410/2	0.062	बृजभान राजभान पिता वंशपती लुटुरी वेवा वंशपती काछी
47.	411/3	0.035	बृजभान, राजभान पिता वंशपती काछी लुटुरी वेवा वंशपती
48.	410/1	0.090	सुखरजुआ वेवा इन्द्रपति तेजभान कुवारे श्रीपाल पिता इन्द्रपति निचकी वेवा श्यामलाल गोविन्द नाबालिक पिता श्यामलाल संरक्षिका माता निचकी
49.	411/1	0.035	सुखरजुआ वेवा इन्द्रपति तेजभान कुवारे श्रीपाल पिता इन्द्रपति निचकी वेवा श्यामलाल गोविन्द नाबालिक पिता श्यामलाल संरक्षिका माता निचकी
50.	411/2	0.035	लखपति पिता हिम्मत काछी
51.	226	0.056	हरीलाल पिता छठिलाल मु. चन्द्रवली पत्नी देवराज मनोज राजेश पुष्पा संकुन पिता देवराज 1/2 गेंदवलि दिलीप कुमार पुत्री कुरुनी पिता लालमणि कैलसुआ वेवा लालमणि 1/4 कमलेश पिता फूलचन्द धनेशरी वेवा फूलचन्द 1/4
52.	236	0.009	हरीलाल पिता छठिलाल मु. चन्द्रवली पत्नी देवराज मनोज राजेश पुष्पा संकुन पिता देवराज 1/2 गेंदवलि दिलीप कुमार पुत्री कुरुनी पिता लालमणि कैलसुआ वेवा लालमणि 1/4 कमलेश पिता फूलचन्द धनेशरी वेवा फूलचन्द 1/4
53.	237	0.002	हरीलाल पिता छठिलाल मु. चन्द्रवली पत्नी देवराज मनोज राजेश पुष्पा संकुन पिता देवराज 1/2 गेंदवलि दिलीप कुमार पुत्री कुरुनी पिता लालमणि कैलसुआ वेवा लालमणि 1/4 कमलेश पिता फूलचन्द धनेशरी वेवा फूलचन्द 1/4
54.	238	0.015	हरीलाल पिता छठिलाल मु. चन्द्रवली पत्नी देवराज मनोज राजेश पुष्पा संकुन पिता देवराज 1/2 गेंदवलि दिलीप कुमार पुत्री कुरुनी पिता लालमणि कैलसुआ वेवा लालमणि 1/4 कमलेश पिता फूलचन्द धनेशरी वेवा फूलचन्द 1/4
55.	225	0.036	हरीलाल पिता छठिलाल मु. चन्द्रवली पत्नी देवराज मनोज राजेश पुष्पा संकुन पिता देवराज 1/2 गेंदवलि दिलीप कुमार पुत्री कुरुनी पिता लालमणि कैलसुआ वेवा लालमणि 1/4 कमलेश पिता फूलचन्द धनेशरी वेवा फूलचन्द 1/4
56.	222	0.050	हरीलाल पिता छठिलाल मु. चन्द्रवली पत्नी देवराज मनोज राजेश पुष्पा संकुन पिता देवराज 1/2 गेंदवलि दिलीप कुमार पुत्री कुरुनी पिता लालमणि कैलसुआ वेवा लालमणि 1/4 कमलेश पिता फूलचन्द धनेशरी वेवा फूलचन्द 1/4
57.	239/1	0.016	हिन्डलाल पिता छठिलाल काछी
58.	239/2	0.033	रामलाल पिता छठिलाल काछी
59.	414	0.020	मंगला वेवा अम्बुज द्विवेदी 1/24 लक्ष्मीनारायण पिता अम्बुज द्विवेदी 1/24 छोटेलाल पिता सुखजीवन 1/4 शिवपूजन पिता जीवनलाल 1/12 विधिपूजन पिता जीवनलाल 1/12 लखीआ वेवा जीवनलाल 1/12 शीषकली वेवा हीरालाल 1/12 अंजनी पिता हनुमानराम 1/12 रामगोविन्द पिता जग्यभान राम 1/8 ललिता वेवा क्षत्रमणि द्विवेदी 1/32 भूपेन्द्र पिता क्षत्रमणि द्विवेदी 1/32 लोकेश पिता क्षत्रमणि द्विवेदी 1/32 बृजेश पिता क्षत्रमणि द्विवेदी 1/32

60.	747	0.025	राजमणि पिता सुर्जभान राम
61.	786	0.001	मोहित रोहित पिता सुखपति 1/2 जग्यसेन रामसखा पिता महावीर 1/2
62.	785	0.062	मोहित रोहित पिता सुखपति 1/2 जग्यसेन रामसखा पिता महावीर 1/2
63.	825	0.001	रामकरन पिता सुखलाल बृजेश रामरती श्यामवती सत्यभामा पिता राजमणि मंती वेवा राजमणि 1/2 ढनगुआ निचकुआ पिता ललई मु. सुखमन्ती वेवा ललई प्रेमकली पति निचकुईली तेरसी पति जोखई 0190 हे. 13/28
64.	784/1	0.030	अनारकली पति संतोष 1/3 निर्मला पिता संतोष 1/3 सावित्री पिता संतोष 1/3
65.	784/2		अशोक पिता हर्षलाल
66.	784/3		राजेश पिता हर्षलाल
67.	784/4		मुन्ती पिता हर्षलाल
68.	784/5		साधना पिता हर्षलाल
69.	748	0.002	राममणि पिता सुर्जभान राम ब्रा.
Total	69 कित्ता	1.820 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय बहरी में देखा जा सकता है।

क्र. 272-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| (क) जिला | - | सीधी |
| (ख) तहसील | - | बहरी |
| (ग) नगर/ग्राम | - | बन्दैला |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल | - | निजी रकवा 0.928 हे. |

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	853	0.030	वंशरूप पिता शिवबोध
2.	854/1	0.002	वंशरूप पिता शिवबोध
3.	856	0.028	वंशरूप पिता शिवबोध
4.	866/1	0.004	जग्यलाल पिता छोटकू
5.	854/2	0.002	रामसजीवन पिता मनबोध कुमार
6.	854/3	0.028	जगजीवन पिता मनबोध
7.	857	0.026	वशिष्ट पिता बालगोविन्द
8.	858	0.016	कमलेश्वर पिता बोधे
9.	849	0.034	तीरथ प्रसाद पिता बालकरण
10.	860	0.017	तीरथ प्रसाद पिता बालकरण
11.	859	0.017	तीरथ प्रसाद पिता बालकरण
12.	847	0.002	रामदास निचकुल रामनिश्चय रजनी पिता हुबलाल कुम्हार
13.	848	0.054	रामनिहोर पिता जगदीश प्रसाद
14.	831/2	0.016	रामनिहोर पिता जगदीश प्रसाद
15.	830/2	0.014	रामनिहोर पिता जगदीश प्रसाद
16.	840/2	0.012	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी सत्यलाल तिवारी
17.	838	0.033	राजेश्वर प्रसाद रमेश महेश बृजेन्द्र प्रसाद राजकुमार पिता सोमेश्वर राम
18.	895	0.002	मु. छोहरिया देवा बैजनाथ राम
19.	833	0.033	मु. छोहरिया देवा बैजनाथ राम
20.	832	0.030	देवकली देवा सुखन्द्र राम
21.	896	0.002	भीम पिता मातादीन कुम्हार
22.	831/1	0.017	रामजस पिता जगदीश कुम्हार
23.	830/1	0.008	रामजस पिता जगदीश कुम्हार
24.	839	0.011	रामजस पिता जगदीश कुम्हार
25.	828	0.032	कृजन प्रसाद पिता रामाधार
26.	789	0.046	कृजन प्रसाद पिता रामाधार
27.	788	0.020	कृजन प्रसाद पिता रामाधार
28.	827	0.018	दिनेश प्रसाद पिता नकछेदी राम
29.	790	0.026	दिनेश प्रसाद पिता नकछेदी राम
30.	826	0.002	बाकेलाल श्यामलाल रामतेज राममनीहर रामानुज पिता जाहिर मु. सुमेरवती पत्नी जाहिर सोनी
31.	792/1	0.022	अच्युतकुमार पिता ठाकुर प्रसाद ना.सं. पिता ठाकुर प्रसाद 4/7 मु. पखी देवा उदयभान राम मु. पुनित्री देवा सुदर्शन राम भानराम पिता मंगलराम3/4
32.	792/2	0.020	श्रीमती सरस्वती पति त्रिवेणी प्रसाद
33.	793	0.013	श्रीमती सरस्वती पति त्रिवेणी प्रसाद
34.	810	0.028	श्रीमती सरस्वती पति त्रिवेणी प्रसाद
35.	811	0.052	सन्तोष कुमार पिता गजाधर नाथ ना.पालक गजाधरनाथ पिता महादेव सोनी
36.	809	0.024	राममूर्ति व्यंकटेश्वर शिवमूर्ति विनायक वशिष्टमुनि विवेक कुमार पिता धर्मध्वजा
37.	808	0.055	हृदय प्रकाश संजय प्रसाद पिता गजानन प्रसाद
38.	807	0.008	हृदय प्रकाश संजय प्रसाद पिता गजानन प्रसाद
39.	806	0.040	हृदय प्रकाश संजय प्रसाद पिता गजानन प्रसाद
40.	805	0.034	हृदय प्रकाश संजय प्रसाद पिता गजानन प्रसाद
41.	804	0.050	हृदय प्रकाश संजय प्रसाद पिता गजानन प्रसाद
Total	41 कित्ता	0.928 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय बहरी में देखा जा सकता है।

क्र. 274-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - बन्दैला
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.735 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	298	0.028	मोलईधर पिता चन्द्रशेखरधर
2.	296	0.022	मोलईधर पिता चन्द्रशेखरधर
3.	295	0.018	हिन्दुधर गंगाधर यमुनाधर बृजेन्द्रधर पिता छोटेधर मु. संतोषिया देवी वेवा छोटेधर
4.	297	0.002	हिन्दुधर गंगाधर यमुनाधर बृजेन्द्रधर पिता छोटेधर मु. संतोषिया देवी वेवा छोटेधर
5.	294	0.018	बद्री प्रसाद शिवशंकर पिता भुवनेश्वर राम
6.	293/1	0.034	बद्री प्रसाद शिवशंकर पिता भुवनेश्वर राम
7.	292	0.034	बद्री प्रसाद शिवशंकर पिता भुवनेश्वर राम
8.	293/2	0.004	राजेश्वर प्रसाद पिता सोमेश्वर प्रसाद
9.	273	0.004	श्रीमती कलावती उर्फ फूलकुमारी पत्नी बाकेलाल
10.	307	0.012	मु. सविता वेवा श्रीकान्त रवि रणधीर पिता श्रीकान्त
11.	311	0.022	मु. सविता वेवा श्रीकान्त रवि रणधीर पिता श्रीकान्त
12.	312	0.048	मु. सविता वेवा श्रीकान्त रवि रणधीर पिता श्रीकान्त
13.	306	0.046	राजेश्वर प्रसाद बृजेन्द्र प्रसाद राजकुमार रमेश महेश पिता सोमेश्वर प्रसाद
14.	324	0.004	रामप्रताप पिता रामसुन्दर मु. रघुराजवती वेवा रामऔतार राजेश्वर प्रसाद पिता रामऔतार 1/2 शिवप्रसाद राममिलाप बालकृष्ण हंशरजुआ पिता यदुवंश मु. कुन्ती वेवा यदुवंशराम 1/2
15.	325	0.015	श्रीकान्त कृष्णकान्त अम्बुज प्रसाद पिता इन्द्रकमल रामशिरोमणि रामाधार सुखसागर प्रसाद पिता लोकनाथ राम
16.	326	0.052	राममूर्ति व्यंकटेश्वर शिवमूर्ति विनायक वशिष्टमुनि विवेक कुमार पिता धर्मध्वजा
17.	330	0.045	राममूर्ति पुत्र धर्मध्वजाराम 1/12 व्यंकटेश्वर पुत्र धर्मध्वजाराम 1/6 शिवमूर्ति पुत्र धर्मध्वजाराम 1/6 विनायक पुत्र धर्मध्वजाराम 1/6 वशिष्टमुनि पुत्र धर्मध्वजाराम 1/6 विवेक कुमार पुत्र धर्मध्वजाराम 1/6 विनय कुमार विकास कुमार पुत्र राममूर्ति 1/12
18.	375	0.020	राममूर्ति पुत्र धर्मध्वजाराम 1/12 व्यंकटेश्वर पुत्र धर्मध्वजाराम 1/6 शिवमूर्ति पुत्र धर्मध्वजाराम 1/6 विनायक पुत्र धर्मध्वजाराम 1/6 वशिष्टमुनि पुत्र धर्मध्वजाराम 1/6 विवेक कुमार पुत्र धर्मध्वजाराम 1/6 विनय कुमार विकास कुमार पुत्र राममूर्ति 1/12
19.	327	0.016	शोमेश्वर प्रसाद पिता रघुनन्दन राम
20.	328	0.002	रामेश्वर प्रसाद सीताराम पिता समयलाल 1/2 लक्ष्मण प्रसाद पिता सत्यप्रसाद नीलकंठ पिता जगदीश प्रसाद 1/2
21.	361	0.036	अवनीश पिता नागेश्वर 1/2 नागेश्वर श्यामबिहारी कैलाश छटिलाल सत्यलाल रजनीश फुलकलिया छोटकिया पिता बैजनाथ मु. देवकली वेवा सुखन्द्र अरुणा

			सुभाष दिनेश जावेन्द्र पिता सुखचन्द्र 1/2 मु. छोहगरिया वेवा बैजनाथ
22.	360	0.028	शिवशंकर छोटे पिता बहोरी
23.	371	0.003	शिवनाथ पिता टहल भुजवा
24.	357	0.022	भाईलाल तीरथ प्रसाद पिता संकठा राम मु. कलावती पति बाकेलाल पुष्पराज सुरेन्द्र पिता बाकेलाल उर्मिला पति रोहिणी प्रसाद
25.	372	0.001	रघुनाथ पिता गोलर
26.	356/1	0.022	अरुणा पिता निदेश प्रसाद
27.	376	0.027	राममिलन चतुर्भुज दिवाकर प्रसाद प्रभाकर प्रसाद सुधाकर प्रसाद पिता गंगा राम
28.	390	0.014	मु. अतरदनिया वेवा बालमीक मदनमोहन पिता सीता प्रसाद रामसजीवन राजमणि सुदामा सविता पिता देवराज 1/2 अरुणा पिता दिनेश प्रसाद मनोरम पति नरेन्द्र प्रताप द्विवेदी 1/4 भानराम पिता मंगलराम 1/4
29.	389	0.120	अरुणा पिता दिनेश प्रसाद मनोरम पति नरेन्द्र प्रताप 1/4 उमेशराम उमाकान्त अमरनाथ पिता भानराम मु. श्यामकली वेवा रमाकान्त राधाकृष्ण सच्चिदानन्द सतीष पिता रमाकान्त मु. अतरदनिया वेवा बालमीक मदनमोहन पिता सीता प्रसाद रामसजीवन राजमणि सुदामा सविता पिता देवराज 1/2
30.	388	0.016	मनसूरत प्रसाद पिता लालेराम
Total	30 किता	0.735 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय बहरी में देखा जा सकता है।

क्र. 276-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| (क) जिला | - | सीधी |
| (ख) तहसील | - | बहरी |
| (ग) नगर/ग्राम | - | सरदा |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल | - | निजी रकवा 4.233 हे. |

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	1061	0.080	रंगदेव सिंह पिता मुण्डू सिंह 13/50 मु. सुशीलादेवी पति इन्द्राज सिंह 13/50 अशोक कुमार सिंह अवधेश कुमार सिंह राकेश कुमार सिंह मु. आशा सिंह वेवा लाला सिंह 12/50 रंगदेव सिंह 12/50
2.	1063	0.050	रंगदेव सिंह पिता मुण्डू सिंह 13/50 मु. सुशीलादेवी पति इन्द्राज सिंह 13/50 अशोक कुमार सिंह अवधेश कुमार सिंह राकेश कुमार सिंह मु. आशा सिंह वेवा लाला सिंह 12/50 रंगदेव सिंह 12/50
3.	1060/1	0.085	रामकुमार सिंह पिता तेजबहादुर सिंह
4.	1060/2		कामता सिंह पिता कृपाल सिंह
5.	1059	0.070	तेजबहादुर सिंह पिता मथुरा सिंह
6.	1052	0.002	तेजबहादुर सिंह पिता मथुरा सिंह
7.	1051	0.090	तेजबहादुर सिंह पिता मथुरा सिंह
8.	1068	0.140	मु. बुटन वेवा त्रिवेणी सिंह अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भागीरथी सिंह आनन्द बहादुर सिंह पिता त्रिवेणी सिंह
9.	1123	0.015	विद्या प्रसाद पिता वंशप्रताप राम
10.	1125	0.043	विद्या प्रसाद पिता वंशप्रताप राम
11.	1145	0.025	गरुणेश्वर प्रसाद पिता वंशप्रताप राम
12.	1124	0.026	राजमनि पुसनी विश्वुआ पिता महदेवना कोरी
13.	1143	0.020	राजमनि पुसनी विश्वुआ पिता महदेवना कोरी
14.	1144/1	0.045	रघुनाथ दास पिता मंगलराम 1/2
15.	1144/2		मु. रमा देवी वेवा रमाकान्त बिहारीलाल संतोष कुमार सरोज ममता अनीता सुधा पिता रमाकांत राम 1/2
16.	1157/1	0.029	रघुनाथ दास पिता मंगलराम 1/2
17.	1157/2		मु. रमा देवीवेवा रमाकान्त बिहारीलाल संतोष कुमार सरोज ममता अनीता सुधा पिता रमाकांत राम 1/2
18.	327	0.075	रामानुज पिता सालिकराम नागेन्द्र प्रसाद रामायण प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त रामाश्रय पिता विश्वनाथ 1/2 रामदेवराम पिता अभयराम 1/4 मु. धनवंती वेवा रामकरन राम उमांशकर पिता रामकरनराम 12/8 गेंदउआ वेवा रघुनाथ राम राजेश कुमार वंशमणि प्रसाद श्यामसुन्दर पिता रघुनाथ राम 1/8
19.	326	0.025	रामानुज पिता सालिकराम नागेन्द्र प्रसाद रामायण प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त रामाश्रय पिता विश्वनाथ 1/2 रामदेवराम पिता अभयराम 1/4 मु. धनवंती वेवा रामकरन राम उमांशकर पिता रामकरनराम 12/8 गेंदउआ वेवा रघुनाथ राम राजेश कुमार वंशमणि प्रसाद श्यामसुन्दर पिता रघुनाथ राम 1/8
20.	343	0.052	रामानुज पिता सालिकराम नागेन्द्र प्रसाद रामायण प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त रामाश्रय पिता विश्वनाथ 1/2 रामदेवराम पिता अभयराम 1/4 मु. धनवंती वेवा रामकरन राम उमांशकर पिता रामकरनराम 12/8 गेंदउआ वेवा रघुनाथ राम

			राजेश कुमार वंशमणि प्रसाद श्यामसुन्दर पिता रघुनाथ राम 1/8
21.	325/2	0.045	रामानुज पिता सालिकराम
22.	328/1	0.054	रामानुज पिता सालिकराम
23.	1053/1	0.031	राधो प्रताप सिंह पिता पदुमनाथ सिंह
24.	1054	0.194	राधो प्रताप सिंह पिता पदुमनाथ सिंह
25.	1056	0.057	बुद्धिमान सिंह हनुमान सिंह कृष्णप्रताप सिंह मोहन सिंह बृजलाल सिंह पिता राजपती सिंह मु. सुखमन्ती देवा राजपती सिंह मु. नन्हकी देवा हिन्छराज बृजेन्द्र सिंह पिता हिन्छराज सिंह
26.	1090/1	0.068	शिवदयाल पिता तिलकधारी कोरी
27.	1090/2		दीनदयाल पिता तिलकधारी कोरी
28.	1089	0.030	मनवहोर पिता तिलकधारी कोरी
29.	1088	0.032	मु. राधा देवा सुन्दर गनेश सुखदेव पिता सुन्दर संजय सुरेश नाबा.संर माता मु. राधा कोरी
30.	1093	0.008	मु. राधा देवा सुन्दर गनेश सुखदेव पिता सुन्दर संजय सुरेश नाबा.संर माता मु. राधा कोरी
31.	1087	0.013	
32.	1092/1	0.007	राजरूप पिता कुन्जल कोरी
33.	1128/1	0.010	लालमणि पिता इन्दल कोरी
34.	1085/1/1	0.058	पृथ्वीराज पिता हिरई कोरी
35.	1085/1/2		सूर्यदीन पिता हिरई कोरी
36.	1130	0.087	सुग्रीव पिता शिवनाथ सुभउआ पुत्री तुलुआ कोरी द्विजी पति महेश रामाधार रामसहाय श्रीमान पिता महेश गणेश समुदी बवनी पिता छोटकुआ कोरी गणेश पिता छोटकु
37.	1149	0.002	बिहारीलाल पिता रमाकान्त व संतोष कुमार पिता रमाकान्त नाबा. संर भाई बिहारीलाल पिता रमाकान्त तिवारी
38.	1154	0.051	बिहारीलाल पिता रमाकान्त व संतोष कुमार पिता रमाकान्त नाबा. संर भाई बिहारीलाल पिता रमाकान्त तिवारी
39.	1156	0.053	रमाकान्त पिता वंशप्रताप राम ब्रा.
40.	1155	0.052	वीरेन्द्र सिंह जीवेन्द्र सिंह पिता रंगनाथ सिंह
41.	1153	0.030	वीरेन्द्र सिंह जीवेन्द्र सिंह पिता रंगनाथ सिंह
42.	1152	0.051	वीरेन्द्र सिंह जीवेन्द्र सिंह पिता रंगनाथ सिंह
43.	1151	0.046	वीरेन्द्र सिंह जीवेन्द्र सिंह पिता रंगनाथ सिंह
44.	808/1/ख	0.004	गरुणेश्वर प्रसाद पिता वंशप्रताप ब्रा.
45.	808/2	0.070	प्रभाकर सिंह पिता जगदीश सिंह
46.	810/1	0.073	रमाशंकर पिता शिवनाथ बड़ई
47.	810/2		शिवशंकर पिता शिवनाथ बड़ई
48.	797/1	0.073	गिरजा पिता वंशी बारी
49.	796/1	0.040	सुखसागर पिता बैजनाथ
50.	796/2		विश्वनाथ पिता वंशी बारी
51.	775/1	0.085	दिवाकर पिता वंशी बारी
52.	772	0.078	शिवराज सिंह पिता जानकी सिंह
53.	470	0.079	महादेव पिता रघुनन्दन सिंह
54.	469	0.072	श्रीनिवास पिता रामलखन राम
55.	473/Min-1	0.001	संतोष कुमार कृष्ण कुमार पिता कमला प्रसाद मु. राजरानी देवा कमला प्रसाद
56.	474	0.130	शेर बहादुर सिंह पिता उदयरज सिंह
57.	458/Min-1	0.017	श्रीमती कुसुम सिंह पति महेश प्रताप सिंह
58.	456	0.180	रामपाल सिंह बीरबहादुर सिंह पिता अवधलाल सिंह शेरबहादुर सिंह राजबहादुर सिंह पिता रंगनाथ सिंह 5/6 मालती सिंह पुत्री धर्मजीत सिंह 1/6
59.	455	0.013	रामपाल सिंह बीरबहादुर सिंह पिता अवधलाल सिंह शेरबहादुर सिंह राजबहादुर सिंह पिता रंगनाथ सिंह 5/6 मालती सिंह पुत्री धर्मजीत सिंह 1/6
60.	454	0.018	रामपाल सिंह बीरबहादुर सिंह पिता अवधलाल सिंह शेरबहादुर सिंह राजबहादुर सिंह पिता रंगनाथ सिंह 5/6 मालती सिंह पुत्री धर्मजीत सिंह 1/6
61.	452	0.031	भैयालाल सिंह मोतीलाल सिंह पिता बलवीर सिंह रामपाल सिंह बीर बहादुर सिंह पिता अवधलाल सिंह शेरबहादुर सिंह पिता रंगनाथ सिंह
62.	254	0.019	अनिल कुमार सिंह पिता रामलाल सिंह
63.	257	0.132	अनिल कुमार सिंह पिता रामलाल सिंह
64.	260	0.053	रामपाल सिंह बीरबहादुर सिंह पिता अवधलाल सिंह शेरबहादुर सिंह राजबहादुर

			सिंह पिता रंगनाथ सिंह
65.	259	0.034	रामपाल सिंह बीरबहादुर सिंह पिता अवधलाल सिंह शेरबहादुर सिंह राजबहादुर सिंह पिता रंगनाथ सिंह
66.	267	0.071	रामपाल सिंह पिता अवधलाल सिंह
67.	268	0.022	रामपाल सिंह पिता अवधलाल सिंह शेरबहादुर सिंह राजबहादुर सिंह पिता रंगनाथ सिंह 2/3 वीरेन्द्र बहादुर सिंह पिता अवधलाल सिंह नाबा. पालक भाई रंगनाथ सिंह 1/3
68.	277/1	0.072	राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता शिरोमणि सिंह
69.	282	0.105	राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता शिरोमणि सिंह
70.	274	0.028	ददू सिंह पिता जानकी सिंह
71.	283	0.047	लाले सरिमन दुलारे शिवलाल पंचम मु. मनरजुआ पति ददई राजबहोर हिरोआ रजउआ बूटी पिता सुखदेव कोल
72.	284	0.010	लाले सरिमन दुलारे शिवलाल पंचम मु. मनरजुआ पति ददई राजबहोर हिरोआ रजउआ बूटी पिता सुखदेव कोल
73.	288/1	0.117	मु. रामचन्दी वेवा कालिका सिंह दलप्रताप रामप्रताप कृष्णप्रताप पिता कालिका सिंह
74.	315/Min-1	0.183	मनसूरत सिंह पिता रघुनन्दन सिंह
75.	349	0.054	श्रीमती राजकुमारी पत्नी वीरभान सिंह
76.	350/1	0.079	फणीन्द्र प्रताप सिंह अरुण कुमार सिंह अर्जुन सिंह मार्तण्ड प्रताप सिंह शिवराज सिंह ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह सुधा सिंह पिता अभयराज सिंह
77.	350/2		श्रीमती राजकुमारी पत्नी वीरभान सिंह
78.	353/1	0.147	फणीन्द्र प्रताप सिंह अरुण कुमार सिंह अर्जुन सिंह मार्तण्ड प्रताप सिंह शिवराज सिंह ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह सुधा सिंह पिता अभयराज सिंह
79.	367/Min-1	0.009	रन्धोर सिंह रघुनन्दन सिंह
80.	363/1	0.014	शिवनाथ पिता ददन प्रजापति
81.	364/1	0.055	शिवनाथ पिता ददन प्रजापति
82.	362/1	0.167	रविराज सिंह पिता रघुनन्दन सिंह
Total	82 कित्ता	4.233 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 7 की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय बहरी में देखा जा सकता है।

क्र. 278-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - पथरौही
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.617 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	462/1	0.008	समयलाल रामकरन रामखेलावन पिता राजमन
2	462/2		राजबहोर पिता साधू काछी
3	441	0.075	राजबहोर पिता साधू काछी
4	460	0.040	मु. कलावती वेवा भगवानदास ईश्वरदीन, लक्ष्मण प्रेमलाल श्यामलाल पिता भगवानदास कुशवाहा हनुमानदास बाबूलाल पिता भैरो 3/4 मु. कलावती वेवा भगवानदास ईश्वरदीन, लक्ष्मण प्रेमलाल श्यामलाल पिता भगवानदास कुशवाहा हनुमानदास बाबूलाल बबनी ददनी कल्लू पिता भैरो काछी 1/4
5	459	0.010	मु. कलावती वेवा भगवानदास ईश्वरदीन, लक्ष्मण प्रेमलाल श्यामलाल पिता भगवानदास कुशवाहा हनुमानदास बाबूलाल पिता भैरो 3/4 मु. कलावती वेवा भगवानदास ईश्वरदीन, लक्ष्मण प्रेमलाल श्यामलाल पिता भगवानदास कुशवाहा हनुमानदास बाबूलाल बबनी ददनी कल्लू पिता भैरो काछी 1/4
6	461/1	0.031	उदयराज पिता बृजभान काछी
7	461/2		चन्द्रलाल पिता बृजभान काछी
8	461/3		समयलाल रामकरन रामखेलावन पिता राजमन काछी
9	461/4		राजबहोर पिता साधू काछी
10	461/5		मु. फूलकली पति ललई अरविन्द सुनीता पिता ललई काछी
11	440/2	0.390	जयलाल छोटेलाल अभयराज सत्यराज हरीलाल गुजरतिया पिता वंशपति मु. लल्ली वेवा द्वारिका, रामकिशोर संगीता पिता द्वारिका काजल आंचल अमृता पिता यज्ञनारायण कुशवाहा सुखलाल गणेश बबुई उर्फ चन्द्रवती पिता शिवरतन काछी हिन्छलाल पिता झलर काछी
12	249	0.013	शिवपाल पिता प्रहलाद साहू
13	251	0.010	राजेन्द्र बबू रामविराजे पिता छोटे साहू
14	250/1	0.020	राजेन्द्र बबू रामविराजे पिता छोटे साहू
15	250/2	0.020	शिवपाल पिता प्रहलाद साहू
	15 कित्ता	0.617 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -- बहरी मुख्य नहर की गाइनर नम्बर 0 की रावगाइनर नहर के निर्माण हेतु।
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्र. 286-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) नगर/ग्राम	-	पटेहरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल	-	निजी रकवा 0.312 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	191	0.045	मु. विमलेश कुमारी वेवा शत्रुघन सिंह जीवेन्द्र कुमार सिंह जैवेन्द्र कुमार सिंह पिता शत्रुघन सिंह भारत सिंह तुलसी कुमारी पिता इन्द्राज सिंह मु. सुशीला वेवा इन्द्राज सिंह
2.	188	0.132	रविराज सिंह बृजराज सिंह नारायण सिंह माने सिंह शीला सिंह गुड्डी सिंह पिता रंगदेव सिंह मु. मोतीराजू वेवा रंगदेव सिंह
3.	189/1	0.022	रविराज सिंह बृजराज सिंह नारायण सिंह माने सिंह शीला सिंह गुड्डी सिंह पिता रंगदेव सिंह मु. मोतीराजू वेवा रंगदेव सिंह
4.	185	0.045	तेजबहादुर सिंह पिता मथुरा सिंह चौहान
5.	186	0.006	तेजबहादुर सिंह पिता मथुरा सिंह चौहान
6.	182	0.062	तेजबहादुर सिंह पिता मथुरा सिंह चौहान
Total	6 कित्ता	0.312 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 7 की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के रकवे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय बहरी में देखा जा सकता है।

क्र. 282-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) नगर/ग्राम	-	पुजौही
(घ) लगभग क्षेत्रफल	-	निजी रकबा 0.868 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	294	0.015	मु. श्यामकली वेवा गंगा सिंह भईयालाल सिंह सवाई लाल सिंह अभिराजू संखनी राज कुमारी मिथिलेश पिता गंगा 1/2 बुद्धिमान सिंह अवधलाल सिंह लाल बहादुर सिंह पिता सम्पति 1/2
2	293	0.170	मु. श्यामकली वेवा गंगा सिंह भईयालाल सिंह सवाई लाल सिंह अभिराजू संखनी राज कुमारी मिथिलेश पिता गंगा 1/2 बुद्धिमान सिंह अवधलाल सिंह लाल बहादुर सिंह पिता सम्पति 1/2
3	304/1	0.014	नन्दलाल पिता रामनाथ काछी
4	304/2		मु. सावित्री वेवा सुखलाल राजकुमार सीमा पिता सुखलाल
5	291	0.078	मु. रजनी वेवा ददुल्ले बाबूलाल रामाधार रामकिशोर लल्लू चन्द्रवती सियावती ममता पिता ददुल्ले काछी 1/4 मुन्डेल पिता जगन्नाथ चन्द्रकलिया छोटिया पिता जगन्नाथ 1/2 मु.चमेलिया वेवा श्रीमान रामभिलाष बाबूलाल मुन्नी हिंगुली गुलबिया निरसिया पिता श्रीमान 1/4
6	305	0.120	उमाशंकर पिता हरिप्रसाद 33/203 बाबूलाल कृष्णावतार पिता हरप्रसाद 157/203 चन्द्रवती वेवा चन्द्रमणि रामकान्त शिवाकान्त पिता चन्द्रमणि 13/203
7	288	0.120	मोतीलाल पिता तीरथ प्रसाद 1/3 अधीश प्रसाद पिता त्रिवेणीराम 2/9 श्रीमती समुद्री देवी पत्नी मोतीलाल 1/9 श्रीमती लोलरिया पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 1/3
8	296	0.060	मोतीलाल पिता तीरथ प्रसाद 1/3 अधीश प्रसाद पिता त्रिवेणीराम 2/9 श्रीमती समुद्री देवी पत्नी मोतीलाल 1/9 श्रीमती लोलरिया पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 1/3
9	278	0.003	मु. कुसुम वेवा वंशपती कृपाशंकर पिता वंशपती 1/4 गिरधारी राम पिता गुलाब राम 1/8 श्रीमती समुद्री देवी पत्नी मोतीलाल 13/72 मोतीलाल पिता तीरथ 1/6 अधीश प्रसाद पिता त्रिवेणी राम 1/9 लोलरिया पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 1/6
10	281	0.090	मु. कुसुम वेवा वंशपती कृपाशंकर पिता वंशपती 1/4 गिरधारी राम पिता गुलाब राम 1/8 श्रीमती समुद्री देवी पत्नी मोतीलाल 13/72 मोतीलाल पिता तीरथ 1/6 अधीश प्रसाद पिता त्रिवेणी राम 1/9 लोलरिया पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 1/6
11	279	0.073	मु. कुसुम वेवा वंशपती कृपाशंकर पिता वंशपती 1/4 गिरधारी राम पिता गुलाब राम 1/8 श्रीमती समुद्री देवी पत्नी मोतीलाल 13/72 मोतीलाल पिता तीरथ 1/6 अधीश प्रसाद पिता त्रिवेणी राम 1/9 लोलरिया पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 1/6
12	266	0.030	मु. कुसुम वेवा वंशपती कृपाशंकर पिता वंशपती 1/4 गिरधारी राम पिता गुलाब राम 1/8 श्रीमती समुद्री देवी पत्नी मोतीलाल 1/8 मोतीलाल पिता तीरथ 1/6 अधीश प्रसाद पिता त्रिवेणी राम 1/9 लोलरिया पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 1/6
13	267	0.095	मु. कुसुम वेवा वंशपती कृपाशंकर पिता वंशपती 1/4 गिरधारी राम पिता गुलाब राम 1/8 श्रीमती समुद्री देवी पत्नी मोतीलाल 1/8 मोतीलाल पिता तीरथ 1/6 अधीश प्रसाद पिता त्रिवेणी राम 1/9 लोलरिया पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 1/6
	13 किता	0.868 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्र. 284-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - लौआ
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकबा 1.359 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	959	0.003	मिथिलेश राजेश बूजेश पिता भरतलाल नागेश्वर अशोक कुमार प्रेमवती करुणावती सावित्री सविता ममता माता सियावती वेवा वंशजीवन प्रसाद
2.	956	0.015	मिथिलेश राजेश बूजेश पिता भरतलाल नागेश्वर अशोक कुमार प्रेमवती करुणावती सावित्री सविता ममता माता सियावती वेवा वंशजीवन प्रसाद
3.	957	0.094	रामतेज रामसुख रामप्रसाद पिता रामलल्लूराम
4.	955/1	0.016	विष्णु रंजन कीर्ति रंजन चितरंजन पिता नागेश्वर मिश्रा
5.	955/2	0.018	श्रीमती शिवकुमारी पति नागेश्वर प्रसाद विष्णुरंजन, कीर्तिरंजन, चितरंजन पिता नागेश्वर मिश्रा नागेश्वर पिता वंशबहादुरराम
6.	929	0.010	भैरो प्रसाद पिता नाथूराम ब्रा.
7.	928/1/1	0.010	सुनील कुमार अनिल कुमार पिता हीरालाल बानी
8.	928/1/2	0.045	मनोज कुमार मृत्युंजय कुमार पिता अयोध्या प्रसाद दुवेदी
9.	928/2	0.018	मनोज कुमार मृत्युंजय कुमार पिता अयोध्या प्रसाद दुवेदी
10.	927/1	0.004	सुनील कुमार अनिल कुमार पिता हीरालाल बानी
11.	868	0.001	मु. बड़काई वेवा ददोल कोमलचन्द्र दीपचन्द्र सुभाषचन्द्र पिता ददोल बानी
12.	926	0.001	मु. रमरजिया वेवा रामचन्द्र शान्ती देवी सकुचिया मुहेदिया धनेशिया शर्मिला पिता रामचन्द्र ब्रा.
13.	923	0.012	मु. रमरजिया वेवा रामचन्द्र शान्ती देवी सकुचिया मुहेदिया धनेशिया शर्मिला पिता रामचन्द्र ब्रा.
14.	869	0.010	राजबहोर पिता रघुवंश राम ब्रा.
15.	924	0.032	राजबहोर पिता रघुवंश राम ब्रा.
16.	871	0.046	शिवकुमार ऋषिकुमार गिरीश कुमार पिता ताराराम ब्रा.
17.	925	0.034	शिवकुमार ऋषिकुमार गिरीश कुमार पिता ताराराम ब्रा.
18.	873	0.074	विश्वनाथ पिता झक्के दशौधी
19.	872	0.039	मणिराज पिता झक्के दशौधी
20.	897	0.064	मणिराज पिता झक्के दशौधी
21.	899	0.013	मणिराज पिता झक्के दशौधी
22.	889	0.041	मु. चन्दा वेवा कृपाशंकर शरद पिता कृपाशंकर दयाशंकर अमित कुमार पिता नकछेदी मु. इन्द्रावती वेवा नकछेदी दशौधी
23.	875	0.006	मु. चन्दा वेवा कृपाशंकर शरद पिता कृपाशंकर दयाशंकर अमित कुमार पिता नकछेदी मु. इन्द्रावती वेवा नकछेदी दशौधी
24.	888	0.050	मु. चन्दा वेवा कृपाशंकर शरद पिता कृपाशंकर दयाशंकर अमित कुमार पिता नकछेदी मु. इन्द्रावती वेवा नकछेदी दशौधी
25.	883	0.003	मु. चन्दा वेवा कृपाशंकर शरद पिता कृपाशंकर दयाशंकर अमित कुमार पिता नकछेदी मु. इन्द्रावती वेवा नकछेदी दशौधी

26.	886	0.054	बुद्धिमान दुर्गा सोनिया मुनिया पिता रामस्वरूप 1/2 मु. रामकली वेवा धर्मराज सुदामा प्रसाद सुखेन्द्र प्रसाद बृजेन्द्र प्रसाद राघवेन्द्र प्रसाद पिता धर्मराज मु. सुषमा वेवा सुखसागर प्रसाद प्रकाश कुमार धीरेश पिता सुखसागर प्रसाद मु. तिरथुआ वेवा तिलकराम मु. सकोचिया देवी पति हनुमान राम आदित्य प्रसाद सुखदेव भान्जा मूलचन्द पिता हनुमान राम ब्रा. 1/2
27.	887	0.008	बुद्धिमान दुर्गा सोनिया मुनिया पिता रामस्वरूप 1/2 मु. रामकली वेवा धर्मराज सुदामा प्रसाद सुखेन्द्र प्रसाद बृजेन्द्र प्रसाद राघवेन्द्र प्रसाद पिता धर्मराज मु. सुषमा वेवा सुखसागर प्रसाद प्रकाश कुमार धीरेश पिता सुखसागर प्रसाद मु. तिरथुआ वेवा तिलकराम
28.	885	0.001	रामकुमार राजेन्द्र पिता हिन्छलाल मु. कलावती वेवा श्यामलाल प्रमोद विनोद पिता श्यामलाल राम ब्रा.
29.	894	0.066	मु. उत्तराजू पत्नी धुरन्धर प्रसाद रामनारायण राधेश्याम बलदाऊ प्रसाद सन्तोष कुमार श्रवण कुमार कौशल प्रसाद पिता धुरन्धर प्रसाद जगदम्बा पिता गयाराम मु. लखेश्वरी देवी छोटाराम अशोक कुमार राम भुवन सतेन्द्र प्रसाद शिवेन्द्र पिता छोटाराम
30.	1245	0.017	भुवनेश्वर पिता लालमणि दशोधी
31.	1264	0.045	कपिलराम केमलाराम श्रीपति पिता त्रिवेणी राम मु. अनुसुइया वेवा मोतीलाल प्रमोद परमानन्द सच्चितानन्द पिता मोतीलाल ब्रा.
32.	1269	0.020	कपिलराम केमलाराम श्रीपति पिता त्रिवेणी राम मु. अनुसुइया वेवा मोतीलाल प्रमोद परमानन्द सच्चितानन्द पिता मोतीलाल ब्रा.
33.	1265	0.002	श्रीकान्त कृष्णकान्त अम्बुज प्रसाद पिता इन्द्रकमल रामसिरोमणि रामाधार सुखसागर प्रसाद पिता लोकनाथ
34.	1263	0.025	विजय कुमार विकाश कुमार पिता राममूर्ति 1/6 ब्यंकटेश्वर प्रसाद शिवमूर्ति विनायक वशिष्टमुनि विवके कुमार पिता धर्मद्वजा राम वशिष्टमुनि विवके राम ना.ब.सं. पिता धर्मद्वजा राम ब्रा.
35.	1270	0.014	मु. सविता वेवा श्रीकान्त रबी रणधीर पिता श्रीकांत रमाकान्त शिवाकान्त पिता रामेश्वर प्रसाद ब्रा.
36.	1260/1	0.039	रामेश्वर प्रसाद पिता समयलाल ब्रा.
37.	1260/2	0.040	सुखनन्दन हीरामणि रामखेलामन पिता कुरकर भुजवा
38.	1259/2	0.016	मु. फुलबसुआ पति तीरथ इन्द्रजीत इन्द्रपाल पिता तीरथ भुजवा
39.	1258/1	0.001	छोहन पिता देवान भुजवा
40.	1250	0.084	मनबहोर दददी मोहन पिता अनन्दवा 1/2 भागीरथी पिता मनबहोर 1/2
41.	685	0.012	मनबहोर दददी मोहन पिता अनन्दवा 1/2 भागीरथी पिता मनबहोर 1/2
42.	1251	0.034	हीरादास गोविन्ददास भगवानदास पिता बसन्त 1/4 रामसहाय गुन्जेश्वरी मूलचन्द पिता रामकरन 1/4 शिवकुमार पिता हिन्छलाल 1/2
43.	684	0.128	हीरादास गोविन्ददास भगवानदास पिता बसन्त 1/4 रामसहाय गुन्जेश्वरी मूलचन्द पिता रामकरन 1/4 शिवकुमार पिता हिन्छलाल 1/2
44.	927/2	0.042	सुनील कुमार पिता हीरालाल नाबा.सं. माता राजकुमारी
45.	1244/1	0.050	रामवती पति रामस्वरूप
Total	45 किता	1.359 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है, वह सभी मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन के प्रयोजन के लिये बहरी नहरों को देखा जा सकता है।

क्र. 286-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

" अनुसूची "

1- भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) नगर/ग्राम	-	डडिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल	-	निजी रकवा 1.638 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	1366	0.014	गणेश प्रसाद पिता मनोकामना राम
2.	1387	0.015	गणेश प्रसाद पिता मनोकामना राम
3.	1367	0.052	मु. मधुरी वेवा मनबहोर कन्हैयालाल राधेश्याम तनय मनबहोर मु. परानू पति हिन्छा सन्तोष पिता हिन्छा भलुआ रामलाल जग्यलाल गोरेलाल पिता सिपहिया गनपति मुरली पिता मनरथा सखुआ वेवा जोखई श्यामलाल पिता जोखई बुधिया तनय जनारथा मु सितवा वेवा रामखेलावन अजय पिता रामखेलावन कोल वंशी मंगल रामाधीन तनय मुडिया
4.	1373	0.013	मु. मधुरी वेवा मनबहोर कन्हैयालाल राधेश्याम तनय मनबहोर मु. परानू पति हिन्छा सन्तोष पिता हिन्छा भलुआ रामलाल जग्यलाल गोरेलाल पिता सिपहिया गनपति मुरली पिता मनरथा सखुआ वेवा जोखई श्यामलाल पिता जोखई बुधिया तनय जनारथा मु सितवा वेवा रामखेलावन अजय पिता रामखेलावन कोल वंशी मंगल रामाधीन तनय मुडिया
5.	1374	0.002	मु. मधुरी वेवा मनबहोर कन्हैयालाल राधेश्याम तनय मनबहोर मु. परानू पति हिन्छा सन्तोष पिता हिन्छा भलुआ रामलाल जग्यलाल गोरेलाल पिता सिपहिया गनपति मुरली पिता मनरथा सखुआ वेवा जोखई श्यामलाल पिता जोखई बुधिया तनय जनारथा मु सितवा वेवा रामखेलावन अजय पिता रामखेलावन कोल वंशी मंगल रामाधीन तनय मुडिया
6.	1371	0.019	लक्ष्मीकुमार पिता शोभनाथ
7.	1372	0.030	वशपती ददनराम पिता जगन्नाथ राम 2/3 मु.सुखरजुआ वेवा रामपदारथ अम्बिका राजेश्वरी पिता रामपदारथ मु. श्यामदेवी वेवा रामप्रगास अखिलेश पिता रामप्रगास पन्नालाल पिता मनबहोर 1/3
8.	1057	0.005	वशपती ददनराम पिता जगन्नाथ राम 2/3 मु.सुखरजुआ वेवा रामपदारथ अम्बिका राजेश्वरी पिता रामपदारथ मु. श्यामदेवी वेवा रामप्रगास अखिलेश पिता रामप्रगास पन्नालाल पिता मनबहोर 1/3
9.	1390	0.001	रविशंकर ददोल छोटेलाल पिता कपसा मु. साहगिया वेवा ललईया जग्यभान शोभनाथ प्रेमलाल सवाईलाल तनय ललईया कोल
10.	1389	0.042	पन्नालाल पिता मनबहोर 1/3 मु.सुखरजुआ वेवा रामपदारथ अम्बिका राजेश्वरी पिता रामपदारथ 1/3 मु. वेवा मु. श्यामदेवी वेवा रामप्रगास अखिलेश पिता रामप्रगास
11.	1388	0.025	वंशी मंगलवा राममणि तनय मुडिया वेवा मुडिया 1/3 मुरली रामपति तनय मनोरथ सखुआ वेवा जोखई श्यामलाल 1/3 बुधिया तनय जनारथ मु. सितवा वेवा खेलावन अजय पिता खेलावन कोल 1/3
12.	1391	0.001	रामेश्वर पिता बबोल 2/5 महावीर विश्वनाथ पिता छोटकऊ 2/5 शिवबालक पिता वंशपती 1/5

Dhara-19

13.	1384	0.012	राजमणि उर्फ राजमन पिता वंशपति तेली
14.	1385	0.048	मु. शंखी वेवा रामकृपाल रामदास रामदयाल मोहन छोटेलाल तनय रामकृपाल कलेक्टर पिता कुंजमणि राम
15.	1462	0.001	रामानुज रामकरन तनय रामकृष्ण ब्रा.
16.	1472	0.019	रामानुज रामकरन तनय रामकृष्ण ब्रा.
17.	1471	0.010	रामानुज रामकरन तनय रामकृष्ण ब्रा.
18.	1461	0.017	हिन्दूपति राम पिता श्रीधर राम ब्रा.
19.	1460	0.006	ठाकुरदीन छोटेलाल पिता भदक सुकवरिया वेवा भदक भलुआ कैलाश लक्षिमन पिता बेलानी तेली रूपउआ वेवा बेलानी
20.	1479	0.026	ददना तनय मोलइया
21.	1489	0.027	ददना तनय मोलइया
22.	1490	0.008	ददना तनय मोलइया
23.	1480	0.015	रामनाथ पिता बुधिया 1/2 जगरनिया वेवा कुम्भकरण बृजेश तनय कुम्भकरण 1/2
24.	1488	0.005	ददना तनय मोलइया रामनाथ पिता बुधिया मु. जगरनिया वेवा कुम्भकरण बृजेश कुमार पिता कुम्भकरण मोतीलाल बैजनाथ तनय फक्कड
25.	1137	0.007	मु. सुखरजुआ वेवा सुखरामदास रामेश्वर रामा पिता सुखराम दास बलराम रामाधार शिवमोहन आदित्य पिता उदयभान ब्रा.
26.	1138	0.004	मु. सुखरजुआ वेवा सुखरामदास रामेश्वर रामा पिता सुखराम दास बलराम रामाधार शिवमोहन आदित्य पिता उदयभान ब्रा.
27.	1139	0.005	मु. सुखरजुआ वेवा सुखरामदास रामेश्वर रामा पिता सुखराम दास बलराम रामाधार शिवमोहन आदित्य पिता उदयभान ब्रा.
28.	1136	0.072	कन्हैया लाल राजेश्वरी प्रसाद बैकुण्ठ प्रसाद पिता शेषमणि 1/3 राधिका उजागिर तनय जग्यसेन ब्रा.
29.	1133/2	0.009	श्रीमती उर्मिला पत्नी शिवमोहन प्रसाद
30.	1141	0.047	हरिनारायण राजकुमार विजय कुमार रमेश पिता वंशबहादुर राम ब्रा.
31.	1142	0.038	दुधनाथ नवलकिशोर लालजी पिता शोमेश्वर प्रसाद मु. दुआसिया वेवा शोमेश्वर प्रसाद ब्रा.
32.	1030	0.012	दुधनाथ नवलकिशोर लालजी पिता शोमेश्वर प्रसाद मु. दुआसिया वेवा शोमेश्वर प्रसाद ब्रा.
33.	1148	0.001	वंशपती पिता जगदीश तेली
34.	1147	0.081	बुटलवा देवी पुत्री ददनराम 1/8 हीरालाल तनय ललकराम 3/8 मु. बृजेन्द्र प्रसाद विमल प्रसाद धर्मेन्द्र कुमार पिता बच्चूलाल 1/2
35.	1149	0.001	बृजेन्द्र प्रसाद विमल प्रसाद धर्मेन्द्र कुमार पिता बच्चूलाल ब्रा.
36.	876	0.055	सूर्यकली वेवा दूलम प्रसाद बृजेश प्रसाद पिता दूलम प्रसाद मनपूरन प्रसाद तनय जगदेव 1/2 बालमुकुन्द रामनरेश रामदयाल पिता शिवप्रसाद, शिवप्रसाद पिता रामऔतार मु. जलेबिया पत्नी प्रहलाद राजेन्द्र पिता प्रहलाद छोटेलाल तनय रामऔतार 1/2
37.	877	0.003	गोकुल प्रसाद सुरेश रमेश पिता रामचन्द्र मु. पंचवती पति त्रिशूलधारी शिवपूजन राहुल पिता त्रिशूलधारी मु. मिथिलावती पति दददा प्रमोद पिता दददा ब्रा.
38.	878/1	0.026	मु. फुट्टी वेवा छोहन रइया पैसनी कौशल मुन्ना वृहस्पति पिता छोहन
39.	878/2	0.034	जमुना पिता साधू तेली
40.	1038/2	0.003	जमुना पिता साधू तेली
41.	922	0.014	मोतीलाल समयलाल रामलाल तनय रामावतार साहू
42.	918/1	0.033	मोतीलाल समयलाल रामलाल तनय रामावतार साहू
43.	918/2	0.014	गीता साहू पति सरजो साहू 1/3 कन्हैया लाल दीक्षित पिता शेषमणि राम दीक्षित 2/3
44.	879	0.022	शोभनाथ पिता वंशपती तेली
45.	921	0.005	सत्यलाल लक्षिमन रामयज्ञ रामकरन रामसिया तनय कालू
46.	915	0.037	सत्यलाल लक्षिमन रामयज्ञ रामकरन रामसिया तनय कालू
47.	938	0.005	सत्यलाल लक्षिमन रामयज्ञ रामकरन रामसिया तनय कालू
48.	1049	0.002	सत्यलाल लक्षिमन रामयज्ञ रामकरन रामसिया तनय कालू
49.	919	0.003	रामसिया तनय कालू
50.	939	0.003	रामसिया तनय कालू

51.	936	0.017	रामसिया तनय कालू
52.	932	0.047	लक्ष्मिन सत्यलाल रामसिया रामजस रामकरन राजमन सत्यभान पिता कालू रामदेव छोटेलाल शिवलाल पिता जयकरन 1/2 सत्यलाल पिता कालू 1/12 रघुवंश यदुवंश पिता हरिहर हरभूषण तनय सुबरन 1/12 मु. इन्दवती वेवा लल्ला राम अनिल पिता लल्ला राम अलगू तनय हरिवंश छविराजू पत्नी रामप्रताप छोटेलाल जग्यलाल बुद्धसेन सुरेश पिता रामप्रताप 3/24 गप्पू चूणामनि पिता लखपति 3/24
53.	935	0.028	लक्ष्मिन सत्यलाल रामसिया रामजस रामकरन राजमन सत्यभान पिता कालू रामदेव छोटेलाल शिवलाल पिता जयकरन 1/2 सत्यलाल पिता कालू 1/12 रघुवंश यदुवंश पिता हरिहर हरभूषण तनय सुबरन 1/12 मु. इन्दवती वेवा लल्ला राम अनिल पिता लल्ला राम अलगू तनय हरिवंश छविराजू पत्नी रामप्रताप छोटेलाल जग्यलाल बुद्धसेन सुरेश पिता रामप्रताप 3/24 गप्पू चूणामनि पिता लखपति 3/24
54.	941	0.001	सत्यलाल रामयश तनय कालू
55.	941/2135	0.004	रामलाल लालमणि भोंदू
56.	940	0.003	लक्ष्मिन सत्यलाल रामसिया रामयस रामकरन तनय कल्लू 1/2 गोमती पति रामसुमेर विनय पिता रामसुमेर रामसनेही तनय रघुवर 1/2
57.	1059	0.014	फूलकुमारी पति राममिलन लखेश्वरी पिता राममिलन हीरालाल तनय सिद्धी राम सुरेन्द्र तनय सुखदेव रामकरन तनय रामेश्वर साहू 2/3 अयोध्या तनय सुखदेव साहू 1/3
58.	1058	0.027	फूलकुमारी पति राममिलन लखेश्वरी पिता राममिलन हीरालाल तनय सिद्धी राम सुरेन्द्र तनय सुखदेव रामकरन तनय रामेश्वर साहू 2/3 अयोध्या तनय सुखदेव साहू 1/3
59.	1060	0.001	गोविन्द राजकुमार राजबहोर पिता अजनी राम ब्रा.
60.	1066/2	0.024	काशी प्रसाद शुभकान्त लक्ष्मीकान्त प्रसाद तनय अवधराम मु. प्रेमवती वेवा रमाकान्त लवप्रसाद कुश प्रसाद पुष्पेन्द्र अम्बिकेश अजयकुमार अटल प्रसाद पिता रमाकान्त ब्रा.
61.	1055	0.028	राहुल पिता त्रिशूलधारी दीक्षित
62.	1054	0.032	रामनाथ पिता बुद्धी 1/2 मु. जगरनिया वेवा कुम्भकरण बृजेश पिता कुम्भकरण 1/2
63.	1053	0.003	मु. छविराजू वेवा रामप्रताप छोटेलाल जग्यलाल बुद्धसेन सुरेश पिता रामप्रताप मु. इन्दवती वेवा लल्ला अनिल पिता लल्ला रामसरजो प्रसाद शिवप्रसाद रामाश्रय तनय अलगूराम 1/3 लल्ला तनय हरिवंश 1/2 गप्पू तनय लखपती 1/6
64.	1051	0.061	राजेन्द्र प्रसाद पिता रामप्रताप 1/3 देवेन्द्र कुमार पिता रामप्रताप 1/3 फूलकली वेवा रामप्रताप ब्रा. 1/3
65.	1050/2127	0.016	सुखलाल पिता कालू साहू
66.	1040	0.007	जमुना पिता साधू 1/2 मु. फुट्टी वेवा छोहन रइया पैसनी कौशल मुन्ना बृहस्पति पिता छोहन 1/12 अयोध्या तेली गंगा जमुना पिता परदेशी 1/6 बद्री बुद्धसेन बन्धु पिता मोतीलाल 1/6 हिन्चा विश्वनाथ तनय छोटकउना श्रीमती फूलकली पति केशव प्रसाद 4/15 रामलाल पिता महावीर 1/15
67.	1029	0.017	नर्वदेश्वर दीक्षित पिता रामभिलाष दीक्षित ब्रा.
68.	1026	0.001	मु. गंगी वेवा हीरामणि रुद्रशंकर रविशंकर पिता हीरामणि राम ब्रा.
69.	1025	0.051	मु. गंगी वेवा हीरामणि रुद्रशंकर रविशंकर पिता हीरामणि राम ब्रा.
70.	1024	0.033	प्रेमलाल श्यामलाल लल्लू उमाकांत राजेश्वरी सतीश तनय त्रिशूलधारी राम 1/2 हरीनारायन राजकुमार विजय कुमार रमेश कुमार पिता वंश बहादुर 1/4 दूधनाथ नवल किशोर ललाजी पिता शोमेश्वर मु.दुअसिया पति शोमेश्वर 1/4
71.	1018/1	0.014	प्रेमलाल श्यामलाल लल्लू उमाकांत राजेश्वरी सतीश तनय त्रिशूलधारी राम 1/2 हरीनारायन राजकुमार विजय कुमार रमेश कुमार पिता वंश बहादुर 1/4 दूधनाथ नवल किशोर ललाजी पिता शोमेश्वर मु.दुअसिया पति शोमेश्वर 1/4
72.	1018/2		सत्यनारायण दीक्षित पिता रामभिलाष दीक्षित ब्रा.
73.	1020	0.017	राजेन्द्र प्रसाद रोहित प्रसाद पिता गोरेलाल मु. दुअसिया वेवा छोटेलाल सतीष लाला पिता छोटेलाल लल्ला राम बुद्धसेन भाईलाल पिता केदारराम
74.	1021	0.014	राजेन्द्र प्रसाद रोहित प्रसाद पिता गोरेलाल मु. दुअसिया वेवा छोटेलाल

			सतीष लाला पिता छोटेलाल लल्ला राम बुद्धसेन भाईलाल पिता केदारराम
75.	1009	0.033	राजेन्द्र प्रसाद रोहित प्रसाद पिता गोरेलाल मु. दुअसिया वेवा छोटेलाल सतीष लाला पिता छोटेलाल लल्ला राम बुद्धसेन भाईलाल पिता केदारराम
76.	974	0.001	प्रेमलाल श्यामलाल लल्लू उमाकांत राजेश्वरी सतीश तनय त्रिशूलधारी राम
77.	976	0.001	राकेश कुमार अनिल कुमार धमेन्द्र कुमार तनय प्रदुमन प्रसाद ब्रा.
78.	1008	0.048	ददन प्रवीण तनय शिवप्रसाद मु. सितउआ पत्नी शिवप्रसाद हि. 1/2 मुन्नीलाल तनय कालू राम 1/2
79.	1011	0.003	ददन प्रवीण तनय शिवप्रसाद मु. सितउआ पत्नी शिवप्रसाद हि. 1/2 मुन्नीलाल तनय कालू राम 1/2
80.	1012	0.023	ददन प्रवीण तनय शिवप्रसाद मु. सितउआ पत्नी शिवप्रसाद हि. 1/2 मुन्नीलाल तनय कालू राम 1/2
81.	1007	0.015	पुनीत कुमार पिता रघुनाथ प्रसाद ब्रा.
82.	1006	0.056	महेन्द्र कुमार पिता रघुनाथ प्रसाद ब्रा.
83.	1005	0.049	जनार्दन प्रसाद पिता रघुनाथ प्रसाद ब्रा.
Total	83 किता	1.638 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय बहरी में देखा जा सकता है।

क्र. 288-भू-अर्जन-2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| (क) जिला | - | सीधी |
| (ख) तहसील | - | बहरी |
| (ग) नगर/ग्राम | - | अमरपुर |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल | - | निजी रकबा 2.187 हे. |

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	1106	0.180	मु. कमला सिंह वेवा बाल्मीक सिंह भागवत सिंह अनिल कुमार सिंह पिता बाल्मीक सिंह
2	1105	0.122	मु. कमला सिंह वेवा बाल्मीक सिंह भागवत सिंह अनिल कुमार सिंह पिता बाल्मीक सिंह
3	873	0.006	ददोल सिंह सुदामा सिंह तेजबली सिंह पिता वंशबहोरन सिंह दानबहादुर सिंह सनत सिंह सत्य प्रसाद सिंह पिता अमरजीत सिंह जगकारनलाल रामलल्लू श्रीभान अशोक केशकली कुंदकली पिता ललन सिंह मु. रामपती वेवा मणिराज सिंह दिवाकर प्रभाकर जयप्रकाश रविराज धीरेन्द्र साधना पिता मणिराज सिंह 5/6 प्रेमलाल सिंह पिता सनत सिंह 1/6
4	877	0.050	शिवनाथ सिंह अयोध्या सिंह पिता शम्भूलाल सिंह मु. धर्मराजू वेवा शम्भूलाल सिंह 1/2 जोखूलाल सिंह पिता धर्मराज सिंह 1/2
5	878	0.035	शिवनाथ सिंह अयोध्या सिंह पिता शम्भूलाल सिंह मु. धर्मराजू वेवा शम्भूलाल सिंह 1/2 जोखूलाल सिंह पिता धर्मराज सिंह 1/2
6	887	0.045	शिवनाथ सिंह अयोध्या सिंह पिता शम्भूलाल सिंह मु. धर्मराजू वेवा शम्भूलाल सिंह 1/2 जोखूलाल सिंह पिता धर्मराज सिंह 1/2
7	880	0.004	शिवनाथ सिंह अयोध्या सिंह पिता शम्भूलाल सिंह मु. धर्मराजू वेवा शम्भूलाल सिंह 1/2 जोखूलाल सिंह पिता धर्मराज सिंह 1/2
8	879	0.034	शिवनाथ सिंह अयोध्या सिंह पिता शम्भूलाल सिंह मु. धर्मराजू वेवा शम्भूलाल सिंह 1/2 जोखूलाल सिंह पिता धर्मराज सिंह 1/2
9	1127	0.065	बैजुआ पिता दुलारे 1/4 बुद्धसेन पिता रनवा मु. अभिलखुआ वेवा रनमा 1/4 सनत सिंह हीरालाल सिंह पिता हरपाल सिंह 1/2
10	1128	0.045	बैजुआ पिता दुलारे 1/4 बुद्धसेन पिता रनवा मु. अभिलखुआ वेवा रनमा 1/4 सनत सिंह हीरालाल सिंह पिता हरपाल सिंह 1/2
11	646	0.020	रघुनाथ सिंह पिता विश्राम सिंह बाबूलाल सिंह पिता नोखेलाल सिंह अवधलाल सिंह पिता विश्राम सिंह 1/4 प्रभुनाथ सिंह तीर्थराज सिंह अमरबहादुर सिंह बृजभान सिंह सूर्यभान सिंह सत्यभान सिंह पिता जगजाहिर सिंह मु. रामपियारी वेवा जगजाहिर सिंह जगजीवन अजेन्ट सिंह पिता कुन्जी सिंह लालजी पिता रावेन्द्र सिंह मु. वेवा रावेन्द्र सिंह 1/4 नरहर सिंह सहदूल सिंह पिता रंजीत सिंह 1/8 मु. फूलकुमारी वेवा महावीर सिंह भगीरथ सिंह बुधमान सिंह कमलेश्वर सिंह पिता महावीर सिंह मु. मुलिया सिंह वेवा अंजनी कुमार सिंह रमेश पिता अंजनी मु. बुटन वेवा शिवबहोर सिंह वृहस्पति सिंह दददा सिंह साहबलाल सिंह पिता शिवबहोर सिंह उद्धव सिंह पिता कामता सिंह 1/4 इनाम सिंह रामनाथ सिंह पिता जयराम सिंह 1/8
12	920	0.070	रघुनाथ सिंह पिता विश्राम सिंह बाबूलाल सिंह पिता नोखेलाल सिंह अवधलाल सिंह पिता विश्राम सिंह 1/4 प्रभुनाथ सिंह तीर्थराज सिंह अमरबहादुर सिंह बृजभान सिंह सूर्यभान सिंह सत्यभान सिंह पिता जगजाहिर सिंह मु. रामपियारी वेवा जगजाहिर सिंह जगजीवन अजेन्ट सिंह पिता कुन्जी सिंह लालजी पिता रावेन्द्र सिंह मु. वेवा रावेन्द्र सिंह 1/4 नरहर सिंह सहदूल सिंह पिता रंजीत सिंह 1/8 मु. फूलकुमारी वेवा महावीर सिंह भगीरथ सिंह बुधमान सिंह कमलेश्वर सिंह पिता महावीर सिंह मु. मुलिया सिंह वेवा अंजनी कुमार सिंह रमेश पिता अंजनी मु. बुटन वेवा शिवबहोर सिंह वृहस्पति सिंह दददा सिंह साहबलाल सिंह पिता शिवबहोर सिंह उद्धव सिंह पिता कामता सिंह 1/4 इनाम सिंह रामनाथ सिंह पिता जयराम सिंह 1/8
13	913	0.100	रघुनाथ सिंह पिता विश्राम सिंह बाबूलाल सिंह पिता नोखेलाल सिंह अवधलाल सिंह पिता विश्राम सिंह 1/4 प्रभुनाथ सिंह तीर्थराज सिंह अमरबहादुर सिंह बृजभान सिंह सूर्यभान सिंह

21	906	0.026	उद्धव सिंह पिता कामता सिंह 1/4 इनाम सिंह रामनाथ सिंह पिता जयराम सिंह 1/8 रघुनाथ सिंह पिता विश्राम सिंह बाबूलाल सिंह पिता नोखेलाल सिंह अवधलाल सिंह पिता विश्राम सिंह 1/4 प्रभुनाथ सिंह तीर्थराज सिंह अमरबहादुर सिंह बृजभान सिंह सूर्यभान सिंह सत्यभान सिंह पिता जगजाहिर सिंह मु. रामपियारी वेवा जगजाहिर सिंह जगजीवन अजेन्ट सिंह पिता कुन्जी सिंह लालजी पिता रावेन्द्र सिंह मु. वेवा रावेन्द्र सिंह 1/4 नरहर सिंह सहदूल सिंह पिता रंजीत सिंह 1/8 मु. फूलकुमारी वेवा महावीर सिंह भगीरथ सिंह बुधमान सिंह कमलेश्वर सिंह पिता महावीर सिंह मु. मुलिया सिंह वेवा अंजनी कुमार सिंह रमेश पिता अंजनी मु. बुटन वेवा शिवबहोर सिंह वृहस्पति सिंह दददा सिंह साहबलाल सिंह पिता शिवबहोर सिंह उद्धव सिंह पिता कामता सिंह 1/4 इनाम सिंह रामनाथ सिंह पिता जयराम सिंह 1/8
22	406	0.015	श्रीमती ववनी देवी पति रामदेव कोटवार
23	407	0.022	श्रीमती ववनी देवी पति रामदेव कोटवार
24	409	0.050	मु. चमेलिया वेवा श्रीभान रामभिलाष बाबूलाल मुन्नी हिंगुली गुलबिया निरसिया पिता श्रीभान मु. रजनी वेवा ददुल्ले बाबूलाल रामाधार रामकिशोर लल्लू चन्द्रवती सियावती ममता पिता ददुल्ले काछी 1/2 चन्द्रकली छोटिया पिता जगन्नाथ 1/4 मुनीम पिता जगन्नाथ 1/4
25	410	0.049	रघुनाथ पिता गप्पू भैना सुन्दरवा पिता जगाली गनेशिया वेवा छोटकईला सुन्दरजीत गोमती पिता छोटकईला 1/2 मु. गुजरतिया वेवा जगपति श्यामलाल संतलाल पिता जगपति पियारे ललवा भगवत रामगरीब पिता नोहर अभयराज सत्यराज पिता चिन्तामणि मु. बड़कू वेवा चिन्तामणि
26	413	0.001	रघुनाथ पिता गप्पू भैना सुन्दरवा पिता जगाली गनेशिया वेवा छोटकईला सुन्दरजीत गोमती पिता छोटकईला 1/2 मु. गुजरतिया वेवा जगपति श्यामलाल संतलाल पिता जगपति पियारे ललवा भगवत रामगरीब पिता नोहर अभयराज सत्यराज पिता चिन्तामणि मु. बड़कू वेवा चिन्तामणि
27	412	0.033	रघुनाथ पिता गप्पू भैना सुन्दरवा पिता जगाली गनेशिया वेवा छोटकईला सुन्दरजीत गोमती पिता छोटकईला 1/2 मु. गुजरतिया वेवा जगपति श्यामलाल संतलाल पिता जगपति पियारे ललवा भगवत रामगरीब पिता नोहर अभयराज सत्यराज पिता चिन्तामणि मु. बड़कू वेवा चिन्तामणि
28	509	0.116	मोतीलाल पिता बाबादीन काछी
29	516	0.002	भगवानदास हनुमान बाबूलाल पुत्र ववनी, ददनी कल्लू पुत्रिया भैरो पिता वंशरूप मोतीलाल सीताराम रामलखन पिता बाबा मु. धनराजू वेवा रामलल्लू सुनील सविता सोनिया पिता रामलल्लू काछी
30	519	0.092	केशव प्रताप सिंह विष्णुबहादुर सिंह समशेर बहादुर सिंह दिवाकर सिंह पिता सम्पूरन सिंह कमलभान सिंह पिता सम्पूरन सिंह ना.बा बली पालक गाँ मु. विमलादेवी पति सम्पूरन सिंह
31	528	0.028	मु. बेमली वेवा सम्पूरन सिंह केशव प्रताप सिंह विष्णुबहादुर सिंह समशेर बहादुर सिंह दिवाकर सिंह कमलभान सिंह पिता सम्पूरन सिंह 1/2 पदुमनाथ सिंह बाबूलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह 1/4 मु. मनरजुआ वेवा परिगन सिंह 1/4
32	527	0.048	मु. कैलाशकुमारी वेवा रंगदेव सिंह देवेन्द्र सिंह प्रकाश सिंह गीता सिंह अन्जू सिंह प्रियका आकांक्षा पिता सत्यसूदन सिंह मु. ज्ञानवती वेवा सत्यसूदन सिंह मंगलेश्वर सिंह कमलेश्वर सिंह पिता उदयराज सिंह राजा सिंह यदुनाथ सिंह भारथ सिंह पुत्र नयना पुत्री पिता रंगदेव सिंह लालबिहारी सिंह बृजबिहारी सिंह बुटटन सिंह पिता इन्द्रभान सिंह लालबिहारी सिंह बृजभान सिंह ना.पुत्र बुटटन पिता इन्द्रभान सिंह ना. सं. माता इन्द्रवासू देवी
33	526	0.043	मु. कैलाशकुमारी वेवा रंगदेव सिंह देवेन्द्र सिंह प्रकाश सिंह गीता सिंह अन्जू सिंह प्रियका आकांक्षा पिता सत्यसूदन सिंह मु. ज्ञानवती वेवा सत्यसूदन सिंह मंगलेश्वर सिंह कमलेश्वर सिंह पिता उदयराज सिंह राजा सिंह यदुनाथ सिंह भारथ सिंह पुत्र नयना पुत्री पिता रंगदेव सिंह लालबिहारी सिंह बृजबिहारी सिंह बुटटन सिंह पिता इन्द्रभान सिंह लालबिहारी सिंह बृजभान सिंह ना.पुत्र बुटटन पिता इन्द्रभान सिंह ना. सं. माता इन्द्रवासू देवी
34	523	0.016	मु. कैलाशकुमारी वेवा रंगदेव सिंह देवेन्द्र सिंह प्रकाश सिंह गीता सिंह अन्जू सिंह प्रियका आकांक्षा पिता सत्यसूदन सिंह मु. ज्ञानवती वेवा सत्यसूदन सिंह मंगलेश्वर सिंह कमलेश्वर सिंह पिता उदयराज सिंह राजा सिंह यदुनाथ सिंह भारथ सिंह पुत्र नयना पुत्री पिता रंगदेव सिंह लालबिहारी सिंह बृजबिहारी सिंह बुटटन सिंह पिता इन्द्रभान सिंह लालबिहारी सिंह बृजभान सिंह ना.पुत्र बुटटन पिता इन्द्रभान सिंह ना. सं. माता इन्द्रवासू देवी
35	524	0.017	वैनी पिता बलोरी
36	605	0.094	इन्द्रराज सिंह विजय बहादुर सिंह सुगऊ मुगऊ पिता पदुमनाथ सिंह बाबूलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह
37	611/1	0.123	भुवनेश्वर पिता शोभनाथ यादव
38	611/2		कैलाश पिता शोभनाथ यादव
39	644	0.092	विनीत सिंह दिलीप सिंह पिता सम्पति कुमार सिंह
40	900	0.046	मु. ललन कुमारी वेवा रामाश्रय विजय अशोक राकेश प्रदीप विवेक शांतन आदर्श किरण वंदना पिता रामाश्रय राम
41	897	0.055	कन्हई पिता छोटन भागवत चित्रसेन मुन्नालाल राममनोरथ गुजरतिया पिता रामकुमार कृष्णलाल कुशल शिवदयाल अमरजीत इन्द्रजीत पिता दधिबल 3/4 शंकर दुधई पिता अतिका 1/4

42	895	0.018	कन्हई पिता छोटन भागवत चित्रसेन मुन्नालाल राममनोरथ गुजरतिया पिता रामकुमार कृष्णलाल कुशल शिवदयाल अमरजीत इन्द्रजीत पिता दधिबल 3/4 शंकर लुधई पिता अतिका 1/4
43	898/1/1	0.005	कन्हई पिता छोटन भागवत चित्रसेन मुन्नालाल राममनोरथ गुजरतिया पिता रामकुमार कृष्णलाल कुशल शिवदयाल अमरजीत इन्द्रजीत पिता दधिबल 3/4 शंकर लुधई पिता अतिका 1/4
44	901	0.025	बाबूलाल पिता नोखेलाल सिंह
45	896	0.031	जोखूलाल सिंह पिता धर्मराज सिंह मु. धर्मराजू वेवा शंभू सिंह शिवनाथ सिंह अयोध्या प्रताप सिंह पिता शंभू सिंह
46	891	0.046	जोखूलाल सिंह पिता धर्मराज सिंह मु. धर्मराजू वेवा शंभू सिंह शिवनाथ सिंह अयोध्या प्रताप सिंह पिता शंभू सिंह
47	1126	0.049	जोखूलाल सिंह पिता धर्मराज सिंह मु. धर्मराजू वेवा शंभू सिंह शिवनाथ सिंह अयोध्या प्रताप सिंह पिता शंभू सिंह
48	886	0.021	जगन्नाथ होरिल वसुखरजुआ उदसिया दुआसिया पिता बेसखुआ 1/3 रामबहोर महादेव पिता झरियारी 1/3 हिरइया दुलरवा पिता जयराम 1/3
49	881	0.030	मु. गुजरजुआ वेवा चुनुंगा हिन्छलाल बाबूलाल बुद्धसेन सोनई रसिकलाल पिता चुनुंगा रामदास छोटे किशुन पिता प्रहलादी मु. गुजरतुआ वेवा प्रहलादी 1/3 लखपति पिता अर्जुन 1/6 कालिका पिता नन्दा देवकरन पिता नर्वदा भारत बाबूलाल ललई रामकरन पिता सुकाली छोटकिया सुकाली ददइया पिता नन्दा बसोर 1/2
50	882	0.001	मु. गुजरजुआ वेवा चुनुंगा हिन्छलाल बाबूलाल बुद्धसेन सोनई रसिकलाल पिता चुनुंगा रामदास छोटे किशुन पिता प्रहलादी मु. गुजरतुआ वेवा प्रहलादी 1/3 लखपति पिता अर्जुन 1/6 कालिका पिता नन्दा देवकरन पिता नर्वदा भारत बाबूलाल ललई रामकरन पिता सुकाली छोटकिया सुकाली ददइया पिता नन्दा बसोर 1/2
51	1100	0.004	रामलल्लू सिंह पिता ललन सिंह
52	1115/1	0.040	सहदूल सिंह पिता रंजीत सिंह
53	1115/2	0.040	जयपतिया पिता गंगा अहिर
54	1114	0.012	अमरबहादुर सिंह जगन्नाथ सिंह दसराजू बेलाकली राजकुमारी कुसुमकली पिता हाकिम सिंह
55	1116	0.019	मु. धर्मराजू वेवा शंभू सिंह शिवनाथ सिंह अयोध्या सिंह पिता शंभू सिंह
56	1113	0.008	मु. धर्मराजू वेवा शंभू सिंह शिवनाथ सिंह अयोध्या सिंह पिता शंभू सिंह
	56 कित्ता	2.187 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्र. 290-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) नगर/ग्राम	-	परवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल	-	निजी रकबा 0.362 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	286	0.089	रामेश्वर पिता भरोसा कुम्हार
2.	291	0.035	रामबहोर तीरथ प्रसाद पिता बालकरन 1/2 बालगोविन्द पिता जग्गधारी 2/35 वशिष्ठ पिता बालगोविन्द 31/70
3.	295	0.020	रामबहोर तीरथ प्रसाद पिता बालकरन 1/2 बालगोविन्द पिता जग्गधारी 2/35 वशिष्ठ पिता बालगोविन्द 31/70
4.	292	0.001	रामबहोर तीरथ प्रसाद पिता बालकरन 1/2 बालगोविन्द पिता जग्गधारी 2/35 वशिष्ठ पिता बालगोविन्द 31/70
5.	293	0.008	रामबहोर तीरथ प्रसाद पिता बालकरन 1/2 बालगोविन्द पिता जग्गधारी 2/35 वशिष्ठ पिता बालगोविन्द 31/70
6.	294	0.015	रामबहोर तीरथ प्रसाद पिता बालकरन 1/2 बालगोविन्द पिता जग्गधारी 2/35 वशिष्ठ पिता बालगोविन्द 31/70
7.	296	0.016	रामबहोर तीरथ प्रसाद पिता बालकरन 1/2 बालगोविन्द पिता जग्गधारी 2/35 वशिष्ठ पिता बालगोविन्द 31/70
8.	277	0.035	रामबहोर तीरथ प्रसाद पिता बालकरन 1/2 बालगोविन्द पिता जग्गधारी 2/35 वशिष्ठ पिता बालगोविन्द 31/70
9.	281	0.001	रामबहोर तीरथ प्रसाद पिता बालकरन 1/2 बालगोविन्द पिता जग्गधारी 2/35 वशिष्ठ पिता बालगोविन्द 31/70
10.	278	0.010	रामबहोर तीरथ प्रसाद पिता बालकरन 1/2 बालगोविन्द पिता जग्गधारी 2/35 वशिष्ठ पिता बालगोविन्द 31/70
11.	273	0.015	गुलर पिता गजाधर 1/3 टहल पिता भिम्मा शोभनाथ कल्लू पिता लगनधारी 1/3 शिवशंकर छोटे पिता बहोरी 1/3
12.	274	0.010	गुलर पिता गजाधर 1/3 टहल पिता भिम्मा शोभनाथ कल्लू पिता लगनधारी 1/3 शिवशंकर छोटे पिता बहोरी 1/3
13.	275	0.016	गुलर पिता गजाधर 1/3 टहल पिता भिम्मा शोभनाथ कल्लू पिता लगनधारी 1/3 शिवशंकर छोटे पिता बहोरी 1/3
14.	272	0.010	गुलर पिता गजाधर 1/3 टहल पिता भिम्मा शोभनाथ कल्लू पिता लगनधारी 1/3 शिवशंकर छोटे पिता बहोरी 1/3
15.	266	0.001	गुलर पिता गजाधर 1/3 टहल पिता भिम्मा शोभनाथ कल्लू पिता लगनधारी 1/3 शिवशंकर छोटे पिता बहोरी 1/3
16.	255	0.001	गुलर पिता गजाधर 1/3 टहल पिता भिम्मा शोभनाथ कल्लू पिता लगनधारी 1/3 शिवशंकर छोटे पिता बहोरी 1/3
17.	268	0.012	हरिनाथ पिता टहल भुजवा
18.	246	0.048	शिवप्रसाद गिरिजा पिता रामचन्द्र 1/2 नगेन्द्रमणि राम राज धर्मराज सारिष्ठ प्रसाद पिता रामभरोसा राम 1/2
19.	222	0.019	तुलसीधर सुधावती बुधनी पिता भोलाधर मु. गौरजिया वेवा बुधई विद्याधर अलुरधर आरती विमला पिता चन्दिका ना. पालक मा. कुसुमकली, कुसुमकली वेवा चन्दिका प्रसाद ब्रा.
Total	19 किता	0.362 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय बहरी में देखा जा सकता है।

क्र. 292-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वांणत भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - लौआ
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 2.041 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम	
1	2	3	4	
1.	612/2	0.070	मु. इन्द्रबसुआ वेवा छोटेराम ज्योतिषी कुमार सुभम पिता छोटेराम 1/2 मु. लोलरिया पति गंगाराम इन्द्रबिहारी कुन्जबिहारी सूर्यबिहारी अरुण कुमार उमेश कुमार पिता गंगाराम 1/2	
2.	391/1	0.027	मु. इन्द्रबसुआ वेवा छोटेराम ज्योतिषी कुमार सुभम पिता छोटेराम 3/4 सविता पति श्रीकान्त तिवारी 1/4	
3.	391/2	0.027	मु. लोलरिया वेवा गंगाराम 1/6 इन्द्रबिहारी पुत्र गंगाराम 1/6 कुन्जबिहारी पुत्र गंगाराम 1/6 सूर्यबिहारी पुत्र गंगाराम 1/6 अरुण कुमार पुत्र गंगाराम 1/6 उमेश कुमार पुत्र गंगाराम 1/6	
4.	345/1	0.042	बैजनाथ गिरीश कुमार पिता शम्भू राम ब्रा.	
5.	361	0.016	बैजनाथ गिरीश कुमार पिता शम्भू राम ब्रा.	
6.	367	0.002	बैजनाथ गिरीश कुमार पिता शम्भू राम ब्रा.	
7.	344/1/1	0.176	शिवकुमार पिता ताराराम ब्रा.	
8.	344/3/1		शिवकुमार पिता ताराराम ब्रा.	
9.	344/1/2		ऋषि कुमार पिता तारा राम ब्रा.	
10.	344/3/2		ऋषि कुमार पिता तारा राम ब्रा.	
11.	344/1/3		गिरीश कुमार पिता ताराराम ब्रा.	
12.	344/3/3		गिरीश कुमार पिता ताराराम ब्रा.	
13.	344/2/1		मु. सत्यवती वेवा भैरव सुब्रत सुयज्ञ पिता भैरव	
14.	344/4/1		मु. सत्यवती वेवा भैरव सुब्रत सुयज्ञ पिता भैरव	
15.	344/2/2		शिवशंकर पिता नाथूराम	
16.	344/4/2		शिवशंकर पिता नाथूराम	
17.	344/2/3		शिवकान्त पिता नाथूराम	
18.	344/4/3		शिवकान्त पिता नाथूराम	
19.	347/1		0.034	शान्ती देवी पत्नी शुभलायक प्रसाद तिवारी
20.	347/2		0.020	पदमाकर प्रसाद पिता निहटेराम
21.	347/3/1		0.020	हेमलता पत्नी संजय द्विवेदी
22.	347/3/2		0.020	शिवकुमार पिता चतुर्भुज राम
23.	610/1/1		0.009	शिवकुमार पिता ताराराम ब्रा.
24.	610/1/2		0.008	ऋषिकुमार पिता ताराराम ब्रा.
25.	610/1/3	0.008	गिरीश कुमार पिता ताराराम ब्रा.	
26.	610/2/1	0.008	मु. सत्यवती वेवा भैरव सुब्रत सुयज्ञ पिता भैरव	
27.	610/2/2	0.008	शिवशंकर पिता नाथूराम	
28.	610/2/3	0.008	शिवकान्त पिता नाथूराम	
29.	608	0.030	ददनराम पिता भगवत राम मु. भगौतिया पति रामभिलाष दीनानाथ राजेन्द्र पिता	

			रामभिलाष 1/2 रामतेज ऋषिकेश रामप्रभाव पिता रामदयाल मु. छोहगरिया वेवा रामदयाल 1/2
30.	609	0.035	ददनराम पिता भगवत राम मु. भगौतिया पति रामभिलाष दीनानाथ राजेन्द्र पिता रामभिलाष 1/2 रामतेज ऋषिकेश रामप्रभाव पिता रामदयाल मु. छोहगरिया वेवा रामदयाल 1/2
31.	607	0.059	ददनराम पिता भगवत राम मु. भगौतिया पति रामभिलाष दीनानाथ राजेन्द्र पिता रामभिलाष 1/2 रामतेज ऋषिकेश रामप्रभाव पिता रामदयाल मु. छोहगरिया वेवा रामदयाल 1/2
32.	356	0.031	ददनराम पिता भगवत राम मु. भगौतिया पति रामभिलाष दीनानाथ राजेन्द्र पिता रामभिलाष 1/2 रामतेज ऋषिकेश रामप्रभाव पिता रामदयाल मु. छोहगरिया वेवा रामदयाल 1/2
33.	357	0.023	ददनराम पिता भगवत राम मु. भगौतिया पति रामभिलाष दीनानाथ राजेन्द्र पिता रामभिलाष 1/2 रामतेज ऋषिकेश रामप्रभाव पिता रामदयाल मु. छोहगरिया वेवा रामदयाल 1/2
34.	358	0.016	ददनराम पिता भगवत राम मु. भगौतिया पति रामभिलाष दीनानाथ राजेन्द्र पिता रामभिलाष 1/2 रामतेज ऋषिकेश रामप्रभाव पिता रामदयाल मु. छोहगरिया वेवा रामदयाल 1/2
35.	346	0.010	मु. उत्तराजू पत्नी धुरन्धर प्रसाद रामनारायण राधेश्याम बलदाऊ प्रसाद संतोष कुमार श्रवण कुमार कौशल प्रसाद पिता धुरन्धर प्रसाद जगदम्बा पिता गयाराम मु. लखेश्वरी देवी छोटेराम अशोक कुमार रामभुवन सतेन्द्र प्रसाद शिवेन्द्र पिता छोटेराम
36.	542	0.088	मु. उत्तराजू पत्नी धुरन्धर प्रसाद रामनारायण राधेश्याम बलदाऊ प्रसाद संतोष कुमार श्रवण कुमार कौशल प्रसाद पिता धुरन्धर प्रसाद जगदम्बा पिता गयाराम मु. लखेश्वरी देवी छोटेराम अशोक कुमार रामभुवन सतेन्द्र प्रसाद शिवेन्द्र पिता छोटेराम
37.	348/1	0.005	दिगनलाल पिता छटिलाल बानी
38.	604	0.043	श्रीकमल पिता द्वारिका प्रसाद तिवारी 1/4 तीरथ प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद तिवारी 1/4 तारा प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद 1/4 मधू वेवा घनश्याम प्रसाद तिवारी प्रमोद कुमार पिता घनश्याम प्रसाद तिवारी 1/4
39.	603	0.055	श्रीकमल पिता द्वारिका प्रसाद तिवारी 1/4 तीरथ प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद तिवारी 1/4 तारा प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद 1/4 मधू वेवा घनश्याम प्रसाद तिवारी प्रमोद कुमार पिता घनश्याम प्रसाद तिवारी 1/4
40.	546	0.077	श्रीकमल पिता द्वारिका प्रसाद तिवारी 1/4 तीरथ प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद तिवारी 1/4 तारा प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद 1/4 मधू वेवा घनश्याम प्रसाद तिवारी प्रमोद कुमार पिता घनश्याम प्रसाद तिवारी 1/4
41.	532	0.042	श्रीकमल पिता द्वारिका प्रसाद तिवारी 1/4 तीरथ प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद तिवारी 1/4 तारा प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद 1/4 मधू वेवा घनश्याम प्रसाद तिवारी प्रमोद कुमार पिता घनश्याम प्रसाद तिवारी 1/4
42.	602	0.086	श्रीकमल पिता द्वारिका प्रसाद तिवारी 1/4 तीरथ प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद तिवारी 1/4 तारा प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद 1/4 मधू वेवा घनश्याम प्रसाद तिवारी प्रमोद कुमार पिता घनश्याम प्रसाद तिवारी 1/4
43.	544	0.051	श्रीकमल तीर्थ प्रसाद तारा प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद प्रमोद कुमार पिता घनश्याम प्रसाद मु. वेवा घनश्याम प्रसाद
44.	533	0.042	पवन कुमार पिता श्रीकमलचन्द्र कुमार पिता तीर्थ प्रसाद प्रमोद कुमार पिता घनश्याम प्रसाद ब्रा.
45.	359	0.030	तारा प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद ब्रा.
46.	360	0.005	वंशरूप सवाईलाल शोभा पिता दूलम मु. ऐतवरिया वेवा सोनई रामभुवन वंशलाल पिता सोनई भुजवा
47.	363	0.005	गोविन्द पिता अगनू भुजवा
48.	375/1	0.022	गोविन्द पिता अगनू भुजवा
49.	366/1	0.001	हिन्दूपति रामशरण शिरमनिया तेरसिया छोहगरिया जैमुनिया सुभउआ सोहवतिया पिता दुर्गा भुजवा
50.	371	0.031	हिन्दूपति रामशरण शिरमनिया तेरसिया छोहगरिया जैमुनिया सुभउआ सोहवतिया पिता दुर्गा भुजवा
51.	373	0.019	हिन्दूपति रामशरण शिरमनिया तेरसिया छोहगरिया जैमुनिया सुभउआ सोहवतिया पिता दुर्गा भुजवा
52.	362	0.020	राजेश पिता काशी प्रसाद गुप्ता
53.	368	0.001	बुद्धिमान दुर्गा सोनिया मुनिया पिता रामस्वरूप 1/2 मु. रामकली वेवा धर्मराज सुदामा प्रसाद सुखेन्द्र प्रसाद बृजेन्द्र प्रसाद राधेन्द्र प्रसाद पिता धर्मराज मु. सुषमा वेवा सूर्यसागर प्रसाद प्रकाश कुमार धीरेश पिता सुषसागर प्रसाद मु.

			तिरथुआ वेवा तिलकराम मु. सकोचिया देवी पति हनुमान राम आदित्य प्रसाद सुखदेव भान्जा मूलचन्द पिता हनुमानराम ब्रा. 1/2
54.	378	0.019	संतोष कुमार पिता शास्त्री प्रसाद ब्रा.
55.	379	0.016	वागीश प्रसाद जगदीश प्रसाद पिता शिवप्रसाद मु. सकुन्तला वेवा गिरजा प्रसाद बृजेन्द्र प्रसाद गौरीशंकर अन्नपूर्णा प्रसाद अमरनाथ पिता गिरिजा प्रसाद 1/2 नागेन्द्रमणि धरमराज शास्त्री प्रसाद पिता रामभरोषा त्रयंबक प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद पिता रामराज 1/2
56.	390	0.062	अंतरदनिया वेवा बालमीक मदनमोहन पिता सीताप्रसाद रामसजीवन राजमणि सुदामा सविता पिता देवराज
57.	275	0.003	अंतरदनिया वेवा बालमीक मदनमोहन पिता सीताप्रसाद रामसजीवन राजमणि सुदामा सविता पिता देवराज
58.	263	0.021	अंतरदनिया वेवा बालमीक मदनमोहन पिता सीताप्रसाद रामसजीवन राजमणि सुदामा सविता पिता देवराज
59.	393	0.002	रामजी लालजी सन्दीप पिता वंशपती मु. कलीवती पत्नी वंशपती 1/2 छटिलाल प्रसाद पिता रामखेलावन 1/2
60.	394	0.010	रामजी लालजी सन्दीप पिता वंशपती मु. कलीवती पत्नी वंशपती 1/2 छटिलाल प्रसाद पिता रामखेलावन 1/2
61.	396	0.054	बाबूलाल लालमणि सुखलाल छोटेलाल लक्षिमन पिता गम्भीरे मनगिरिया पति गम्भीरे कोल
62.	307	0.077	शिवमूरत प्रसाद पिता धर्मध्वजाराम ब्रा.
63.	308	0.125	रामजस रामनिहोर पिता जगदीश मु. बूटी वेवा जगदीश कुम्हार
64.	309	0.030	विनय कुमार विकास कुमार पिता राममूर्ति 1/6 व्यंकटेश्वर प्रसाद शिवमूर्ति विनायक वशिष्ठमुनि विवेक कुमार पिता धर्मध्वजा राम
65.	286	0.032	विनय कुमार विकास कुमार पिता राममूर्ति 1/6 व्यंकटेश्वर प्रसाद शिवमूर्ति विनायक वशिष्ठमुनि विवेक कुमार पिता धर्मध्वजा राम
66.	289	0.011	श्रीकान्त कृष्णकान्त अम्बुज प्रसाद पिता इन्द्रकमल रामशिरोमणि रामाधार सुखसागर प्रसाद पिता लोकनाथ
67.	288	0.033	कपिलराम केमलाराम श्रीपति पिता त्रिवेणी राम मु. अनुसुइया वेवा मोतीलाल प्रमोद परमानन्द सच्चितानन्द पिता मोतीलाल ब्रा.
68.	287	0.041	विमल कुमार पवन कुमारअरुण कुमार पिता कन्हैयालाल
69.	278	0.030	शिवशंकर छोटे पिता बहोरी मु. जियनी पति बहोरी भुजवा
70.	277	0.028	सुन्दरवसुआ पत्नी बंदी प्रसाद शिवशंकर प्रसाद प्रेमलाल राजबहोर पिता भुवनेश्वर राम
71.	276/1	0.027	श्रीमती देवकली पति मनसूरति प्रसाद
72.	274	0.028	वागीश प्रसाद जगदीश प्रसाद पिता शिवप्रसाद
73.	273	0.018	शोभनाथ कल्लुपिता लगनधारी भुजवा
74.	269/1	0.017	रघुनाथ पिता गोलर भुजवा
75.	269/2	0.006	छोहन पिता देवान
76.	269/3	0.018	राममिलन चतुर्भुज दिवाकर प्रसाद सुधाकर प्रसाद प्रभाकर प्रसाद पिता गंगाराम
77.	268/3	0.003	राममिलन चतुर्भुज दिवाकर प्रसाद सुधाकर प्रसाद प्रभाकर प्रसाद पिता गंगाराम
Total	77 किता	2.041 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है बहोरी मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कामनाम नहर में देखा जा सकता है।

क्र. 294-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) नगर/ग्राम	-	मयापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल	-	निजी रकवा 0.259 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	22/1	0.025	राम रामतेज रामसुख रामप्रसाद पिता रामलल्लूराम ब्रा.
2.	121	0.016	राम रामतेज रामसुख रामप्रसाद पिता रामलल्लूराम ब्रा.
3.	26/1	0.014	गिरीश कुमार पिता ताराराम ब्रा.
4.	27	0.032	भाईलाल पिता वंशगोपाल मु. कलावती देवा भोला प्रदीप विनोद पिता भोला भुवनेश्वर सोमेश्वर राजेन्द्र पिता यदुवंशराम 2/3 चन्द्रपाल पिता छोटेलाल 1/3
5.	123	0.030	भाईलाल पिता वंशगोपाल मु. कलावती देवा भोला प्रदीप विनोद पिता भोला भुवनेश्वर सोमेश्वर राजेन्द्र पिता यदुवंशराम 2/3 चन्द्रपाल पिता छोटेलाल 1/3
6.	125	0.006	भाईलाल पिता वंशगोपाल मु. कलावती देवा भोला प्रदीप विनोद पिता भोला भुवनेश्वर सोमेश्वर राजेन्द्र पिता यदुवंशराम 2/3 चन्द्रपाल पिता छोटेलाल 1/3
7.	26/721	0.010	मोतीलाल पिता कमलेश्वर प्रसाद ब्रा.
8.	122/1/1	0.008	ऋषि कुमार पिता ताराराम ब्रा.
9.	122/1/2		शिवकुमार पिता ताराराम ब्रा.
10.	122/1/3		गिरीश कुमार पिता ताराराम ब्रा.
11.	124	0.018	शिवकुमार पिता ताराराम ब्रा.
12.	26/2	0.006	शिवकुमार पिता ताराराम ब्रा.
13.	21	0.026	कमलनाथ बिहारीलाल पिता ललनराम मु. देवा ललनराम
14.	29	0.024	पद्मनाथ पिता कमलेश्वर
15.	30	0.044	रामतेज, रामसुख रामप्रसाद पिता रामलल्लू राम
Total	15 किता	0.259 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय बहरी में देखा जा सकता है।

क्र. 296-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) नगर/ग्राम	-	डढ़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल	-	निजी रकबा 1.203 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	1276	0.008	गोकुल प्रसाद सुरेश रमेश पिता रामचन्द्र मु. पंचवती पति त्रिशूलधारी शिवपूजन राहुल पिता त्रिशूलधारी मु. मिथिलावती पति दददा प्रमोद पिता दददा
2.	1279	0.030	गोकुल प्रसाद सुरेश रमेश पिता रामचन्द्र मु. पंचवती पति त्रिशूलधारी शिवपूजन राहुल पिता त्रिशूलधारी मु. मिथिलावती पति दददा प्रमोद पिता दददा
3.	1277	0.023	रामवती वेवा जगदीश राम शिवप्रसाद शिवकुमार गौरीशंकर पिता जगदीश राम मु. रामवती वेवा बाबूलाल कमलेश्वर पिता बाबूलाल रमेश प्रसाद तनय कमलेश्वर प्रसाद रघुवंश यदुवंश पिता हरिहर राम 1/4 मु. इन्द्रवती वेवा लल्ला अनिल पिता लल्ला अलगू तनय हरिवंशराम छविराजू पति रामप्रताप छोटेलाल जग्यलाल बुद्धसेन सुरेश पिता रामप्रताप 1/6 गप्पूराम चूडामनि तनय लखपतीराम 1/12 गोमती पति रामसुमेर विनय कुमार पिता रामसुमेर सुखमन्ती पति रामपियारे रमाशंकर उमाशंकर मोतीलाल रामफुलेल पिता रामपियारे कुसमी पति रामसनेही बब्बू लल्लू इन्द्रशरण राजेश रमेश दिनेश पिता रामसनेही मुन्नी पति छोटेलाल तुलसी मुनिमहेश तनय भोला रमवसिया वेवा भोला 1/4 गोविन्द प्रसाद राजकुमार राजबहोर पिता अंजनी 1/4
4.	1278	0.003	मु. सुखमन्ती वेवा रामपियारे रमाशंकर उमाशंकर मोतीलाल रामफुलेल तनय रामपियारे 1/4 रामसुमेर पिता रघुवर 1/4 मु. कुसमी वेवा रामसनेही बब्बू लल्लू इन्द्रशरण राजेश रमेश दिनेश तनय रामसनेही 1/4 मुन्नी वेवा छोटेलाल तुलसी मुनिमहेश पिता भोला राम मु. रमवसिया वेवा भोला राम 1/4
5.	1288	0.045	गोविन्द राजकुमार राजबहोर पिता अंजनीराम
6.	1285	0.018	सुखपति तनय रामगरीब राम
7.	1287	0.028	गणेश प्रसाद पिता मनकामना राम
8.	1331	0.024	गणेश प्रसाद पिता मनकामना राम
9.	1366	0.035	गणेश प्रसाद पिता मनकामना राम
10.	1328	0.002	गणेश प्रसाद पिता मनकामना राम
11.	1333/2	0.022	गणेश प्रसाद पिता मनकामना राम
12.	1588/2	0.024	रामकरण पिता रामेश्वर साहू
13.	1286	0.022	रामानुज रामकरण तनय रामकृष्ण
14.	1334	0.006	मु. शंखी वेवा रामकृपाल रामदास रामदयाल मोहन छोटेलाल तनय रामकृपाल कलेक्टर पिता कुंजमणि राम
15.	1333/1	0.026	कैलशिया पति महावीर अशोक कुमार रामकुमार सन्तोष कुमार नवीन

			कुमार पिता दलवीर प्रसाद
16.	1329/1	0.020	सुरेन्द्र प्रसाद सुरेश प्रसाद रोहिणी प्रसाद पिता रघुनाथ राम
17.	1330/1	0.012	सुरेन्द्र प्रसाद सुरेश प्रसाद रोहिणी प्रसाद पिता रघुनाथ राम
18.	1367	0.044	मु. मधुसूरी वेवा मनबहोर कन्हैयालाल राधेश्याम तनय मनबहोर मु. परानू पति हिन्डा सन्तोष पिता हिन्डा भलुआ रामलाल जग्यलाल गोरेलाल पिता सिपहिया गनपति मुरली पिता मनरथा सखुआ वेवा जोखई श्यामलाल पिता जोखई बुधिया तनय जनार्था मु. सितवा वेवा रामखेलावन अजय पिता रामखेलावन वंशी मंगल रामाधीन तनय मुडिया
19.	1368	0.030	रामलौटन रामबहोर तनय नागेश्वर प्रसाद
20.	1369	0.033	लक्ष्मीकुमार पिता शोभनाथ
21.	1394	0.053	बुटलवादेवी पुत्री ददनराम 1/8 हीरालाल तनय ललऊराम 3/8 मु. बृजेन्द्र प्रसाद विमल प्रसाद धर्मेन्द्र कुमार पिता बच्चूलाल 1/2
22.	1395	0.014	बुटलवादेवी पुत्री ददनराम 1/8 हीरालाल तनय ललऊराम 3/8 मु. बृजेन्द्र प्रसाद विमल प्रसाद धर्मेन्द्र कुमार पिता बच्चूलाल 1/2
23.	1393	0.049	रामेश्वर पिता बबोल 2/5 महावीर विश्वनाथ पिता छोटकऊ 2/5 शिवबालक पिता वंशपती 1/5
24.	1396	0.023	रामेश्वर पिता बबोल 2/5 महावीर विश्वनाथ पिता छोटकऊ 2/5 शिवबालक पिता वंशपती 1/5
25.	1446	0.059	मु. सुन्दरी वेवा वंशपती राजमणि शिवपाल ललई शोभनाथ तनय वंशपती
26.	1444	0.001	मु. सुन्दरी वेवा वंशपती राजमणि शिवपाल ललई शोभनाथ तनय वंशपती
27.	1447	0.044	राजेन्द्र प्रसाद रोहित प्रसाद पिता गोरेलाल मु. दु. असिया वेवा छोटलाल सतीष लाला पिता छोटलाल लल्लाराम बुद्धसेन भाईलाल पिता केदारराम
28.	1443	0.030	राजेन्द्र प्रसाद रोहित प्रसाद पिता गोरेलाल मु. दु. असिया वेवा छोटलाल सतीष लाला पिता छोटलाल लल्लाराम बुद्धसेन भाईलाल पिता केदारराम
29.	1442	0.087	कन्हैया लाल राजेश्वरी प्रसाद बैकुण्ठ प्रसाद पिता शेषमणि राधिका उजागिर तनय जग्यसेन 1/3 सुखसागर जयप्रकाश संकटमोचन पिता गोपालराम मु. गायत्री वेवा रमाशंकर रहीश सुनैना पिता रमाशंकर 1/3 सुखराम बलराम रामाधार शिवमोहन आदित्य पिता उदयभान राम रामप्रताप पिता अमृतलाल 1/3
30.	1563	0.036	मंगाली पिता गजाधर
31.	1564	0.040	मंगाली पिता गजाधर
32.	1601	0.014	मंगाली पिता गजाधर
33.	1574	0.012	हरिनारायण राजकुमार विजय कुमार रमेश पिता वंशबहादुर राम
34.	1572	0.010	निहठी सियावती पुत्री रामसुंदर 1/3 मु. दुर्गावती वेवा श्रीनिवास सरोज वेदान्ती पिता श्रीनिवास 1/3 विद्याकान्त शिवकुमार सन्तोष कुमार पिता धनेश राम मु. कुसुमकली वेवा रामदास सुभाष कुमार आशीष कुमार पिता रामदास 1/3
35.	1575	0.052	निहठी सियावती पुत्री रामसुंदर 1/3 मु. दुर्गावती वेवा श्रीनिवास सरोज वेदान्ती पिता श्रीनिवास 1/3 विद्याकान्त शिवकुमार सन्तोष कुमार पिता धनेश राम मु. कुसुमकली वेवा रामदास सुभाष कुमार आशीष कुमार पिता रामदास 1/3
36.	1576	0.073	निहठी सियावती पुत्री रामसुंदर 1/3 मु. दुर्गावती वेवा श्रीनिवास सरोज वेदान्ती पिता श्रीनिवास 1/3 विद्याकान्त शिवकुमार सन्तोष कुमार पिता धनेश राम मु. कुसुमकली वेवा रामदास सुभाष कुमार आशीष कुमार पिता रामदास 1/3
37.	1587	0.024	निहठी सियावती पुत्री रामसुंदर 1/3 मु. दुर्गावती वेवा श्रीनिवास सरोज वेदान्ती पिता श्रीनिवास 1/3 विद्याकान्त शिवकुमार सन्तोष कुमार पिता धनेश राम मु. कुसुमकली वेवा रामदास सुभाष कुमार आशीष कुमार पिता रामदास 1/3
38.	1594	0.003	दरवारीलाल पिता रामप्रगास
39.	1593	0.024	दरवारीलाल पिता रामप्रगास
40.	1577	0.001	मु. गुलबसुआ वेवा हनुमान प्रसाद विजय कुमार राजकुमार दिनेन्द्र अशोक कुमार पिता हनुमानराम लालमन बाबूलाल तनय प्रयागदत्त 1/2 अभिमन्यु प्रसाद प्रसाद रामनरेश दिनेश तनय चिन्तामणिराम इन्द्रवसिया वेवा सम्भू दरविजयनाथ आदित्यनाथ पिता सम्भू 1/2
41.	1589	0.031	मु. गुलबसुआ वेवा हनुमान प्रसाद विजय कुमार राजकुमार दिनेन्द्र अशोक कुमार पिता हनुमानराम लालमन बाबूलाल तनय प्रयागदत्त 1/2 अभिमन्यु प्रसाद प्रसाद रामनरेश दिनेश तनय चिन्तामणिराम इन्द्रवसिया वेवा सम्भू दरविजयनाथ आदित्यनाथ पिता सम्भू 1/2
42.	1590	0.016	रमाकान्त पिता जगदीश प्रसाद
43.	1621	0.001	बालकृष्ण पिता चित्रसेन राम
44.	1586	0.023	बालकृष्ण पिता चित्रसेन राम
45.	1585	0.028	बालकृष्ण पिता चित्रसेन राम
Total	45 किंता	1.203 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय बहरी में देखा जा सकता है।

क्र. 298-भू-अर्जन-2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - पुजौही
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.093 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	356/1	0.020	रामदेव पिता विश्वनाथ कोटवार
2	356/2		श्रीमती अर्चना देवी पत्नी अधीश प्रसाद
3	357/1	0.029	रामदेव पिता विश्वनाथ कोटवार
4	357/2		श्रीमती अर्चना देवी पत्नी अधीश प्रसाद
5	358	0.034	रामदेव पिता विश्वनाथ कोटवार
6	359	0.010	रामदेव पिता विश्वनाथ कोटवार
	6 कित्ता	0.093 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्र. 300-भू-अर्जन-2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - सैरपुर
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 1.369 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	406	0.015	शिवशरण ललिया लुरुआ पिता रामराज सिंह
2	405	0.053	शिवशरण ललिया लुरुआ पिता रामराज सिंह
3	388	0.072	शिवशरण ललिया लुरुआ पिता रामराज सिंह
4	389	0.004	शिवशरण सिंह तनय रामराज सिंह
5	398	0.052	कृष्णदेव सिंह विष्णुदेव सिंह पिता रविराज सिंह शान्ती सिंह वेवा रविराज सिंह यज्ञराज विजयप्रताप पिता अजीत सिंह अरविंद सिंह पिता भगवत सिंह देवकी वेवा भगवत सिंह राजनारायण राकेश सिंह पिता कौशल सिंह मीना सिंह वेवा कौशल सिंह
6	392	0.030	कृष्णदेव सिंह विष्णुदेव सिंह पिता रविराज सिंह शान्ती सिंह वेवा रविराज सिंह यज्ञराज विजयप्रताप पिता अजीत सिंह अरविंद सिंह पिता भगवत सिंह देवकी वेवा भगवत सिंह राजनारायण राकेश सिंह पिता कौशल सिंह मीना सिंह वेवा कौशल सिंह
7	397	0.060	यज्ञराज सिंह विजय प्रताप सिंह तनय अजीत सिंह
8	391	0.022	यज्ञराज सिंह विजय प्रताप सिंह तनय अजीत सिंह
9	244/1	0.001	अरुण सिंह नाबा. बली पिता मटुकधारी सिंह
10	245/1	0.138	विनय सिंह पिता मटुकधारी सिंह
11	247	0.087	अजय सिंह नाबा. बली पिता मटुकधारी सिंह
12	248	0.007	अजय सिंह नाबा. बली पिता मटुकधारी सिंह
13	249	0.135	मु. चन्द्रकान्ता सिंह वेवा गिरीश सिंह विनोद सिंह जगदीश सिंह पिता गिरीश कुमार सिंह वैभव सिंह पिता शैलेन्द्र सिंह
14	252	0.012	मु. चन्द्रकान्ता सिंह वेवा गिरीश सिंह विनोद सिंह जगदीश सिंह पिता गिरीश कुमार सिंह वैभव सिंह पिता शैलेन्द्र सिंह
15	250	0.069	मु. चन्द्रकान्ता सिंह वेवा गिरीश सिंह विनोद सिंह जगदीश सिंह पिता गिरीश कुमार सिंह वैभव सिंह पिता शैलेन्द्र सिंह
16	230	0.006	मु. चन्द्रकान्ता सिंह वेवा गिरीश सिंह विनोद सिंह जगदीश सिंह पिता गिरीश कुमार सिंह वैभव सिंह पिता शैलेन्द्र सिंह
17	251	0.090	मु. चन्द्रकान्ता सिंह वेवा गिरीश सिंह विनोद सिंह जगदीश सिंह पिता गिरीश कुमार सिंह वैभव सिंह पिता शैलेन्द्र सिंह
18	229	0.008	मु. चन्द्रकान्ता सिंह वेवा गिरीश सिंह विनोद सिंह जगदीश सिंह पिता गिरीश कुमार सिंह वैभव सिंह पिता शैलेन्द्र सिंह
19	225	0.047	श्रीमती चमेली पति रामाधार मिश्र
20	224	0.040	कमलेश्वर सिंह पिता दुर्गा सिंह
21	204	0.086	विक्रम दीपक प्रभात पिता रणबहादुर सिंह
22	222	0.070	राजबहादुर सिंह पिता दुर्गा सिंह
23	220/1	0.042	सरोज सिंह पति दल बहादुर सिंह
24	220/2		राजबहादुर सिंह पिता दुर्गा सिंह
25	219	0.013	सरोज सिंह पति दल बहादुर सिंह
26	223/1	0.210	सरोज सिंह पति दल बहादुर सिंह
27	223/2		राजबहादुर सिंह पिता दुर्गा सिंह
	27 किता	1.369 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।

3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्र. 302-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वाणेत भूमे अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - रोजहा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.952 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	131	0.064	कुन्जराज सिंह पिता कुहरू सिंह
2.	129	0.180	हिन्हराज सिंह कुन्जराज सिंह तनय कुहरू सिंह
3.	128	0.272	हिन्हराज सिंह कुन्जराज सिंह तनय कुहरू सिंह
4.	125	0.108	हिन्हराज सिंह तनय कुहरू सिंह
5.	120	0.152	राजबहादुर सिंह शेर बहादुर सिंह विष्णुबहादुर सिंह शिवबहादुर सिंह पिता रामराज सिंह
6.	119	0.152	लालबहादुर सिंह पिता ईशराज सिंह
7.	118	0.024	लालबहादुर सिंह पिता ईशराज सिंह
Total	7 कित्ता	0.952 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 के निर्माण हेतु।
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्र. 304-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - शिवपुर (मरसरहा)
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 3.248 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	265	0.092	गिरधारी पिता गोदईया
2.	250	0.220	भैयालाल सिंह ददन सिंह कमलेश्वर सिंह पिता मोतीलाल 1/3 बाबूलाल सिंह सीतालाल सिंह धर्मजीत सिंह कृष्ण प्रताप सिंह अग्निदेव सिंह पिता छोटेलाल सिंह 1/6 दानबहादुर सिंह बृहस्पति सिंह हीरामणि सिंह दानी सिंह जवाहर लाल सिंह पिता जगदीश सिंह 1/6 मु. हीराकली वेवा रामगोपाल सिंह सनत कुमार अभयराज राजेश कुमार राजनारायण पिता रामगोपाल सिंह 1/6 राजबहादुर सिंह नीलकंठ सिंह पिता अभिमान सिंह मु. मीरा वेवा ललन सिंह विनोद कुमार विजय कुमार मानेन्द्र कुमार हेमन्त पिता ललन सिंह 1/6
3.	553	0.065	भैयालाल सिंह ददन सिंह कमलेश्वर सिंह पिता मोतीलाल 1/3 बाबूलाल सिंह सीतालाल सिंह धर्मजीत सिंह कृष्ण प्रताप सिंह अग्निदेव सिंह पिता छोटेलाल सिंह 1/6 दानबहादुर सिंह बृहस्पति सिंह हीरामणि सिंह दानी सिंह जवाहर लाल सिंह पिता जगदीश सिंह 1/6 मु. हीराकली वेवा रामगोपाल सिंह सनत कुमार अभयराज राजेश कुमार राजनारायण पिता रामगोपाल सिंह 1/6 राजबहादुर सिंह नीलकंठ सिंह पिता अभिमान सिंह मु. मीरा वेवा ललन सिंह विनोद कुमार विजय कुमार मानेन्द्र कुमार हेमन्त पिता ललन सिंह 1/6
4.	554	0.215	भैयालाल सिंह ददन सिंह कमलेश्वर सिंह पिता मोतीलाल 1/3 बाबूलाल सिंह सीतालाल सिंह धर्मजीत सिंह कृष्ण प्रताप सिंह अग्निदेव सिंह पिता छोटेलाल सिंह 1/6 दानबहादुर सिंह बृहस्पति सिंह हीरामणि सिंह दानी सिंह जवाहर लाल सिंह पिता जगदीश सिंह 1/6 मु. हीराकली वेवा रामगोपाल सिंह सनत कुमार अभयराज राजेश कुमार राजनारायण पिता रामगोपाल सिंह 1/6 राजबहादुर सिंह नीलकंठ सिंह पिता अभिमान सिंह मु. मीरा वेवा ललन सिंह विनोद कुमार विजय कुमार मानेन्द्र कुमार हेमन्त पिता ललन सिंह 1/6
5.	900	0.025	भैयालाल सिंह ददन सिंह कमलेश्वर सिंह पिता मोतीलाल 1/3 बाबूलाल सिंह सीतालाल सिंह धर्मजीत सिंह कृष्ण प्रताप सिंह अग्निदेव सिंह पिता छोटेलाल सिंह 1/6 दानबहादुर सिंह बृहस्पति सिंह हीरामणि सिंह दानी सिंह जवाहर लाल सिंह पिता जगदीश सिंह 1/6 मु. हीराकली वेवा रामगोपाल सिंह सनत कुमार अभयराज राजेश कुमार राजनारायण पिता रामगोपाल सिंह 1/6 राजबहादुर सिंह नीलकंठ सिंह पिता अभिमान सिंह मु. मीरा वेवा ललन सिंह विनोद कुमार विजय कुमार मानेन्द्र कुमार हेमन्त पिता ललन सिंह 1/6
6.	266	0.096	पन्नालाल पिता छोट्टुआ काछी
7.	489	0.040	राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता धर्मराज सिंह
8.	505/1/1	0.129	सीताशरण सिंह पिता छोटेलाल सिंह
9.	505/1/2		राजेन्द्र गुप्ता पिता पन्नालाल गुप्ता
10.	505/2	0.001	कसुमकली पत्नी सीताशरण सिंह
11.	506	0.120	बाबूलाल सिंह पिता छोटेलाल सिंह
12.	504	0.001	बाबूलाल सिंह पिता छोटेलाल सिंह
13.	507	0.035	मु.उर्मिला वेवा जनार्दन सिंह श्यामलाल सिंह रघुराज सिंह लेखराज सिंह अंजनीकुमार पुत्र फूल कुमारी राजकुमारी पिता जनार्दन
14.	564	0.045	मु.उर्मिला वेवा जनार्दन सिंह श्यामलाल सिंह रघुराज सिंह लेखराज सिंह अंजनीकुमार पुत्र फूल कुमारी राजकुमारी पिता जनार्दन
15.	503/1	0.060	रनबहादुर सिंह समरबहादुर सिंह पिता विशेषर सिंह
16.	515/1	0.002	रनबहादुर सिंह समरबहादुर सिंह पिता विशेषर सिंह
17.	551	0.025	रनबहादुर सिंह समरबहादुर सिंह पिता विशेषर सिंह

18.	563	0.088	सुरेश प्रताप दिनेश प्रताप सिंह पिता विजय बहादुर सिंह
19.	562	0.270	सुरेश प्रताप दिनेश प्रताप सिंह पिता विजय बहादुर सिंह
20.	552	0.044	सुरेश प्रताप दिनेश प्रताप सिंह पिता विजय बहादुर सिंह
21.	514	0.120	सुरेश प्रताप दिनेश प्रताप सिंह पिता विजय बहादुर सिंह
22.	561	0.002	रविराज सिंह नारेन्द्र बहादुर सिंह राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता रामराज सिंह
23.	550	0.050	चन्द्रकिशोर राम पिता भाईराम 1/2 इन्द्रजीत इन्द्रपाल इन्द्रमणि पिता कालूराम 1/2
24.	925	0.020	चन्द्रकिशोर राम पिता भाईराम 1/2 इन्द्रजीत इन्द्रपाल इन्द्रमणि पिता कालूराम 1/2
25.	926	0.070	चन्द्रकिशोर राम पिता भाईराम 1/2 इन्द्रजीत इन्द्रपाल इन्द्रमणि पिता कालूराम 1/2
26.	927	0.156	चन्द्रकिशोर राम पिता भाईराम 1/2 इन्द्रजीत इन्द्रपाल इन्द्रमणि पिता कालूराम 1/2
27.	928	0.050	चन्द्रकिशोर राम पिता भाईराम 1/2 इन्द्रजीत इन्द्रपाल इन्द्रमणि पिता कालूराम 1/2
28.	549	0.015	तेजभान सिंह पिता गुलाब सिंह
29.	899	0.070	तेजभान सिंह पिता गुलाब सिंह
30.	902	0.120	तेजभान सिंह पिता गुलाब सिंह
31.	547	0.087	रमेश कुमार दिनेश कुमार महेन्द्र कुमार नारेन्द्र कुमार पिता रामलखन 1/5 प्रदीप कुमार पिता रामपियारे 1/5 मानवती वेवा यदुवंश राम विभात कुमार श्यामबिहारी अरविन्द कुमार पिता यदुवंश राम 1/5 प्रभात कुमार पिता कामता राम 1/5 आशा पति कृपाशंकर मिश्रा 1/5
32.	895/1	0.002	बृजेन्द्र कुमार कमलावती सोनवती पिता जगदीश राम
33.	893	0.016	बृजवासी प्रसाद पिता त्रिभुवन राम
34.	929	0.060	मु. हिरोआ वेवा त्रिभुवन राम बृजवासी प्रसाद गुलाब प्रसाद सन्तोष कुमार ललिता पिता त्रिभुवन राम
35.	892	0.058	मु. हिरोआ वेवा त्रिभुवन राम बृजवासी प्रसाद गुलाब प्रसाद सन्तोष कुमार ललिता पिता त्रिभुवन राम
36.	890	0.070	मु. हिरोआ वेवा त्रिभुवन राम बृजवासी प्रसाद गुलाब प्रसाद सन्तोष कुमार ललिता पिता त्रिभुवन राम
37.	889	0.010	मु. हिरोआ वेवा त्रिभुवन राम बृजवासी प्रसाद गुलाब प्रसाद सन्तोष कुमार ललिता पिता त्रिभुवन राम
38.	937/968	0.225	मु. जुरगी वेवा रामपियारे राम प्रदीप कुमार पिता रामपियारे
39.	937/969	0.110	मु. मनौआ वेवा यदुवंश राम विभात कुमार श्यामबिहारी अरविन्द कुमार पिता यदुवंश राम
40.	937	0.100	महेन्द्र कुमार नारेन्द्र पिता रामलखन राम
41.	937/970	0.108	प्रभात कुमार आदित्य कुमार पिता कामता राम
42.	937/971	0.156	कृपाशंकर मिश्र पिता हनुमान प्रसाद मिश्र
Total	42 किला	3.248 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्र. 306-भू-अर्जन-2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - परसवार
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 2.406 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	75	0.036	रामलाल हिन्डलाल पिता छटिलाल काछी
2.	76	0.067	मुद्रिका मोतीलाल छोटेलाल रमकलिया सोनउआ कलुई पिता रामसखा काछी
3.	77/1	0.006	मुद्रिका मोतीलाल छोटेलाल पिता रामसखा काछी
4.	78/3	0.026	रामसजीवन पिता जगन्नाथ
5.	82/2	0.007	रामसजीवन पिता जगन्नाथ
6.	80	0.039	मु. गूगी पत्नी सरमन मनसुआ कैलसुआ शकुन्तला सुमित्रा पिता सरमन अभयलाल पिता सरमन नाबा. बली सरपरस्त माता मु. गूगी रूकमनिया देवा शोभई बाबूलाल विरडू छोटकौना पिता सोभई काछी
7.	81	0.016	जग्यभान हिन्डपति जयपति पिता लुल्ली काछी
8.	119	0.080	जग्यभान हिन्डपति जयपति पिता लुल्ली काछी
9.	124	0.095	जग्यभान हिन्डपति जयपति पिता लुल्ली काछी
10.	123	0.006	जग्यभान हिन्डपति जयपति पिता लुल्ली काछी
11.	144/1	0.002	गेंदिया पति हीरालाल वृहस्पति पिता हिन्डलाल गेंदिया पति हीरालाल 2/8 छोटेलाल पिता भरोषा 1/8 सोहबतिया पत्नी केदार 1/8 अमीरे गलबल पिता शम्भू 1/2
12.	146	0.094	गेंदिया पति हीरालाल वृहस्पति पिता हिन्डलाल गेंदिया पति हीरालाल 2/8 छोटेलाल पिता भरोषा 1/8 सोहबतिया पत्नी केदार 1/8 अमीरे गलबल पिता शम्भू 1/2
13.	532	0.010	गेंदिया पति हीरालाल वृहस्पति पिता हिन्डलाल गेंदिया पति हीरालाल 2/8 छोटेलाल पिता भरोषा 1/8 सोहबतिया पत्नी केदार 1/8 अमीरे गलबल पिता शम्भू 1/2
14.	531	0.020	गेंदिया पति हीरालाल मुटरी पिता हिन्डलाल गेंदिया पति हीरालाल 2/8 छोटेलाल पिता भरोषा 1/8 सोहबतिया पत्नी केदार 1/8 अमीरे गलबल पिता शम्भू 1/2
15.	621	0.028	गेंदिया पति हीरालाल वृहस्पति पिता हिन्डलाल गेंदिया पति हीरालाल 2/8 छोटेलाल पिता भरोषा 1/8 सोहबतिया पत्नी केदार 1/8 अमीरे गलबल पिता शम्भू 1/2
16.	188	0.006	सत्यदेव पिता जुगुल यादव 1/3 विश्वनाथ पिता वंशरूप 2/3
17.	162	0.035	सत्यदेव पिता जुगुल यादव 1/3 विश्वनाथ पिता वंशरूप 2/3
18.	823	0.001	सत्यदेव पिता जुगुल यादव 1/3 विश्वनाथ पिता वंशरूप 2/3
19.	640	0.027	सत्यदेव पिता जुगुल यादव 1/3 विश्वनाथ पिता वंशरूप 2/3
20.	132	0.045	प्रेमलाल श्यामलाल लल्लू उमाकान्त राजेश्वरी सतीश पिता त्रिशूलधारी राम ब्रा.
21.	156	0.012	हीरालाल रामचरण पिता सम्पति 1/2 मु. एतवरिया पत्नी निरपति रामप्रसाद राम प्रताप पिता निरपति 1/2
22.	610	0.009	हीरालाल रामचरण पिता सम्पति 1/2 मु. एतवरिया पत्नी निरपति रामप्रसाद राम प्रताप पिता निरपति 1/2
23.	611	0.030	हीरालाल रामचरण पिता सम्पति 1/2 मु. एतवरिया पत्नी निरपति रामप्रसाद

			राम प्रताप पिता निरपति 1/2
24.	627	0.032	हीरालाल रामचरन पिता सम्पति 1/2 मु. एतवरिया पत्नी निरपति रामप्रसाद राम प्रताप पिता निरपति 1/2
25.	623	0.001	हीरालाल रामचरन पिता सम्पति 1/2 मु. एतवरिया पत्नी निरपति रामप्रसाद राम प्रताप पिता निरपति 1/2
26.	625	0.026	हीरालाल रामचरन पिता सम्पति 1/2 मु. एतवरिया पत्नी निरपति रामप्रसाद राम प्रताप पिता निरपति 1/2
27.	155/1	0.002	बुधनी पत्नी रुकमुन बबली पु. रुकमुन मु. फूलवती देवा बैजनाथ वीरबल रबी बबलू पिता बैजनाथ बिहारी पिता शुभकरण रामकरन राजकरन ददोल पिता दोलत छोहन कैलसुआ पिता सम्पति
28.	154	0.001	मु. पचुई देवा हिन्हा वंशबहोर मुटुरी पिता हिन्हा वृहस्पति सुखपती पिता हिन्हा नाबा. सरपरस्त मु. पचुई देवा त्रिसूली मोहन पिता जगदेव 1/2 अमीर गलबल पिता शम्भू कोभी छोटकिया निचकिया पिता सम्भू 1/2
29.	153	0.001	मु. सुभउआ देवा जोखई समरबहादुर लालबहादुर लल्लू गोरिलाल पिता जोखई
30.	825	0.010	मु. सुभउआ देवा जोखई समरबहादुर लालबहादुर लल्लू गोरिलाल पिता जोखई
31.	608	0.048	मु. सुभउआ देवा जोखई समरबहादुर लालबहादुर लल्लू गोरिलाल पिता जोखई
32.	678	0.005	मु. सुभउआ देवा जोखई समरबहादुर लालबहादुर लल्लू गोरिलाल पिता जोखई
33.	158	0.010	गनपति पिता मरोषे
34.	159	0.022	छोटेराल जीवन्लाल पिता सुखचैन राम 1/3 गोविन्द पिता यज्ञभान 1/3 मु. शेषकली देवा हीरालाल अम्बुजराम अंजनीराम पिता हनुमानराम 1/3
35.	151/1	0.001	बाकेलाल भैरोलाल पिता शोभई 1/2 हीरामणि छोटे लोकमणि गेदमणि पिता बितानी 1/2
36.	187	0.026	बृजवासी प्रसाद पिता रामगरीब राम ब्रा.
37.	186	0.023	बाकेलाल भैरोलाल पिता शोभई
38.	184	0.007	नारायण प्रसाद पिता चन्द्रभूषण प्रसाद
39.	181/1	0.035	बुद्धसेन पिता पल्लूराम
40.	180	0.010	पिता कतई 1/12 कालू युवराज पिता टीडू 1/6 गप्पू पिता मंगली 1/6 लोली खुददी पिता कुहूर 1/6 रामसुन्दर पिता रघुनाथ 7/27 रामनरेश पिता राधे 1/27 मु. भागिरथिया देवा वीरे ददी हिम्मत बृजभान रामप्रताप
41.	179/1	0.015	मु. प्रेमवती देवा बैजनाथ वीरबल रबी बबलू पिता बैजनाथ बिहारी पिता शुभकरण रामकरन राजकरन ददोल पिता दोलत छोहन कैलसुआ पिता सम्पति बुधनी पत्नी रुकमुन बबली पु. रुकमुन
42.	177	0.070	चन्द्रभूषण पिता रामनरेश राम
43.	197	0.052	चन्द्रभूषण पिता रामनरेश राम
44.	626	0.016	चन्द्रभूषण पिता रामनरेश पाठक
45.	624	0.010	चन्द्रभूषण पिता रामनरेश पाठक
46.	636	0.026	मु. लीलावती देवा अनन्त राम बृजेन्द्र सुरेन्द्र पिता अनन्त राम
47.	637	0.024	मु. लीलावती देवा अनन्त राम बृजेन्द्र सुरेन्द्र पिता अनन्त राम
48.	222	0.033	गौरीशंकर (ददोल) पि. जगदीश राम कामता प्रसाद पिता बाबूलाल नाबा बली सर. जगदीश प्रसाद पिता मुकुन्दीराम
49.	223	0.065	गौरीशंकर (ददोल) पि. जगदीश राम कामता प्रसाद पिता बाबूलाल नाबा बली सर. जगदीश प्रसाद पिता मुकुन्दीराम
50.	224	0.028	शिवशंकर पिता पारसनाथ
51.	259	0.024	रुकमिणी देवी पति शिवमणि प्रभात शक्ति पिता शिवमणि प्रसाद
52.	293	0.034	रुकमिणी देवी पति शिवमणि प्रभात शक्ति पिता शिवमणि प्रसाद
53.	258	0.007	रुकमिणी देवी पति शिवमणि प्रभात शक्ति पिता शिवमणि प्रसाद
54.	292	0.043	लोकेश कुमार राकेश कुमार पिता चन्द्रबली ना.स.पिता चन्द्रबली पाठक सा. 4/5 मु. कुसुमकली देवा रामअभिलाख रमेश कुमार सुरेश कुमार पिता रामअभिलाष राम 1/5
55.	639	0.029	लोकेश कुमार राकेश कुमार पिता चन्द्रबली ना.स.पिता चन्द्रबली पाठक सा. 4/5 मु. कुसुमकली देवा रामअभिलाख रमेश कुमार सुरेश कुमार पिता रामअभिलाष राम 1/5
56.	291	0.043	बुद्धिसेन राम पिता शिवमंगल राम
57.	289	0.030	बुद्धिसेन राम पिता शिवमंगल राम
58.	288	0.031	बुद्धिसेन राम पिता शिवमंगल राम
59.	351	0.097	बुद्धिसेन राम पिता शिवमंगल राम
60.	601	0.168	बृजवासी भगवान प्रसाद सुखपति पिता रामगरीब राम
61.	199	0.105	रामवहोर राजबहोर पिता गुल्लू मु. गुलबसिया देवा गुल्लू 1/2 तेजबली त्रयमक त्रिसूलधारी रामसुमेर पिता सुग्रीव भगवान दास पिता त्रिलोक काछी 1/2

62.	824	0.061	मु. वेवा ददऊआ विश्वनाथ शिवनाथ छोटका पिता ददउआ तिरउआ पिता हृदय चौरसिया पति बच्चू मुल्ली पिता बच्चू 1/14 हिन्डलाल पिता बबन 1/12 सूर्यवती रेखा ऊषा पिता रामऔतार हरिलाल हरिकुन्ज रमरतिया गुलिया पिता शिवधारी 1/6 बबनी वेवा देवराज अशोक सुरेश रमेश पिता देवराज 1/6 गनेशवा हिन्डा फत्तवा पिता बबना 2/6 भोला छोटवा पिता ललुआ 1/6
63.	821	0.050	मु. वेवा ददऊआ विश्वनाथ शिवनाथ छोटका पिता ददउआ तिरउआ पिता हृदय चौरसिया पति बच्चू मुल्ली पिता बच्चू 1/14 हिन्डलाल पिता बबन 1/12 सूर्यवती रेखा ऊषा पिता रामऔतार हरिलाल हरिकुन्ज रमरतिया गुलिया पिता शिवधारी 1/6 बबनी वेवा देवराज अशोक सुरेश रमेश पिता देवराज 1/6 गनेशवा हिन्डा फत्तवा पिता बबना 2/6 भोला छोटवा पिता ललुआ 1/6
64.	609	0.015	बैजनाथ रामकरन राजकरन शुभकरण ददोल पिता दौलत 1/4 मु. छोटी वेवा सम्पति छोटन कैलसुआ पिता सम्पति मु. बुधनी पत्नी रुकमुन बबली पुत्री रुकमुन 1/ जगपति छटिलाल पिता दुलारे 1/2
65.	612	0.006	बैजनाथ रामकरन राजकरन शुभकरण ददोल पिता दौलत 1/4 मु. छोटी वेवा सम्पति छोटन कैलसुआ पिता सम्पति मु. बुधनी पत्नी रुकमुन 1/ बबली पुत्री रुकमुन जगपति छटिलाल पिता दुलारे 1/2
66.	613	0.002	बैजनाथ रामकरन राजकरन शुभकरण ददोल पिता दौलत 1/4 मु. छोटी वेवा सम्पति छोटन कैलसुआ पिता सम्पति मु. बुधनी पत्नी रुकमुन 1/ बबली पुत्री रुकमुन जगपति छटिलाल पिता दुलारे 1/2
67.	660	0.023	बैजनाथ रामकरन राजकरन शुभकरण ददोल पिता दौलत 1/4 मु. छोटी वेवा सम्पति छोटन कैलसुआ पिता सम्पति मु. बुधनी पत्नी रुकमुन बबली पुत्री रुकमुन जगपति छटिलाल पिता दुलारे 1/2
68.	614	0.020	मु. सुकवरिया वेवा गनपति लक्ष्मिन सवाईलाल छोटकउ पिता गनपति
69.	533	0.006	भाईलाल बाबूलाल हीरालाल पिता ददई
70.	616	0.006	रघुनाथ पिता बजरंगी 7/9 रामनरेश पिता राधे 1/9 मु. भागीरथिया वेवा वीरे दददी राजेश उमेश बुधनी पिता वीरे 1/9
71.	634	0.023	रघुनाथराम पिता बजरंगी
72.	646	0.011	सुदर्शन पिता चूडामणि यादव
73.	644	0.032	अलगूराम पिता हरिवंशराम 1/2 मु. इन्द्रवती वेवा लल्लाराम अनिल कुमार पिता लल्लाराम 3/8 विन्धेशरी प्रसाद पिता प्रेमलाल 1/8
74.	641	0.003	सरजो प्रसाद शिवमूरत रामश्रय पिता अलगू राम 1/2 मु. इन्द्रवती वेवा लल्लाराम अनिल कुमार पिता लल्लाराम 3/8 विन्धेशरी प्रसाद पिता प्रेमलाल 1/8
75.	642	0.015	पन्नालाल पिता मनबहोर राम 1/3 अम्बिका राजेश्वरी पिता रामपदारथ मु. वेवा सुखरजुआ पति रामपदारथ 1/3 अखिलेश पिता रामप्रकाश श्यामादेवी पति रामप्रकाश 1/3
76.	659	0.018	पन्नालाल पिता मनबहोर राम 1/3 अम्बिका राजेश्वरी पिता रामपदारथ मु. वेवा सुखरजुआ पति रामपदारथ 1/3 अखिलेश पिता रामप्रकाश श्यामादेवी पति रामप्रकाश 1/3
77.	643	0.028	लखेश्वरी पिता राममिलन फूलकुमारी पति राममिलन राम
78.	682	0.012	दयाशंकर पिता रामनिश्चयराम ब्रा.
79.	661	0.027	दयाशंकर पिता रामनिश्चयराम ब्रा.
80.	681	0.021	दयाशंकर पिता रामनिश्चयराम ब्रा.
81.	680	0.006	मु. सुबरनुआ वेवा भरोषे छोटेलाल निचका लाले पिता भरोषा कैलाश हीरालाल पिता परमेश्वर 2/3 हिन्डपति छोटेलाल पिता विश्राम 1/3
82.	663	0.030	गोकुल प्रसाद सुरेश रमेश पिता रामचन्द्र राम मु. पंचवती वेवा त्रिसूलधारी राम शिवपूजन राहुल पिता त्रिसूलधारी राम मु. मिथिलावती वेवा दददा प्रसाद प्रमोद पिता दददा प्रसाद 1/3 गप्पूराम चूडामनि पिता लखपति 1/3 मुनीन्द्र कुमार पिता गप्पू उर्फ वासुदेव रामबहादुर पिता चूडामनि 1/3
83.	664	0.040	गोकुल प्रसाद सुरेश रमेश पिता रामचन्द्र राम मु. पंचवती वेवा त्रिसूलधारी राम शिवपूजन राहुल पिता त्रिसूलधारी राम मु. मिथिलावती वेवा दददा प्रसाद प्रमोद पिता दददा प्रसाद 1/3 गप्पूराम चूडामनि पिता लखपति 1/3 मुनीन्द्र कुमार पिता गप्पू उर्फ वासुदेव रामबहादुर पिता चूडामनि 1/3
84.	674	0.001	गोकुल प्रसाद सुरेश रमेश पिता रामचन्द्र राम मु. पंचवती वेवा त्रिसूलधारी राम शिवपूजन राहुल पिता त्रिसूलधारी राम मु. मिथिलावती वेवा दददा प्रसाद प्रमोद पिता दददा प्रसाद 1/3 गप्पूराम चूडामनि पिता लखपति 1/3 मुनीन्द्र कुमार पिता गप्पू उर्फ वासुदेव रामबहादुर पिता चूडामनि 1/3
85.	665	0.032	गोकुल प्रसाद सुरेश रमेश पिता रामचन्द्र राम मु. पंचवती वेवा त्रिसूलधारी राम शिवपूजन राहुल पिता त्रिसूलधारी राम मु. मिथिलावती वेवा दददा प्रसाद प्रमोद पिता दददा प्रसाद 1/3 गप्पूराम चूडामनि पिता लखपति 1/3 मुनीन्द्र कुमार

			पिता गप्पू उर्फ वासुदेव रामबहादुर पिता चूडामनि 1/3
86.	675	0.003	गोपाल भागीरथी पिता शंकर हिम्मत बृजभान रामप्रताप पिता फलई जुगुल किशोर वृहस्पति द्वारिका कन्धई हिन्धपति पिता कालू युवराज पिता टीडू
87.	826	0.004	वंशबहोर वृहस्पति सुखपति पु मुटुरी पिता हिन्ध मोहन त्रिसूली पिता जगदेव 3/70 गलबल अमीर कोगी, छोटकिया निचकिया पिता सम्भू 3/70 सुफल पिता बबोल 3/35 सुभउ वेवा जोखई समरबहादुर लालबहादुर लल्लू गोरैलाल पिता जोखई 1/7 वंशबहादुर पिता भदू 6/35 रघुनाथ पिता बजरंगी 2/15 रामनरेश पिता राधे 4/105 हीरामणि छोटेलाल गेदमणी लोकमणी पिता बितानी 6/35 भरोषे विश्राम पिता छोटकई कैलाश हीरालाल पिता परमेश्वर मु. वेवा परमेश्वर हि. 6/35
88.	679	0.004	मु. सुकवरिया वेवा गनपति लक्षिमन सवाईलाल छोटकउ पिता गनपति
Total	88 किता	2.406 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय बहरी में देखा जा सकता है।

क्र. 308-भू-अर्जन-2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| (क) जिला | - | सीधी |
| (ख) तहसील | - | बहरी |
| (ग) नगर/ग्राम | - | अमडिहा |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल | - | निजी रकवा 1.166 हे. |

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	3	0.048	मु. महेशिया पत्नी जगदीश राम दमोदर प्रसाद श्यामलाल रामलखन पिता जगदीश, सुखवी मुन्नी पिता जगदीश राम किरण देवी पुत्री चूडामणि 1/2 रामप्रसाद पिता रघुनाथ 1/2
2	22	0.002	इन्द्रभान कैलाश राजपती राजलाल चन्द्रशेखर पिता छोटा 1/2 सीता वेवा कालू रामलल्लू रामाश्रय पिता कालू 1/4 सहदेव पिता कुआरे 1/4
3	16	0.090	इन्द्रभान कैलाश राजपती राजलाल चन्द्रशेखर पिता छोटा 1/2 सीता वेवा कालू रामलल्लू रामाश्रय पिता कालू 1/4 सहदेव पिता कुआरे 1/4
4	19/1	0.220	दसपति पिता रामफल सुरुजभान बृजभान रामलाल श्यामलाल रामकली श्यामकली मुन्नी पिता धनपति राममणि काछी राजा राजरूप पिता साधू बिहकी वेवा साधू काछी 1/2 छोटकवा पिता रामपियारे 1/4 राजमणि पिता साधू 1/4
5	19/2	0.040	स्वामीशरण पिता जग्यभान राम ब्रा.
6	20	0.020	स्वामीशरण पिता जग्यभान राम ब्रा.
7	31	0.110	रामबहोर गुलाब पेशनी काशी बृजेन्द्र पिता जगदीशराम 7/12 दमोदर पिता लखेश्वरी 1/4 मु. राजेश्वरी वेवा चन्द्रशेखर रबी संतोष सूरज पिता चन्द्रशेखर रामगोपाल पिता कुबेर घनश्याम प्रवीण कुमारी अनिल कुमारी अरूणा पिता राजेन्द्र श्यामवती वेवा राजेन्द्र मिथिला प्रसाद पिता कुबेर राम देववती पति कुबेर राम 1/6
8	88	0.150	रामबहोर गुलाब पेशनी काशी बृजेन्द्र पिता जगदीशराम 7/12 दमोदर पिता लखेश्वरी 1/4 मु. राजेश्वरी वेवा चन्द्रशेखर रबी संतोष सूरज पिता चन्द्रशेखर रामगोपाल पिता कुबेर घनश्याम प्रवीण कुमारी अनिल कुमारी अरूणा पिता राजेन्द्र श्यामवती वेवा राजेन्द्र मिथिला प्रसाद पिता कुबेर राम देववती पति कुबेर राम 1/6
9	90/1	0.018	रामचन्द्र पिता रामप्रताप
10	90/2	0.112	मु. शान्ती देवी पति दीनदयाल राम ब्रा.
11	129	0.150	हिन्छपती पिता बैजनाथ 1/3 बुदवी पिता जुर्गा 1/9 रामनाथ पिता मंगल 1/3 हिन्छपति पिता बैजनाथ हि. 2/9
12	128	0.170	बैजनाथ पिता शिवदयाल
13	116	0.007	मुण्डा पिता बलखंडी
1	499/1	0.003	गोपाल पिता जगतधारी
15	499/2	0.003	मु. सुकली वेवा लल्लू राजू पिता लल्लू
16	499/3	0.004	लाले पिता जगतधारी
17	499/4	0.003	छोटेलाल पिता रघुनन्दन
18	499/5	0.003	लालमनि पिता रघुनन्दन
19	499/6	0.003	राजेश पिता रघुनन्दन
20	499/7	0.005	हिन्छा पिता सरजू
21	499/8	0.005	सिपहिया पिता सरजू
	21 किता	1.166 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्र. 310-भू-अर्जन-2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

" अनुसूची "

1- भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) नगर/ग्राम	-	मयापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल	-	निजी रकवा 0.590 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	507	0.010	मु. गीता देवा शत्रुघन मनीष पिता शत्रुघन
2.	508	0.010	रामजियावन पिता बृजमोहन
3.	509	0.019	रामानुज रामजियावन रामनरेश पिता बृजमोहन गीता देवा शत्रुघन मनीष पिता शत्रुघन 1/4 बालकृष्ण पिता चित्रसेन 1/4 मिथिलेश राजेश बृजेश पिता भरतलाल नागेश्वर अशोक कुमार प्रेमवती करुणावती सावित्री सविता ममता माता सियावती मिथिलेश राजेश बृजेश पिता भरतलाल नागेश्वर प्रसाद अशोक कुमार पिता वंशसजीवन 1/2
4.	525	0.006	रामानुज रामजियावन रामनरेश पिता बृजमोहन गीता देवा शत्रुघन मनीष पिता शत्रुघन 1/4 बालकृष्ण पिता चित्रसेन 1/4 मिथिलेश राजेश बृजेश पिता भरतलाल नागेश्वर अशोक कुमार प्रेमवती करुणावती सावित्री सविता ममता माता सियावती मिथिलेश राजेश बृजेश पिता भरतलाल नागेश्वर प्रसाद अशोक कुमार पिता वंशसजीवन 1/2
5.	504	0.030	इन्दरनिया देवा राजकुमार अमित कुमार अनिल कुमार पिता राजकुमार 1/6 त्रिवेणी प्रसाद पिता जग्यलाल अक्धेश पिता नर्वदा राम 2/3 रामरती देवा रामभिलाष कैलाश पिता जनार्दन राम 1/2
6.	512	0.035	राजकरन पिता अवधराम
7.	516	0.030	राजकरन पिता अवधराम
8.	515	0.006	राजकरन पिता अवधराम
9.	517	0.024	भाईलाल पिता वंशगोपाल मु. कलावती पत्नी भोला भुवनेश्वर सोमेश्वर राजेन्द्र पिता यदुवंश राम
10.	572	0.004	भाईलाल पिता वंशगोपाल मु. कलावती पत्नी भोला भुवनेश्वर सोमेश्वर राजेन्द्र पिता यदुवंश राम
11.	567	0.012	भाईलाल पिता वंशगोपाल मु. कलावती पत्नी भोला भुवनेश्वर सोमेश्वर राजेन्द्र पिता यदुवंश राम
12.	441	0.025	भाईलाल पिता वंशगोपाल मु. कलावती पत्नी भोला भुवनेश्वर सोमेश्वर राजेन्द्र पिता यदुवंश राम
13.	437	0.020	भाईलाल पिता वंशगोपाल मु. कलावती पत्नी भोला भुवनेश्वर सोमेश्वर राजेन्द्र पिता यदुवंश राम
14.	577	0.007	भाईलाल पिता वंशगोपाल मु. कलावती देवा भोला प्रदीप विनोद पिता भोला भुवनेश्वर सोमेश्वर राजेन्द्र पिता यदुवंश राम 2/3 चन्द्रपाल पिता छोटेलाल 1/3
15.	571	0.002	भाईलाल पिता वंशगोपाल मु. कलावती देवा भोला प्रदीप विनोद पिता भोला भुवनेश्वर सोमेश्वर राजेन्द्र पिता यदुवंश राम 2/3 चन्द्रपाल पिता छोटेलाल 1/3
16.	520	0.035	भाईलाल पिता वंशगोपाल मु. कलावती देवा भोला प्रदीप विनोद पिता भोला भुवनेश्वर सोमेश्वर राजेन्द्र पिता यदुवंश राम 2/3 चन्द्रपाल पिता छोटेलाल 1/3
17.	573	0.006	ऋषि कुमार पिता ताराराम
18.	574	0.039	रमागोविन्द पिता कमलेश्वर प्रसाद

19.	434	0.002	रमागोविन्द पिता कमलेश्वर प्रसाद
20.	518	0.002	गिरीश कुमार पिता तारा राम
21.	569	0.010	मु. अभिरजुआ वेवा रामलल्लू राम रामतेज रामसुख रामप्रसाद पिता रामलल्लूराम
22.	522	0.066	मु. अभिरजुआ वेवा रामलल्लू राम रामतेज रामसुख रामप्रसाद पिता रामलल्लूराम
23.	523	0.065	कमलनाथ पिता ललनराम
24.	440/1	0.052	शिवकुमार पिता ताराराम
25.	440/2		गिरीश कुमार पिता तारा राम
26.	526	0.002	नागेश्वर प्रसाद अशोक प्रेमवती करुणावती सावित्री सविता ममता माता शियावती मिथिलेश राजेश बृजेश पिता भरतलाल नागेश्वर प्रसाद अशोक कुमार पिता वंशजीवन प्रसाद 1/4 रामानुज मुगीता वेवा शत्रुघन मनीष पिता शत्रुघन रामजियावन रामनरेश पिता बृजमोहन 1/8 कैलाश पिता जनार्दनराम सन्तोष अशोक दिनेश पिता रामभिलाष 1/4 राजकरण पिता अवधराम 1/4 बालकृष्ण पिता चित्रसेन 1/8 मु. रामरती वेवा रामभिलाष
27.	435	0.060	पद्मनाथ पिता कमलेश्वर प्रसाद
28.	506	0.002	रामनरेश पिता बृजमोहन राम ब्रा.
29.	576	0.008	उमेश कुमार पिता बद्दी नावा. बली सं. पिता बद्दी
30.	424	0.001	उर्मिला पिता रामसुन्दर मु. दुर्गावती वेवा श्रीनिवास वेदाती पिता श्रीनिवास विद्याकान्त शिवकुमार सन्तोष कुमार पिता धनेश कुसुमकली पति रामदयाल ब्रा.
Total	30 किता	0.590 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय बहरी में देखा जा सकता है।

क्र. 312-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| (क) जिला | - | सीधी |
| (ख) तहसील | - | बहरी |
| (ग) नगर/ग्राम | - | झरी |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल | - | निजी रकवा 2.586 हे. |

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	41	0.006	धनन्जय कुमार सन्तोष कुमार पिता रामलल्लू
2.	34	0.190	धनन्जय कुमार सन्तोष कुमार पिता रामलल्लू
3.	32	0.062	धनन्जय कुमार सन्तोष कुमार पिता रामलल्लू
4.	35	0.015	धनन्जय कुमार सन्तोष कुमार पिता रामलल्लू
5.	31	0.128	रामजियावन पिता रामदास धोबी
6.	48	0.054	हरीदास सुरेश कुमार पिता रामकुमार लोहार
7.	49	0.168	श्रीमती कुलवसुआ पत्नी अम्बुजा प्रसाद
8.	53	0.067	श्रीमती कुलवसुआ पत्नी अम्बुजा प्रसाद
9.	63	0.333	सरिता देवी पत्नी अम्बुज प्रसाद ब्रा.
10.	158	0.081	महाबली राम पिता सीताराम
11.	214	0.121	सुखदाता देवा गोमती राम ब्रा.
12.	207	0.024	सुखदाता देवा गोमती राम ब्रा.
13.	215	0.055	मु. गोदावरी वा राजीवलोचन सुशील पिता राजीवलोचन मु. शकुन्तला देवा अरुणा धीरज नवीन पिता अरुणा मु. नीता देवा महेन्द्र ब्रा.
14.	217	0.055	हरिहर प्रसाद विश्वामित्र पिता लालमन 2/3 काशी प्रसाद विशेषर प्रसाद पिता कमलेश्वर प्रसाद 1/3
15.	222	0.001	हरिहर प्रसाद विश्वामित्र पिता लालमन 2/3 काशी प्रसाद विशेषर प्रसाद पिता कमलेश्वर प्रसाद 1/3
16.	221	0.078	हरिहर प्रसाद विश्वामित्र पिता लालमन 2/3 काशी प्रसाद विशेषर प्रसाद पिता कमलेश्वर प्रसाद 1/3
17.	220	0.011	हरिहर प्रसाद विश्वामित्र पिता लालमन 2/3 काशी प्रसाद विशेषर प्रसाद पिता कमलेश्वर प्रसाद 1/3
18.	219	0.111	हरिहर प्रसाद विश्वामित्र पिता लालमन 2/3 काशी प्रसाद विशेषर प्रसाद पिता कमलेश्वर प्रसाद 1/3
19.	218	0.007	राजेश पिता चूड़ामणि राम ब्रा.
20.	289	0.070	राजेश पिता चूड़ामणि राम ब्रा.
21.	293	0.010	राजेश पिता चूड़ामणि राम ब्रा.
22.	290	0.020	राजेश पिता चूड़ामणि राम ब्रा.
23.	314/1	0.150	दीपक कुमार पिता राजेश ब्रा.
24.	314/2	0.100	रोहित पिता राजेश ब्रा.
25.	304/1	0.040	हीरामणि पिता एतवारी कुम्हार
26.	310/1	0.081	हीरामणि पिता एतवारी कुम्हार
27.	310/2		रागनाथ पिता एतवारी कुम्हार
28.	362/394	0.029	रामनाथ पिता एतवारी कुम्हार
29.	362	0.049	रामनाथ पिता एतवारी कुम्हार
30.	305	0.054	शिवनाथ पिता एतवारी
31.	306	0.069	बसन्तलाल पिता बुद्धीलाल कोल
32.	307	0.005	बसन्तलाल पिता बुद्धीलाल कोल
33.	361	0.118	बसन्तलाल पिता बुद्धीलाल कोल
34.	360	0.184	बसन्तलाल पिता बुद्धीलाल कोल
35.	362/393	0.040	रामचरन पिता हरी काछी
Total	35 कित्ता	2.586 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय बहरी में देखा जा सकता है।

क्र. 314-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला -- सीधी
 (ख) तहसील -- बहरी
 (ग) नगर/ग्राम -- उमरिया
 (घ) लगभग क्षेत्रफल -- निजी रकवा 0.657 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	371	0.055	रामेश्वर राम सत्यनारायण पिता रघुनन्दन राम
2.	363	0.090	रामेश्वर राम सत्यनारायण पिता रघुनन्दन राम
3.	369	0.061	रामलल्लू पिता गयादीन ब्रा.
4.	368	0.008	मुद्रिका राम पिता मथुरा राम ब्रा.
5.	367	0.097	ब्रदी प्रसाद पारसनाथ बृजकिशोर सूर्यकान्त अम्बिका मधुमेश पिता रामानुजराम ब्रा.
6.	376	0.117	शिवमंगल हरिमंगल धनेश शिवकुमार पिता कपिलमुनि राम ब्रा.
7.	411/1	0.005	मु. अनुलेखा वेवा हरिशचन्द्र आशीष कुमार पिता हरिशचन्द्र ब्रा.
8.	407/3	0.062	मु. अनुलेखा वेवा हरिशचन्द्र आशीष कुमार पिता हरिशचन्द्र ब्रा.
9.	409	0.052	भारत राम पिता रघुवंश राम ब्रा.
10.	407/1	0.030	अवधेश राम पिता उदयभान राम ब्रा.
11.	407/2	0.060	रामभिलाष शिवशंकर पिता विश्वनाथ ब्रा.
12.	411/2	0.020	रामभिलाष शिवशंकर पिता विश्वनाथ ब्रा.
Total	12 कित्ता	0.657 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय बहरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत)

मण्डला, दिनांक 19 जुलाई 2021

क्र. 39-जि.भू.अ.-2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ खसरा न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंडला	नैनपुर रा.नि.म. नैनपुर	नैनपुर प.ह.न. 33 खसरा नं. 492/2	0.240	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर.	थावर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

- (1) अर्जत की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
- (2) भूमि का विस्तृत परियोजना नक्शा साईट प्लान प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण:—
 1. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नैनपुर, जिला मंडला में किया जा सकता है.
 2. कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर में किया जा सकता है.
 3. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लो. नि. वि. सेतु निर्माण उपसंभाग-सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्षिका सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2021

पत्र क्र. 122-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने

हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	गोपालपुरवा	2.750	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 124-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	बड़ागांव	3.250	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 126-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश

भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	नष्टगवां	2.750	कार्यपालन यंत्री, त्योथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 128-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	सोहागी	2.000	कार्यपालन यंत्री, त्योथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 130-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश

भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	परसादा	2.250	कार्यपालन यंत्री, त्योथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 132-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	कैथा	1.500	कार्यपालन यंत्री, त्योथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 134-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने

हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	फरहदी	3.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 136-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	पड़री	3.250	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 138-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने

हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	अंतरसुइया	2.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 140-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	भूगा	1.750	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 142-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश

भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	मलपार	3.250	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 144-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	अमिलकोनी	2.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 146-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश

भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	मझगावां	2.250	कार्यपालन यंत्री, त्योथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 148-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	टिकरी	2.300	कार्यपालन यंत्री, त्योथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 150-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश

भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	अंजोरा	3.100	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 152-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	राजापुर	3.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 154-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश

भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	कोनी खुर्द	3.750	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 156-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	टेढ़ खुर्द	2.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 158-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश

भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	सोनवर्षा	1.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 160-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	खजुरी 100	1.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 162-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश

भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	टेढ़ कला	1.750	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 164-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	बेलौहा टोला	1.850	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल सुचारी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जबलपुर

प्रारूप—ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2021

प्र. क्र. 257.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु ग्राम खापाग्वारी, तहसील जबलपुर, जिला-जबलपुर से ग्राम नरई तहसील जबलपुर, जिला-जबलपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में नर्मदा विकास संभाग क्र. 04, बरगी हिल्स जबलपुर द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, बिछाई जाये।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है की भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, (भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) के धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जबलपुर	जबलपुर	नरई, प.ह.न.-64	73/2	0.002
			75	0.002
			79	0.003
			80	0.002
			85	0.005
			87/4	0.004
			87/5	0.004

प्र. क्र. 258.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु ग्राम खापाग्वारी, तहसील जबलपुर, जिला-जबलपुर से ग्राम खापाग्वारी, तहसील जबलपुर जिला-जबलपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में नर्मदा विकास संभाग क्र. 04, बरगी हिल्स जबलपुर द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, बिछाई जाये।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है की भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, (भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) के धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जबलपुर	जबलपुर	खापागवारी, प.ह.न.-66	493	0.006
			492	0.008
			491/1	0.006
			491/2	0.006

प्र. क्र. 259.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु ग्राम खापागवारी, तहसील जबलपुर, जिला-जबलपुर से ग्राम सोहड़, तहसील जबलपुर, जिला-जबलपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में नर्मदा विकास संभाग क्र. 04, बरगी हिल्स जबलपुर द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, बिछाई जाये.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है की भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, (भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) के धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जबलपुर	जबलपुर	सोहड़, प.ह.न.-67	2	0.004
			3/1	0.002
			4	0.005
			11	0.010
			13/1	0.006
				0.003
			5/1	0.004
			5/2	0.003
			11	0.005
			19	0.006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			23	0.007
			36	0.002
			35	0.002
			42	0.004
			45	0.000
			44	0.005
			48/1	0.007
			48/2	0.000
			49	0.001
			50	0.006
			60	0.003
			247	0.001
			59	0.003
			58	0.001
			249	0.005
			251/1	0.003
			252	0.000

प्र. क्र. 260.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु ग्राम खापाग्वारी, तहसील जबलपुर, जिला-जबलपुर से ग्राम पडरिया, तहसील जबलपुर, जिला-जबलपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में नर्मदा विकास, संभाग क्र. 04, बरगी हिल्स जबलपुर द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, बिछाई जाये।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है की भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, (भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) के धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जबलपुर	जबलपुर	पडरिया, प.ह.नं.-63	40/1	0.005
			40/2	0.002
			50	0.004
			56	0.001
			55	0.002
			46	0.007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				0.003
			68	0.002
				0.004
			52/3	0.008
			266	0.005
			53	0.007
			67	0.003
			66/2	0.002
			64	0.002
			61	0.001
			77	0.014
			78/1	0.011
				0.005
			78/2	0.000
			79	0.006
			90	0.013
			88	0.001
			89	0.004
			282/2	0.003
			273	0.005
			274	0.002
			272/1	0.003
			272/2	0.002
			261	0.005
			259	0.001
			262	0.002
			258/1	0.004
			71/1/1	0.002
			71/1/2	0.002
			71/5	0.001
			71/6	0.005
			71/7	0.003
			73/1	0.004
			283/1	0.005
			284/2	0.005
			286	0.004
			285	0.004
			245	0.011
			246	0.006
			247/1	0.001
			215/1	0.001
			247/2	0.007
			216	0.004
			217	0.001
			219/2	0.003
			218	0.001

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			220	0.001
			228/2	0.002
			229	0.005
			230	0.003
			204	0.008
			84	0.018
			85/1	0.003
			86	0.003
				0.006
			87	0.002
				0.006
			297	0.004
			301/1	0.004
			301/2	0.003
			169/3	0.003
			172/1	0.005
			172/2	0.007
			172/3	0.006
			181/2	0.003
				0.006
			302/1	0.001
			302/2	0.004
			167/1	0.004
			166	0.001
			173	0.006
			180/1	0.003
			179	0.004
			139/2	0.002
			107/2	0.003
			108/1	0.004
			108/2	0.004
			111	0.003
			112	0.005
				0.008
			113	0.002
				0.001
			114	0.005
			95	0.003
			93	0.006
			94	0.005
			163/2	0.001
			162/1	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			159/1	0.001
			150	0.006
			139/1	0.003
			149/1	0.003
			141	0.004
				0.001
			142/2	0.007
			137	0.002

प्र. क्र. 261.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु ग्राम खापागवारी, तहसील जबलपुर, जिला-जबलपुर से ग्राम परसिया, तहसील जबलपुर, जिला-जबलपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में नर्मदा विकास, संभाग क्र. 04, बरगी हिल्स जबलपुर द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, बिछाई जाये.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है की भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, (भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) के धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जबलपुर	जबलपुर	परसिया, प.ह.नं.-64	5/1	0.002
			5/2	0.004
			34	0.001
			33	0.005
			29	0.005
			7	0.003
			31	0.004
			30/2	0.004
			30/1	0.001
			28	0.002
			40	0.004
			42	0.005
			48	0.001
			43	0.005
			44	0.002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			83	0.003
			77	0.004
			76	0.004
			19	0.001
			47	0.011
			100	0.001
			72	0.001
			53	0.003
			54	0.005
			57	0.003
			56	0.000
				0.002
			59	0.002

प्र. क्र. 262.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु ग्राम खापागवारी, तहसील जबलपुर, जिला-जबलपुर से ग्राम डुंगरिया, तहसील जबलपुर, जिला-जबलपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में नर्मदा विकास, संभाग क्र. 04, बरगी हिल्स जबलपुर द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, बिछाई जाये।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है की भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, (भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) के धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जबलपुर	जबलपुर	डुंगरिया, प.ह.नं.-65	9	0.001
			49	0.006
			79	0.010
			134	0.000
			266	0.001
			380	0.000
			418	0.001

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			456	0.003
			657	0.001
			714	0.000
			757	0.001
			801	0.001
			110/987	0.001
			110/987	0.001
			115/1	0.005
			115/1	0.001
			115/2	0.002
			117	0.004
			119	0.002
			121	0.001
			122/2	0.005
			135	0.005
			149	0.004
			151	0.005
			157	0.003
			158	0.001
			158	0.002
			164	0.005
			23	0.002
			231/1	0.004
			232	0.005
			24	0.004
			25/1	0.001
			253	0.003
			254	0.005
			265	0.005
			27/1	0.003
			27/2	0.007
			28/3	0.003
			280/2	0.003
			294	0.002
			295	0.005
			296	0.001
			297	0.002
			321	0.004
			331	0.007
			334	0.003
			339	0.012
			34	0.005
			341	0.000
			343	0.002
			35	0.006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			35	0.000
			356	0.003
			364/1	0.003
			364/2	0.006
			369	0.003
			37/1	0.002
			371/1	0.002
			374	0.004
			381/1	0.003
			381/2	0.002
			383/1	0.003
			383/1	0.001
			383/2	0.002
			385	0.001
			403/2	0.003
			404/1/1	0.002
			404/1/2	0.002
			405/1	0.004
			414	0.003
			426	0.004
			428	0.002
			432/1	0.003
			433	0.004
			438	0.004
			449/2	0.006
			450	0.003
			451	0.003
			452	0.005
			452	0.002
			452	0.004
			457	0.005
			458	0.003
			47	0.001
			48	0.001
			482/2	0.002
			483/2	0.005
			484	0.002
			485	0.001
			503	0.006
			506/2	0.002
			58	0.009
			595	0.002
			60	0.006
			60	0.007
			603	0.004
			606	0.005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			607/988	0.000
			610	0.002
			617	0.001
			618	0.003
			62/1	0.005
			62/2	0.004
			624/1	0.008
			626/1	0.010
			629	0.004
			630	0.002
			630	0.000
			636	0.003
			637/1	0.006
			637/2	0.007
			638	0.004
			654	0.004
			656/2	0.002
			661/1/1	0.001
			661/1/1	0.000
			661/1/2	0.002
			662	0.002
			662	0.001
			662	0.001
			675	0.001
			678	0.004
			679/1	0.003
			680	0.004
			694	0.001
			696	0.008
			696	0.000
			70/2	0.002
			704	0.011
			705	0.004
			73	0.001
			744	0.007
			744	0.005
			744	0.001
			746/2	0.004
			746/4	0.004
			75/1	0.003
			750	0.009
			751/2	0.003
			756	0.005
			758/2	0.002
			758/3	0.002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			759/1	0.006
			77/2	0.003
			771/2	0.003
			771/3	0.003
			772/1	0.002
			772/1	0.004
			772/3	0.003
			772/3	0.002
			773/1	0.003
			773/1	0.000
			773/2	0.006
			774/1	0.003
			774/1	0.006
			774/1	0.004
			774/2	0.001
			774/3	0.000
			78/1	0.000
			78/1	0.005
			781	0.005
			782	0.002
			791/1	0.007
			793	0.003
			794	0.002
			795/1	0.002
			795/3	0.003
			797/1	0.002
			797/2	0.001
			797/2	0.004
			797/2	0.002
			797/3	0.005
			797/4	0.003
			798/2	0.004
			808	0.002
			809	0.002
			81/2	0.001
			81/2	0.003
			81/2	0.007
			81/1	0.002
			810	0.001
			814/1	0.001
			814/2	0.002
			815	0.002
			817	0.001
			82/1	0.001
			820/1	0.005
			820/2	0.001

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			821/1	0.006
			835	0.001
			836/1/1	0.003
			837/1/1	0.002
			84/1	0.002
			86	0.008
			87/1	0.001
			88	0.000
			93/992/2	0.000
			951	0.001
			96/1	0.005
			97	0.004
			98/1	0.002
			98/2	0.005
			98/2	0.002
			98/3	0.002
			98/3	0.003

प्र. क्र. 263.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु ग्राम खापाग्वारी, तहसील जबलपुर, जिला-जबलपुर से ग्राम सरई, तहसील जबलपुर, जिला-जबलपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में नर्मदा विकास, संभाग क्र. 04, बरगी हिल्स जबलपुर द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, बिछाई जाये.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है की भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, (भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) के धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जबलपुर	जबलपुर	सरई, प.ह.न.-67	29	0.003
			33/1	0.004
			33/2	0.004
			57	0.003
			58	0.001
			53/1	0.005
			52/3	0.003
			52/4	0.002
			42/1	0.002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			42/2	0.003
			94	0.001
			95/1	0.003
			96/3	0.001
			95/3	0.003
			71	0.003
			220/1	0.003
			220/2/2	0.002
			220/2/3	0.001
			236	0.001
			237	0.002
			239	0.002
			240	0.002
			246	0.001
			247	0.004
			245	0.003
			249	0.002
			248	0.005
			254	0.003
			259	0.004
			258	0.006
			203/7	0.002
			203/5	0.001
			203/4	0.001
			203/3	0.001
			203/2	0.001
			204	0.003

प्र. क्र. 264.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु ग्राम खापागवारी, तहसील जबलपुर, जिला-जबलपुर से ग्राम बरबटी, तहसील जबलपुर जिला-जबलपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में नर्मदा विकास, संभाग क्र. 04, बरगी हिल्स जबलपुर द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, बिछाई जाये।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है की भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, (भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) के धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जबलपुर	जबलपुर	बरबटी, प.ह.न.-63	34/1	0.003
			186	0.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			188/1	0.002
			211/2	0.004
			43	0.005
			31/2	0.001
			46	0.004
			90	0.000
			21/2	0.006
			70	0.006
			214	0.014
			57	0.005
			57	0.001
			1	0.003
			211/1	0.002
			189/1	0.002
			26	0.001
			11	0.005
			278	0.002
			75	0.002
			79	0.003
			68/2	0.005
			34/3	0.006
			72	0.002
			22	0.004
			44	0.008
			264/1	0.004
			89	0.003
			64	0.001
			59	0.008
				0.002
			16	0.004
				0.003
			24/1	0.006
			23	0.000
			179	0.001
			178/2	0.004
			37	0.008
			69	0.006
			247	0.003
			91	0.001
				0.004
			212	0.003
			61	0.006
			265/1	0.005
			264/2	0.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			277	0.001
			279	0.002
			286/1	0.002
			254/1	0.002
			188/2	0.002
			80/1	0.012
				0.006
			71	0.007
				0.002
			74	0.002
			12	0.008
				0.005
			2	0.011
				0.004

मणिन्द्र कुमार सिंह, अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 अगस्त 2021

क्र. 4973-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम.पी.एस./31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे.

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—धिरेटिया बिसाला, प.ह.नं.-52 ब. न.-62 रा.नि.मं.-कपूर्दा.	रकबा-03.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की सब-माईनर नहर हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
					(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
					(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
					(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
					(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
					(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी दाँया तट नहर उपसंभाग क्र.-02 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
					(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4904-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम.पी.एस./31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—सांख, प.ह.नं.-53 ब. न.-270 रा.नि.मं.- कपूर्दा.	रकबा-02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की सब-माईनर नहर हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी दोंया तट नहर उपसंभाग क्र.-02 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 4905-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/349-74/एम.पी.एस./31/728 भोपाल, दिनांक 16 जून 2021 की छायाप्रति संलग्न है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे.” अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे.

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम—नन्देवानी, प.ह.नं.-23 ब. न.-210 रा.नि.मं.- सौंसर.	रकबा-05.240 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.	मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन संभाग उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 12 अगस्त 2021

पत्र क्र. 5733-कलेक्टर भू-अर्जन-2021.—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रं. 12, राजपुर द्वारा पाटी माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना में जल परिवहन हेतु पाईप लाईन बिछाने हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगिता अधिकारी के अर्जन) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत तहसील बड़वानी व पाटी जिला बड़वानी के ग्राम अमलाली, बीजासन, मोरकट्टा, भवती, बबुलताड़, अवल्दा, भामटा, नैनपुरा, पीचोड़ी, सिरसानी व तहसील के ग्राम बमनाली, पोसपुर, खाजपुर, छीपीयाखेड़ी, सेमली, लीम्बी, बुदी, मेघा, ओसाड़ा, चंदनदेवी, घुघसी, अंजराड़ा, पाटी में 5940 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, तत्संबंध में मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगिता अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2012 के नियम 2(क) के तहत सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वानी को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।

शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.